खण्ड-461, अंक-2
सोमवार, 13 अग्रहायण, शक संवत् 1928
(4 दिसम्बर, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2006)

खण्ड 461 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
कानुपर में डॉ0 अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने विषयक नियम-311 की सूचना को लिये जाने की मांग	1-2
प्रश्नोत्तर	3-47
विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्व श्री राम अवध प्रसाद, चरण दास सेठ, भगवती प्रसाद शुक्ल तथा गोकरन प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार ...	47-48
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	48-50
जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में अपात्रों को ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 कार्ड दिये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50-51
फतेहपुर के किशनपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में प्राकृतिक आपदा की विभीषिका से उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
सुल्तानपुर के जिला महिला चिकित्सालय में व्याप्त कथित अनियमितताओं एवं चिकित्सकों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
संत रविदास नगर के औराई क्षेत्रान्तर्गत कतिपय प्राइमरी पाठशाला/जूनियर हाई स्कूलों में स्थापित हैण्डपम्पों को ठीक कराने एवं आवश्यकतानुसार नए हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	51-52
गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत पाण्डेयपुर राधे में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद कुशीनगर समग्र विकास गांव में चयनित गांवों में पात्रता के आधार पर इन्दिरा आवास आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
मेरठ के सिवालखास क्षेत्रान्तर्गत गन्ना किसानों को चीनी निगम मिल मोहद्दीनपुर द्वारा बोनस न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जर्जर सड़कों का निर्माण/डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	53
श्री स्वामी रामानन्द संस्कृत प्रचार जू0 हा0 स्कूल पिण्डरा जनपद बांदा के अध्यापक स्व0 सुखदेव प्रसाद कुशवाहा की मृत्यु के फलस्वरूप उनके पुत्र को मृतक आश्रित नियुक्ति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद अम्बेडकर नगर के टांडा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों के अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	54
गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सिम्भावली शुगर मिल द्वारा क्षेत्रीय गन्ना कृषकों का गन्ना कम मात्रा में खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनतंत्र सेनानियों को रोडवेज बसों में सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
पीलीभीत के जिला पंचायत नार्मल स्कूल में विकलांग पुनर्वास केन्द्र के सामने की भूमि को एक ट्रस्ट को निःशुल्क दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते मर्जर पर मकान किराया/नगर प्रतिकर भत्ता आदि परिणामी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 कानपुर द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	57
दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के मध्य परिवहन निगम की बसों के संचालन सम्बन्धी विवाद की नियम-56 की सूचना के सम्बन्ध में परिवहन मंत्री द्वारा सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल के गठन के प्रस्ताव को मा0 अध्यक्ष विधान सभा की सहमति के उपरान्त भी कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	57-60
दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को औचित्य के प्रश्न की सूचना पर चर्चा के समय डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर को आक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	60-63
प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में हाट मिक्स प्लांट द्वारा सात-सात किमी0 लेपन स्तर तक सड़क निर्माण का शासनादेश जारी हो जाने के उपरान्त भी केवल 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	63
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006.... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	54
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का दसवां प्रतिवेदन (खण्ड-6) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	64
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	64

विषय	पृष्ट-संख्या
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का बारहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	64
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का उन्तालीसवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	65
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा भीटी में मौर्या बस्ती से पूरबवेशो नदी पर पुल निर्माण कराने विषयक श्री अनिल मौर्य आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	65
विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के पहले गुरुवार दि0 17 फरवरी, 2005 के तारांकित प्रश्न संख्या-2 नत्थी 'ख' के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया निदेश (बारहवां संस्करण) निदेश संख्या-44(1) के अन्तर्गत राजस्व मंत्री के शोधन वक्तव्य का स्थगन ...	65-66
गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न ...	66
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	66-92
उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा सदन के माध्यम से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुये भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किसी भी धर्म के अनुयायी को समान रूप से आरक्षण की सुविधा दिये जाने सम्बन्धी भारत सरकार से की गई मांग का संकल्प (जारी)	92-95
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	95-97
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	97
प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा	97
प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी) ...	97

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (जारी)	97
उ0 प्र0 चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार का प्रस्ताव का स्थगन	98
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव का स्थगन	98
डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर एवं डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार का स्थगन	98
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव का स्थगन	98
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	98
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत फत्तेपुर संगत में सरकारी राशन की दुकान खोले जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य	98-101
घाघरा नदी के कटान से जनपद मऊ स्थित ग्राम धर्मपुर अभिराज के टोले तथा दुबारी आदि ग्रामों के निवासियों को राहत दिलाये जाने के सम्बनध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	101-103
जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ग्रामों में ओला पड़ने से किसानों की बरबाद हुई फसलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ...	103-104
लखनऊ नगर स्थित निशातगंज ओवर ब्रिज के नीचे की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य ...	104
लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् आवासीय योजना से सम्बन्धित सम्पत्तियों की पत्रावली गायब होने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	104-105

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद देवरिया स्थित रुद्रपुर क्षेत्र में राप्ती, गौर्रा, बथुआ आदि नदियों में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांधों, सड़कों एवं पुलियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह (खोखा सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	105-108
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य	108-110
मेरठ नगर के मोहल्लों में खुले दर्जनों मिनी कमेलों के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर मंत्री का केवल वक्तव्य	110-111
जनपद जालौन में पेयजल योजनान्तर्गत वाटर रिचार्जिंग हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के बाद भी कार्य शुरू न करने के सम्बन्ध में श्री मस्तराम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	111-112
जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नरायनपुर बन्ना के पास नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	112
जनपद मऊ में वर्ष 2005 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्याधन न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 यशवन्त सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ...	112
जनपद बस्ती स्थित उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरपुर में स्वीकृत पदों के अनुरूप डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	113
जनपद बुलन्दशहर कोतवाली में श्री राम सागर को गैर जमानती वारण्ट के गिरफ्तार किये जाने एवं उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सम्बन्धित प्रकरण की जांच आख्या	114
नत्थियां	115-129

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 4 दिसम्बर, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-320

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अजय कुमार, डा0	बागपत	अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अताउल रहमान, श्री	बरेली	अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर	अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर	आदित्य विक्रम सिंह	सिद्धार्थनगर
अनिल कुमार वर्मा श्री	हरदोई	(बोकू सिंह), श्री	
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत	आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
अनुग्रह नारायण उर्फ		आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
खोखा सिंह, श्री	देवरिया	आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	आलम बदी, श्री	आजमगढ़
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर	आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	आशीष यादव, श्री	बदायूं
अब्बास अली जैदी उर्फ		आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी	इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
अमरमणि, श्री	महराजगंज	इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा	उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
अमर सिंह यादव पुत्र	हाथरस	उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
श्री सुन्दर सिंह, श्री		उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा	ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर	ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर

ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद

नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवंत सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदासनगर, भदोही
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनलाल अहिरवार, श्री	झांसी

अतर प्रदेश विधान सभा

रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम जी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी

शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव ''ललई'', श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना,श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट :-परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कानपुर में डा0 अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने विषयक नियम-311 की सूचना को लिये जाने की मांग

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियम-311 में सूचना दी है।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

[इस मध्य कई सदस्य सर्वश्री मुंशी लाल गौतम, ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), कालीचरन राजभर, श्रीमती विद्या चौधरी तथा श्री लालजी वर्मा आदि सदन के फ्लोर पर आ गये]

श्री मुंशी लाल गौतम-

(सदन के फ्लोर से) मान्यवर, बाबा साहब की प्रतिमा को कानपुर में तोड़ा गया है, दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। देखिये माननीय सदस्यगण मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब बहुत हो गया। आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जायं। देखिये आप लोगों की जो सूचनाएं हैं उन पर विचार होगा।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर खड़े होकर नारे लगाते रहे। इसी मध्य श्री जगदम्बिका पाल भी सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने लगे)

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि आपने जो सूचनाएं दी हैं वह मेरे पास आ गई हैं जब कार्य स्थगन का प्रस्ताव आयेगा तो उस पर पर्याप्त चर्चा करने का अवसर आपको मिलेगा। इसलिये आपसे यह आग्रह है कि आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर चले जायं। आज जो सूचनाएं मिली हैं उसमें माननीय टण्डन जी, मौर्या जी और प्रमोद जी की भी सूचनाएं हैं। सारी सूचनाओं को हमने नियम-56 में परिवर्तित किया है। उसमें आपको बोलने का अवसर मिलेगा। वह तो सही है लेकिन यह प्रश्न प्रहर तो चलने दीजिए। मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर चले जायं।

(नारे लगते रहे)

श्री अध्यक्ष-

अब चलें इतना बहुत हो गया।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुना करते हुए बसपा के सदस्यगण द्वारा लगातार नारे लगाये जाते रहे)

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इतना गम्भीर प्रकरण है इसलिये मैं इस पर सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, जब आपको सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया जायेगा तब सरकार से भी जवाब आ जायेगा। इसलिये मौर्या जी, अब इसका क्या औचित्य है ? पाल साहब आप तो चलिये। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

जो सूचना माननीय टण्डन जी ने दी है, माननीय मौर्या जी, माननीय तिवारी जी ने दी है जिस प्रश्न को लेकर आप लोग वेल में हैं उस प्रश्न पर आपको ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया जायेगा। इसलिये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपने-अपने स्थान पर चले जांय।

(नारे लगाने का क्रम जारी रहा)

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, एक बात साफ हो गयी है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस एक हो गई है। अब इसमें कोई कमी नहीं है। मान्यवर, यह बात स्पष्ट हो गई है कि बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल एक हो गये हैं, नंगे होकर एक हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। बहुत हो गया। आपसे मेरा आग्रह है कि आप लोग अपनी अपनी सीटों पर चले जायं। माननीय ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) जी आप अपनी सीट पर चलें। आपकी बात आ गई। आपकी बात को मैंने पढ़ा है, देखा है।

(श्री अध्यक्ष के अनुरोध को अनसुना करते हुए फ्लोर पर खड़े सदस्य नारे लगाते हुए डायस की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

देखिये यह माननीय कालीचरण राजभर जी, इतना जोर से नारा क्यों लगाते हैं ? आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। अच्छा मैं 20 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

[फ्लोर पर खड़े बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के फ्लोर पर ही बैठ गये। श्री अमर सिंह (निर्दलीय) भी उनके साथ फ्लोर पर बैठ गये।]

(11 बजकर 25 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है। 11 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक और बढ़ा दिया है।)

नोटः- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में गिरती कानून व्यवस्था तथा पुलिस बल में अनुशासन की स्थिति में सुधार के उपाय

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्षेत्राधिकारी, चौक, श्री राजेश साहनी को 30 मई, 2006 को कुछ असामाजिक तत्वों ने दिन दहाड़े जीप के बोनट पर लटकाकर शहर में घुमाया था ? क्या यह भी सही है कि इसी तरह की एक घटना 18 जुलाई, 2006 में ट्रैफिक इन्सपेक्टर श्री जे0 पी0 सिंह, लखनऊ के साथ भी हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा प्रदेश की राजधानी में गिरती कानून व्यवस्था तथा पुलिस बल में अनुशासन की स्थिति में सुधार के कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

जी हां।

जी हां।

प्रदेश की राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है तथा पुलिस बल का अनुशासन उच्च स्तर का है, उनके मनोबल को उन्नत करने हेतु जनपद में कर्मचारी समस्या निवारण प्रकोष्ठ स्थापित कर उनकी व्यक्तिगत/सेवा सम्बन्धी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाता है। प्रत्येक थाने में कर्मचारियों का सम्मेलन कर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक माह पुलिस लाइन में सैनिक सम्मेलन कर सभी थानों/शाखाओं के कर्मियों की समस्याओं को नोट कर उनका त्वरित निदान किया जाता है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में आंतकवादी गतिविधियों में बृद्धि को रोकने के उपाय

*1-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु कोई आतंक निरोधी कार्यबल के गठन तथा अन्य उपायों पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में वर्ष 2000 में 7 आतंकवादी घटनाएं घटित हुई, वर्ष 2001, 2005 एवं 2006 में क्रमशः 2,2 एवं 3 घटनायें घटित हुई हैं। वर्ष 2002, 2003 एवं 2004 में कोई आतंकवादी घटना घटित नहीं हुई। इस प्रकार आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि होना परिलक्षित नहीं होता है।

नोट :-उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

प्रदेश में कोई अलग से आतंक निरोधी कार्यबल के गठन पर विचार नहीं किया जा रहा है, जहां तक प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को नियन्त्रित किये जाने का सम्बन्ध है, प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य योजना बनायी गई हैं:-

(1) आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु अभिसूचना विभाग के मुख्यालय तथा संवेदनशील जनपदों में 39 विशेष कोष्ट इकाइयों का गठन, उ0प्र0 नेपाल सीमा से आवागमन पर दृष्टि रखने हेतु 8 चेकपोस्ट स्थापित हैं तथा 13 नेपाल वार्डर इकाइयों की स्थापना की गयी है।

(2) आतंकवादी गतिविधियों के संवेदनशील 34 जनपदों में जिला स्तर पर है त्रैमासिक तथा मण्डल स्तर पर छमाही समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) उ0प्र0 नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्थायी समिति का गठन किया गया है तथा पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ/गोरखपुर की अध्यक्षता में दो टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

(4) 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिये बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का पाइलेट प्रोजेक्ट प्रचलित है एवं भारत नेपाल के मूल नागरिकों को आने जाने के लिए सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 1-1-2005 से बहराइच जनपद के रुपई डीहा में आवागमन की रिकार्डिंग व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है।

(5) आतंकवादियों की घटनाओं को रोकने हेतु सशस्त्र सीमाबल, स्पेशल टास्क फोर्स भी कार्यरत है।

इसके अतिरिक्त आतंकवाद को रोकने हेतु चेकिंग/सघन चेकिंग करायी जाती है। संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाता है। सतर्क दृष्टि रखी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

सिमी संगठन पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को दिये गये निर्देश

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के आधार पर "सिमी" संगठन पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को कोई निर्देश माह जुलाई, 2006 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव कराने पर विचार

*2-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

नागर स्थानीय निकाय के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

*3-श्री हुकुम सिंह-

[2सरे मंगलवार के तारांकित प्र0सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में गत वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम योजना में चयनित जनपदों की जानकारी

*4-डा0 सुशील चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किया गया ग्रामीण रोजगार अधिनियम प्रदेश में लागू कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किन-किन जनपदों को उक्त योजना में इस वर्ष चयनित किया गया है तथा रोजगार देने हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)-

जी हां।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम प्रदेश में 2 फरवरी, 2006 से लागू किया गया है।

उक्त योजना में भारत सरकार द्वारा 22 जनपदों यथा-आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, चन्दौली, चित्रकूट, फतेहपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, खीरी, ललितपुर, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र एवं उन्नाव को वर्ष 2005-06 में चयनित किया गया। चर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रदेश के किसी भी जनपद को भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत चयनित नहीं किया गया है।

योजनान्तर्गत मांगे जाने पर पंजीकृत परिवारों के श्रमिक सदस्यों को एक वर्ष में सम्मिलित रुप से 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इस हेतु मार्ग निर्देशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन किया जा रहा है तथा मांगे जाने पर नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*5-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*6-डा0 अजय कुमार-

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय

*7-श्री जगदम्बिका पाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने एवं उनके लिये पुनर्वास पैकेज लागू करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए स्वीकृत 'पुर्नवास पैकेज' के अन्तर्गत दंगा पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने का निर्णय दिनांक 22-07-2006 को लागू कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त कार्यालयों में पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करने की मांग

*8-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सचिवालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह किस उद्देश्य से लागू किया गया था ? क्या सरकार राज्य के समस्त कार्यालयों में समान रूप से पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रशासन में स्वस्थ कार्य संस्कृति के विकास, कार्य कुशलता एवं बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सचिवालय तथा विभागाध्यक्ष कार्यालय में (शिक्षण, बैकिंग संस्थान तथा उत्पादकता से जुड़े सरकारी विभाग, वाणिज्यिक उपक्रमों को छोड़कर) पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने का निर्णय लिया गया था।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद स्तर के कार्यालय विकास कार्यों से सम्बन्धित होते हैं तथा इनका सीधा सम्पर्क जनता से होता है, अतः जनपद स्तर पर पांच दिवसीय कार्य व्यवस्था व्यवहारिक तथा कार्य हित में सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ में ग्रामीण पेयजल सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना में स्वीकृत धनराशि

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ में अपनी बैठक दिनांक 2-2-04 में वित्तीय वर्ष 2004-05 में ग्रामीण पेयजल सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना में कनधई मधुपुर, सैफाबाद, रामगंज नरहरपुर मेहदिया के

अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु 213.60 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो कार्य को पूर्ण कराने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी नहीं।

जिला नियोजन समिति, प्रतापगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 में ग्रामीण पेयजल सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रश्नाधीन 05 योजनाओं का अंश रु0 90.00 लाख था। वित्तीय वर्ष 2004-05 में स्वीकृत की गई धनराशि में से उक्त 05 योजनाओं पर निर्माण हेतु रु0 49.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।

योजनाओं पर अवमुक्त धनराशि के अनुरूप प्राविधानित कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सोनभद्र के रोहिनिया दामर, झिरगाडंडी आदि गांवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने की मांग

2-डा0 सुशील चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फ्लोराइड युक्त भूमिगत पानी पीने से जनपद-सोनभद्र के गांव रोहिनियां दामर, झिरगाडंडी, कुड़वा, कचनरवां ग्राम सभा समेत अन्य गांवों के हजारों की संख्या में लोग अपंगता की चपेट में आ गये हैं ? यदि हां, तो सरकार शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी नहीं। किन्तु जनपद-सोनभद्र में फ्लोराइड युक्त चिन्हित 37 ग्राम जिसमें रोहिनियां दामर ग्राम-कचनरवां ग्राम कचनरवां, झिरगाडंडी, ग्राम-पड़रछ तथा ग्राम-कुड़वा, सम्मिलित है, में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान फ्लोराइड से प्रभावित 24 रोगी चिन्हित किये गये हैं, जो दांत और हड्डी रोग से प्रभावित हैं।

इन ग्रामों में चिकित्सा दल बनाकर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिन्हें शुद्ध पेयजल पीने का परामर्श दिया गया है।

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु फ्लोराइड युक्त ग्राम रोहनिया दामर (कचनरवां) में 01 तथा ग्राम-पड़रछ में 02, 1800 वाट क्षमता के सोलर पम्प पेयजल योजना का निर्माण किया गया है।

स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2004-05 में ग्राम पंचायत कचनरवां के ग्राम-रोहनियां दामर, हडबडिया, लाउआ खाड़ी एवं नरोइया दामर, ग्राम पंचायत जरहा, रजमिलान एवं पन्नूगंज में मिनी पाइप पेयजल के टंकी के निर्माण हेतु धनराशि ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध करा दिया गया है। जिसके सापेक्ष कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। शेष फ्लोराइड युक्त ग्रामों को स्वजल धारा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में चयनित किया गया है, जिसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) आदि तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी में कार्य के बदले अनाज योजना में धन की मांग

3-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-खीरी के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज योजना में कुल कितना धन शासन द्वारा अवमुक्त किया गया है और उससे कौन-कौन से कार्य कराये गये हैं तथा विधान सभा क्षेत्र निघासन में इस योजना के तहत कौन-कौन से कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण, में मनोज इन्टरप्राइजेज, लखनऊ फर्म द्वारा फर्जी एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी का मामला

4-श्री श्याम सिंह अहेरिया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में मनोज इन्टरप्राइजेज, लखनऊ फर्म द्वारा वर्ष 2005 में स्वीकृत कार्यों की धरोहर धनराशि में फर्जी एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी का मामला प्रकाश में आया था ? यदि हां, तो उस पर जांचोपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा प्रदेश में दहेज हत्याओं को रोकने की योजना

5-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अप्रैल, 2004 से जुलाई, 2006 तक दहेज हत्या की कितनी घटनायें हुई हैं ? क्या सरकार इन हत्याओं को रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में अप्रैल, 2004 से जुलाई, 2006 तक 3843 दहेज हत्या की घटनायें घटित हुई हैं।

प्रदेश सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए प्रयत्नशील है। वर्ष, 2001 से प्रदेश के समस्त जिलों के नियन्त्रण कक्ष में महिला हेल्प लाइन की व्यवस्था की गयी है, जहां महिला उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों की त्वरित सुनवाई होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

गत वर्ष में पी0सी0एस0 संवर्ग के रिक्त पदों एवं प्रतीक्षा सूची की जानकारी

6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1-7-2005 से जुलाई, 2006 तक पी0सी0एस0 संवर्ग के कितने पद रिक्त हैं तथा इस संवर्ग के कितने अधिकारी प्रतीक्षा सूची में है, जिनको अभी तक तैनाती नहीं मिली है ? क्या सरकार प्रतीक्षा सूची के अधिकारियों की तैनाती हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी जिससे पी0सी0एस0 संवर्ग के अधिकारी एक सप्ताह से ज्यादा प्रतीक्षा सूची में न रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पी0सी0एस0 संवर्ग के कुल 93 पद रिक्त हैं।

सम्प्रति केवल 01 अधिकारी प्रतीक्षा में है, जिनकी तैनाती विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजाहांपुर की जिला योजना से विसरात घाट के सुदृढ़ीकरण तथा पुस्तकालय हेतु स्वीकृत धन को अवमुक्त कराने की मांग

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2002-03 में शाहजहांपुर की जिला योजना से विसरात घाट के सुदृढ़ीकरण के लिए 15 लाख रुपया तथा पुस्तकालय के लिए 16 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत धनराशि में से 80% धनराशि का उपयोग होने के बाद भी 20% धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी ? यदि हां, तो उक्त अवशेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

जी हां।

जी हां।

विसरात घाट के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि 15 लाख रुपये का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसकी धरोहर राशि 20 प्रतिशत अवमुक्त किए जाने हेतु पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित की जा रही है, जो शीघ्र भेज दी जायेगी।

विसरात घाट पर लाइब्रेरी के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि 16 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्यदायी संस्था जिला पंचायत शाहजहांपुर द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात 20 प्रतिशत धरोहर राशि का भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भाऊराव देवरस आवासीय योजना प्रताप बिहार के आवंटियों को आवंटन प्रमाण-पत्र दिये जाने की जानकारी

8-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा भाऊराव देवरस आवासीय योजना प्रताप बिहार के तहत 27-8-2003 को हुए ड्रा के सफल आवंटियों को आवंटन प्रमाण-पत्र कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इस प्रकरण में शासन स्तर पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

9-श्री कौशल किशोर-

[दिनांक 11-10-2006 के अता0 प्र0 सं0-22 द्वारा उत्तरित]

10-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[दिनांक 25-8-2006 के अता0 प्र0 सं0-34 द्वारा उत्तरित]

जनपद-लखनऊ के पुराना किला कैन्ट रोड पर निर्मित पुल के नीचे से अवैध कब्जा हटाने की मांग

11-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के पुराना किला (बाबू बनारसी दास नगर) में कैण्ट रोड में नवनिर्मित पुल के नीचे सड़क स्थल पर फल/सब्जी दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से स्थायी कब्जा कर लिया गया है जिसके कारण सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जेदारों से सड़क खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

कैन्ट रोड नवनिर्मित पुल के नीचे कुछ फल व सब्जी विक्रेताओं ने अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया था, जिसे हटवा दिया गया है। अब यातायात प्रभावित नहीं हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मवैया में नवनिर्मित पुल के नीचे व दोनों साइड से अवैध कब्जा हटाने की जानकारी

12-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित मवैया में नवनिर्मित पुल के नीचे सड़क स्थल पर फल, सब्जी के दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से स्थायी कब्जा कर लिया गया है जिसके कारण सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को खाली करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 11-9-06 को संयुक्त अभियान चलाकर पुलिस बल के सहयोग से मवैया उपरिगामी सेतु के नीचे व दोनों साइड लेनों पर सब्जी बेचने वालों के साथ-साथ अन्य ठेले वालों के 40 अस्थायी प्रकार के अतिक्रमणों को हटवाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद हरदोई के कस्बा सण्डीला में स्वच्छ पेयजल की पूर्ति में सुधार की व्यवस्था

13-डॉ0 अजय कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई के कस्बा सण्डीला में स्वच्छ जलापूर्ति हेतु मात्र चार ट्यूबवेल स्थापित हैं ? क्या यह सही है कि पूरी क्षमता से न चलाये जाने के कारण तथा अधिकांश इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प खराब होने के कारण उक्त कस्बे में पेयजल का घोर संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जलापूर्ति में सुधार हेतु कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

सण्डीला नगर में जलापूर्ति हेतु कुल 5 नग नलकूप स्थापित हैं।

स्थापित 5 नग नलकूपों में से 3 नग नलकूप वर्तमान में चालू हैं तथा 2 नग नलकूप समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण निष्प्रयोज्य हो गये हैं। 03 नग नलकूप तथा 115 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों से जलापूर्ति की जा रही है। अतः नगर क्षेत्र सण्डीला में पेयजल का कोई संकट नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विगत वर्षों में हुई राजनैतिक हत्यायें तथा हत्याओं को रोकने की योजना

14-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004 तथा वर्ष 2005 में कितनी राजनैतिक हत्यायें हुई हैं ? सरकार ने प्रदेश में बढ़ रही राजनैतिक हत्याओं को रोकने हेतु क्या कोई योजना बनाई है ? क्या सरकार अपराधियों को राजनीति से दूर रखने के लिए कोई कानून बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उ0प्र0 में वर्ष 2004 में 08 तथा 2005 में 13 राजनैतिक हत्याएं हुई हैं।

हत्या एवं अन्य अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये कार्य योजना/शासन द्वारा कानून एवं व्यवस्था में सुधार हेतु समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रभावी गस्त, पीकेट, काम्बिंग की व्यवस्था तथा आकस्मिक चेकिंग करायी जाती है ताकि अपराध एवं अपराधियों

पर नियंत्रण पाया जा सके। हत्या की घटनाओं की रोकथाम के लिए पूर्व में हुई हत्याओं/हमलों की स्थिति का आकलन करके रंजिश को दृष्टिगत रखते हुए निरोधात्मक कार्यवाही एवं पेशेवर हत्यारों को चिन्हित कर गिरफ्तारी आदि की कार्यवाही की जाती है। आवश्यकतानुसार राजनैतिक व्यक्तियों को गनर/शैडो सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

इस सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है।

जनपद-लखनऊ के ग्राम तकरोही में खसरा सं0-354, 260-564 का कब्जा भू-स्वामियों को दिये जाने की जानकारी

15-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा 2 में वैधानिक व्यवस्था है कि जिस भूमि का राज्य सरकार द्वारा वास्तविक कब्जा/कब्जा राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया, वह भूमि राज्य सरकार का नाम काटकर भूमि भूधारक को परिवर्तित कर दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या जनपद-लखनऊ के ग्राम तकरोही में खसरा संख्या 354, 260, 564 का कब्जा, राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है ? उक्त भूमि पर भूधारक के वारिसानों/भूधारक कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के सम्बन्ध में निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि, भूस्वामी को परिवर्तित करने हेतु सचिव, आवास उ0प्र0, शासन को आदेशित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा-3 की उपधारा-2 निम्नवत् है :-

(क) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन किसी भूमि को राज्य सरकार में निहित होना माना गया है किन्तु जिसका कब्जा राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा निमित्त सम्यक् रुप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी ने नहीं लिया है ; और

(ख) ऐसी किसी भूमि की बावत जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा किसी रकम का संदाय कर दिया गया है तब तक प्रत्यावर्तित नहीं की जाए जब तक कि राज्य सरकार को संदाय की गई रकम का यदि कोई हो, प्रतिदाय नहीं कर दिया जाता।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 में विहित प्राविधानों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरणों में अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि पर राज्य सरकार का विधितः कब्जा स्थापित है और राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार का नाम अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के आवासीय भवन सेक्टर-ए, फेस-दो सं0-ई0एस0आई0बी0/129 का व्यावसायिक प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

16-श्री कपिल देव यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के आवासीय भवनों का व्यवसायिक प्रयोग पर प्रतिबन्ध है ? यदि हां, तो क्या एल0डी0ए0 कालोनी, सेक्टर-ए, फेस-दो के आवास संख्या-ई0एस0आई0पी0/129 के व्यवसायिक उपयोग होने के कारण प्रतिबन्ध लगाने हेतु राज्य मंत्री, नगर विकास का आदेश सं0 133/सा0/रा0नं0न0वि0/2006, दिनांक 25-4-06 नगर आयुक्त, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त भवन पर हो रहे व्यवसायिक उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

पत्र दिनांक 25-4-2006 लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है। स्थल पर आवास संख्या- ई0एस0आई0पी0/129 के स्थान पर ई0एस0आई0बी0/129 है।

जी हां।

दिनांक 22-8-2006 को लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार भवन का व्यवसायिक उपयोग भवन स्वामिनी द्वारा बन्द कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा फिल्मों को मनोरंजन-कर से मुक्त करने से हुई राजस्व की हानि की जानकारी

17-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2005 की अवधि में प्रदेश सरकार द्वारा कितनी फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है ? मनोरंजन कर मुक्त फिल्मों के अभिनेता अमिताभ बच्चन, अभिनेता मनोज बाजपेयी तथा अभिनेता राज बब्बर की फिल्मों की अलग-अलग वर्षवार क्या संख्या थी ? उक्त अवधि में मनोरंजन कर मुक्त करने से वर्ष 2004 तथा 2005 में प्रदेश को अनुमानित कितने राजस्व की हानि हुई है ?

मनोरंजन कर राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश सिंह)-

दिनांक 01 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2005 तक कुल 32 फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया है।

इन अभिनेताओं के करमुक्त फिल्मों की वर्षवार संख्या निम्नवत् है :-

अभिनेता का नाम	वर्ष 2004	वर्ष 2005
अमिताभ बच्चन	03	03
मनोज बाजपेयी	00	01
राज बब्बर	01	01

उक्त अवधि में यदि सम्बन्धित फिल्मों को कर मुक्त नहीं किया जाता तो वर्ष 2004 में रु0 2.83 करोड़ तथा वर्ष 2005 में रु0 2.23 करोड़ की राजस्व प्राप्ति सम्भावित होती।

जनपद जालौन विधान सभा क्षेत्र कालपी में जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर अधिष्ठापित किये गये हैण्डपम्पों का विवरण

18-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालपी जनपद-जालौन में कालपी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट के निराकरण हेतु 250 हैण्डपम्प स्वीकृत करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय के पृष्टांकन/पत्रसी0एम0/वि0को0/ एम0141400/2006, दिनांक 25-3-06 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अधिष्ठापित 1000 हैण्डपम्पों में से विधान सभा क्षेत्र कालपी हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा 125 हैण्डपम्प स्थलों की सूची उपलब्ध कराई गई जिसके सापेक्ष 86 हैण्डपम्पों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सूची के सापेक्ष 115 हैण्डपम्पों अर्थात् कुल 201 हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन ग्राम जैसंगपुर ग्राम पंचायत छानीअहीर वि0 स0 कुठौंद में जयन्त सिंह कुशवाहा के घर के सामने हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

19-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कोटा के अन्तर्गत प्रस्तावित हैण्डपम्प जो कि ग्राम जैसंगपुर, ग्राम पंचायत छानी अहीर, वि0ख0 कुठौंद जनपद जालौन में जयन्त सिंह कुशवाहा के घर के सामने लगाये जाने के लिए प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-3-233441, दिनांक 01-10-02 को क्रमांक 21 पर जिलाधिकारी, जालौन को लिखा गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त हैण्डपम्प लगा दिया गया ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, जालौन को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र-क-3-201846, दिनांक 10-04-2006 पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 लोकायुक्त उ0प्र0 द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री उ0 प्र0 को प्रेषित प्रतिवेदन पर कार्यवाही की जानकारी

20-श्री राम कृपाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 लोकायुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन को प्रेषित प्रतिवेदन संख्या-16/2005, पत्रांक-1255/2002/51/4468 दिनांकित-29 जुलाई, 2005 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, मा0 लोकायुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्रेषित प्रश्नगत प्रतिवेदन संख्या-16/2005 शासन में प्राप्त हुआ है। उक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है।

21-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कुछ मार्गों के निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

22-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कुछ मार्गों के निर्माण हेतु प्रस्ताव/आगणन प्राप्त कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/138968, दिनांक 20-2-06 प्रमुख सचिव नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग की प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों को कराये जाने पर विचार करने हेतु लोक निर्माण विभाग को संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मार्ग निर्माण एवं पुल निर्माण का लोक निर्माण विभाग को संदर्भित प्रकरण

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मार्ग निर्माण एवं पुल निर्माण त्वरित आर्थिक विकास योजना में कराये जाने एवं उनकी स्वीकृति हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/

142386/06, दिनांक 07-04-06 प्रमुख सचिव नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित-पत्र में प्रतापगढ़ जनपद से सम्बंधित नियोजन विभाग के पत्र संख्या-वीआईपी-212/35-4-2006 दिनांक 16 मार्च, 2006 के माध्यम से प्राप्त किये गये मार्गों के आगणनों को स्वीकृत करने की अपेक्षा की गयी। संदर्भित पत्र द्वारा जनपद से 4 कार्यों के आगणन मांगे गये थे। सम्यक विचारोपरांत लोक निर्माण विभाग की प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत उक्त कार्यों को कराये जाने पर विचार करने हेतु लोक निर्माण विभाग को संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री छेदा लाल पुत्र श्री गयादीन ग्राम भिटारी, तहसील कालपी जनपद जालौन को कैंसर के इलाज हेतु मुख्य मंत्री कार्यालय से धन की स्वीकृति

24-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि श्री छेदालाल पुत्र गयादीन निवासी ग्राम भिटारी तहसील कालपी जनपद जालौन, को मुंह के कैंसर का इलाज कराने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-3/265452 दिनांक 12-6-06 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 20-9-2006 द्वारा श्री छेदा लाल पुत्र श्री गयादीन जालौन को कैंसर के उपचारार्थ रु0 30,000/-(रुपया तीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर जे0ए0ग्रुप आफ हास्पिटल, ग्वालियर को भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

25-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विधायक निधि/सांसद निधि से कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में लगाये जाने वाले शिलापट्ट पर अन्य राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं के नाम भी अंकित कराये जाने की मांग

26-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विधायक निधि, सांसद निधि से कराये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त जो कार्य अवस्थापना निधि अथवा

11 वें, 12 वें वित्त आयोग से प्राप्त धन से कराये जाते हैं, उन कार्यों के सम्बन्ध में जो शिलापट्ट लगाये जाते हैं क्या उनमें निर्वाचित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के नामों के अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं के भी नाम अंकित कराये जाने हेतु कोई शासनादेश अथवा अर्ध0शा0 पत्र द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो वह निर्देश क्या हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का लोक निर्माण को संदर्भित विवरण

27-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 5 मार्गों को त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी का पत्र सं0 सी0 एम0/वि0को0/एम0/138072/06 दिनांक 27-1-06 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने पर विचार करने हेतु संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 4 मार्गों के निर्माण की स्वीकृति हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी का पत्र सं0 सी0 एम0/वि0 को0/एम0/137785/06 दिनांक 23-01-2006 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

सम्यक् विचारोपरान्त लोक निर्माण विभाग की प्रचलित योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों को कराये जाने पर विचार करने हेतु लोक निर्माण विभाग को संदर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मायानगर एवं सराय हसनगंज में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की संख्या एवं उनकी स्थिति

29-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के माया नगर; महल वाली रोड व सराय हसनगंज में 15-7-06 की स्थिति के अनुसार कितने इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प सही कार्य कर रहे हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्ड पम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मायानगर व महल वाली रोड में कुल 7 नग हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं, जिसमें से 4 नग चालू हैं एवं 3 नग रिबोर योग्य हैं तथा सराय हसनगंज में कुल 13 नग हैण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं जिसमें से 12 नग चालू हैं एवं 01 नग रिबोर योग्य हैं।

जी हां।

लखनऊ जल संस्थान से प्रश्नगत रिबोर योग्य हैण्डपम्पों को सूची प्राप्त कर ली गयी है। रिबोर कार्य कराकर हैण्डपम्पों को शीघ्र ही ठीक कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में स्थित ओंकार नगरीय सहकारी बैंक लि0 में कार्यरत कर्मचारियों को प्रबन्ध समिति द्वारा वेतन का निर्धारण

30-श्री कौशल किशोर-

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर में स्थित ओंकार नगरीय सहकारी बैंक लि0 में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 1998 से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करते हुये वेतनमान लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री शारदा नन्द अंचल)-

संकलित वेतन दिया जा रहा है।

जी नहीं।

नगरीय बैंक के कर्मचारियों का वेतन बैंक की प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ग्राम निहाल खेड़ा निवासियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराने की मांग

31-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव, ब्लाक-असोहा, मजरे-मिरीकलां, ग्राम-निहालखेड़ा निवासियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि

स्वीकृत किये जाने विषयक माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा का पत्र सं0 192/उपा0 वि0 स0/2006, दिनांक 10 अप्रैल, 2006 मुख्य विकास अधिकारी, जनपद उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त योजना हेतु कब तक धन आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां। माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा का पत्र सं0-192/उपा0वि0स0/2006, दिनांक 10 अप्रैल, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुआ है। यह पत्र श्री राम नरेश पुत्र दुलारे, निवासी निहालखेड़ा, विकासखण्ड असोहा, जनपद उन्नाव को इन्दिरा आवास हेतु धन आवंटन से सम्बन्धित है।

डी0आर0डी0ए0 की शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में विकास हेतु चयनित समग्र ग्रामों में ही इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाये। शासी निकाय द्वारा ग्राम निहालखेड़ा का चयन होने के उपरान्त ही धनावंटन सम्भव हो पायेगा।

ग्राम निहालखेड़ा समग्र ग्राम में चयनित नहीं है।

जनपद लखनऊ के तेलीबाग एवं बल्देव विहार में नाली एवं सड़क निर्माण कराये जाने की मांग

32-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बल्देव विहार (खारिका), तेलीबाग, लखनऊ में नाली /सड़क बनाये जाने विषयक वहां के निवासियों के प्रार्थना पत्र सहित श्री राजपाल सिंह वालियान, स0 वि0 स0 के उपरिपत्र पर समस्या का निदान कराने के आदेश सहित आपका पत्र सं0 3594/वी0 आई0 पी0, दिनांक 17 दिसम्बर, 2005 नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के मुख्य विकास अधिकारी को श्री गया प्रसाद निवासी भदावल को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराने सम्बन्धी पत्र

33-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके कैम्प कार्यालय विधान भवन लखनऊ का पत्रांक संख्या 220/सामान्य/2005, दिनांक 10-2-05 तथा संख्या-166/ वी0 आई0 पी0/2005, दिनांक 15-2-2005 जो इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने विषयक है, मुख्य विकास अधिकारी बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पत्र में उल्लिखित याचीगणों को इन्दिरा आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री राजपाल त्यागी-

मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती की आख्यानुसार पत्र संख्या-166/वी0आई0पी0/2005, दिनांक 15-02-2005 उन्हें प्राप्त हुआ है, जबकि पत्र संख्या-220/सामान्य/2005 दिनांक 10-02-2005 प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 15-02-2005 के पत्र में श्री गया प्रसाद, निवासी भदावल विकास खण्ड हरैया, जनपद बस्ती के प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

जी, नहीं।

गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की सूची को अंतिम रूप दिये जाने का कार्य चल रहा है। सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद नियमानुसार इन्दिरा आवास आवंटन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में विगत पांच वर्षों में पुलिस अभिरक्षा में हुई अभियुक्तों की मृत्यु एवं पुलिस अभिरक्षा से भागने में सफल अभियुक्तों का विवरण

34-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों में पुलिस अभिरक्षा में कितने अभियुक्तों की मृत्यु हुई तथा कितने अभियुक्त भागने में सफल हुये ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा संबंधित पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश में विगत 05 वर्षों (2001 से 2005 तक) में पुलिस अभिरक्षा में कुल 42 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा पुलिस अभिरक्षा से 906 अभियुक्त भागने में सफल हुए। अभिरक्षा में मृत्यु के मामले में 111 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध एवं पुलिस अभिरक्षा से भागने के मामले में 1435 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

जनपद लखनऊ के हुसैनगंज चौराहे से हजरतगंज चौराहे तक विधान सभा मार्ग पर फ्लाई ओवर बनाने की मांग

35-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा पूर्वी क्षेत्र लखनऊ में विधान सभा मार्ग से हजरतगंज बड़े चौराहे पर यातायात की गम्भीर समस्या को देखते हुये हुसैनगंज चौराहे से सिकन्दरबाग चौराहे तक फ्लाई ओवर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

वर्तमान में नगर निगम, लखनऊ द्वारा कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के हजरतगंज क्षेत्र में भूमिगत पार्किंग बनाने की योजना

36-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में हजरतगंज क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या भोपाल हाउस लालबाग में भूमिगत पार्किंग बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो पार्किंग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा भोपाल हाऊस के सामने मार्ग पर भूमिगत पार्किंग के निर्माण हेतु योजना धनांक 21.00 करोड़ की प्रस्तावित है।

योजना का क्रियान्वयन धन की उपलब्धता होने पर सम्भव हो सकेगा। योजना एन0यू0आर0एम0 में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के नाका हिन्डोला चारबाग स्थित हैदर कैनाल पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग

37-श्री विद्यासागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाका हिन्डोला चारबाग लखनऊ स्थित हैदर कैनाल पर निर्मित पुल पर अतिक्रमण होने से नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमण को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

हैदर कैनाल पर निर्मित पुल पर अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण है, जिसे नगर निगम, लखनऊ द्वारा समय-समय पर हटाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण सुविधा बहाल किये जाने की मांग

38-श्री कौशल किशोर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण की सुविधा पर रोक लगी है ? यदि हां, तो उक्त सुविधा को कब तक बहाल कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां,

उक्त सुविधा बहाल किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश शासन की कठिन वित्तीय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए।

जनपद लखनऊ में शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये महानुभावों को शैडो/गनर की सूची तथा उनके आपराधिक इतिहास पर सुरक्षा वापसी के आदेश

39-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद लखनऊ में 30 जून, 2006 को ऐसे कितने लोग हैं जिनको सरकार द्वारा सुरक्षा (गनर) की सुविधा दी गई है ? उनके नाम तथा पते क्या हैं ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि सुरक्षा का उपभोग करने वाले कितने लोगों का आपराधिक इतिहास भी है ? क्या सरकार ऐसे लोगों से सुरक्षा (गनर) वापस करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। कुल 296 महानुभावों को सुरक्षा (गनर) प्रदत्त कराये गये हैं। सूची संलग्न है।

जी हां। कुल 25 महानुभावों के आपराधिक इतिहास हैं।

जी हां। समीक्षोपरान्त कुल 06 महानुभावों की सुरक्षा वापस लिए जाने के आदेश निर्गत किए गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-115-128 पर)

लखनऊ स्थित दारुल शफा में कर्पूरी ठाकुर सेवा स्मृति संस्थान को कक्ष आवंटित किये जाने की मांग

40-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रायल होटल विधायक निवास-4 लखनऊ में रिक्त कक्ष संख्या-55-56 तथा दारुलशफा ए ब्लाक में रिक्त कक्ष संख्या 17-18 में से एक कक्ष कर्पूरी ठाकुर सेवा स्मृति संस्थान को आवंटित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 8 कम्प्यूटर संख्या सी-10136298 पत्र सं0 सी0 एम0/वि0 को0/एम0-136298/2005 दिनांक 20-12-2005 राज्य सम्पत्ति अधिकारी लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था को आवास आवंटित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार कक्ष आवंटन का अवसर नहीं पाया गया।

जनपद लखनऊ के थाना कैन्ट में दर्ज अपराध संख्या-144/2004 में लगी फाइनल रिपोर्ट की पुनः विवेचना कराने की मांग

41-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के थाना कैंट में अपराध सं0-144/2004 धारा-452,506 भा0द0सं0 में दिनांक 12-7-2004 को श्रीमती जुबेदा खातून उर्फ गुड्डी तथा मो0 इस्माइल पुत्र इब्राहिम के विरुद्ध श्री आर0 एस0 राजौरिया द्वारा अपराध पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक रामकुमार शर्मा को दी गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त विवेचना में राजकुमार शर्मा द्वारा बगैर घटना स्थल का निरीक्षण किये तथा बगैर वादी के बयान लिये दिनांक 13-7-2004 को उक्त मुकदमें में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उक्त मुकदमें की विवेचना पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ द्वारा थाना ठाकुरगंज को सौंपी गई थी ? क्या यह सही है कि अभी तक विवेचक द्वारा वादी के बयान दर्ज नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सी0बी0सी0आई0डी0 से विवेचना कराकर उक्त दोनों विवेचकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं, बयान वादी तथा वादी की पत्नी का बयान लेकर व घटना स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त जुर्म का न होना पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट सं0-39/04 दिनांक 17-7-04 प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त के बाद मुकदमें की पुनर्विवेचना के आदेश दिनांक 1-11-04 को थाना ठाकुरगंज को दिये गये। पुनर्विवेचना में भी बयान वादी व उनकी पत्नी का अंकित किया गया तथा पुनर्विवेचना से भी जुर्म का न होना पाया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त आख्यानुसार प्रकरणान्तर्गत इस विवेचना में विवेचक निरीक्षक घटनास्थल, बयान वादी, बयान साक्षी अंकित किया गया है विवेचकों द्वारा विवेचना में कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है तथा विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। तद्नुसार प्रकरण में विवेचकों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने अथवा प्रकरण की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने का औचित्य नहीं बनता है।

जनपद कानपुर एवं लखनऊ में सर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने की समयबद्ध योजना

42-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद कानपुर तथा लखनऊ में सर पर मैला ढोने की प्रथा लागू है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रथा को कब तक समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

सर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्ति की प्रक्रिया में है।

सरकार द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं तथा मार्च, 2007 तक इस प्रथा का समूल नाश करने हेतु समयबद्ध योजना बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, बीरापुर रानीगंज थाना क्षेत्रान्तर्गत अवधानपुर में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र कर पिटाई की घटना

43-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-प्रतापगढ़, बीरापुर रानीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अवधानपुर में 1 जुलाई, 2006 से 20 जुलाई, 2006 के मध्य दलित महिलाओं को निर्वस्त्र कर पिटाई की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दिनांक 1 जुलाई, 06 से 20 जुलाई, 06 के मध्य जनपद प्रतापगढ़ बीरापुर रानीगंज थाना क्षेत्रान्तर्गत अवधानपुर में दलित महिलाओं को निर्वस्त्र कर पिटाई की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के विद्युत विभाग में हुई अनियमितताओं के विरुद्ध सी0बी0आई0 से जांच कराने की मांग

44-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-29 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री जी पुलिस द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट को सदन के मेज पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में विशेष सचिव, श्री राज्यपाल उ0प्र0 का पत्र संख्या-4621/पी0एस0एच0ई0 दिनांक 19-12-2005 जो कि प्रमुख सचिव (गृह) को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए सी0बी0आई0 जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के प्रथम सोमवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-29 के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त प्रभारी निरीक्षक, हजरतगंज की जांच रिपोर्ट संलग्न है, जिसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

जी हां, विद्युत विभाग में हुए अनियमितताओं के सम्बन्ध में उक्त पत्र गृह विभाग के पत्र दिनांक 14-2-2006 द्वारा ऊर्जा विभाग को प्रेषित करते हुए प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अतः ऊर्जा विभाग से प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 से कराये जाने हेतु स्पष्ट प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त होने पर ही गृह विभाग द्वारा विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

लखनऊ नगर के बाबूगंज मोहल्ले में नाली खड़न्जे बनाने की मांग

45-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में बाबूगंज मोहल्ले में पार्क के समीप बने सुलभ शौचालय से मकान नं0-495/84 माया नगर के आगे पुलिया तक की रोड क्षतिग्रस्त है तथा नालियां न बनी होने के कारण घरों का पानी सड़क पर एकत्र हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को ऊंचा करके नाली बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

कार्य का आगणन तैयार कर लिया गया है। धन की उपलब्धता पर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत, सकदरपुर में इन्दिरा आवास आवंटन में की गयी अनियमितता की शिकायत

46-श्री आर0 पी0 एन0 सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-45 के उत्तर के संबंध में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नगत प्रकरण में खुली बैठक में किस मापदण्ड को आधार मानकर लाभार्थियों का चयन किया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नगत लाभार्थियों की सूची में पचान्नवे प्रतिशत लाभार्थी न तो गरीबी रेखा से नीचे हैं न तो चयन के समय भूमि/भवन हीन थे ? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर अपात्र लाभार्थियों से सरकारी धन की वसूली करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-45 के संदर्भ में यह उल्लेख करना है कि इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत आवास आवंटन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में निहित प्राविधानों के अनुरूप ग्राम सभा की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन परिवार के लाभार्थियों का चयन किया गया है।

उक्त अतारांकित प्रश्न सं0-45 के साथ संलग्न सूची में उल्लिखित लाभार्थियों की पात्रता की जांच ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सेक्टर प्रभारी सकदरपुर जनपद गोण्डा से कराने के उपरान्त ही पात्र परिवारों को आवास आवंटित किया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे के भुगतान का विवरण

47-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वर्ष 2004-2005 से सितम्बर, 2005 तक प्राप्त कुल 79 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे में से मात्र 40 दावों का भुगतान किया गया है ? शेष 39 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान शेष है ? यदि हां, तो उसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

शेष 39 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान की कुल धनराशि रु0 329055.00 है। नगर निगम की आर्थिक स्थिति जर्जर है, इसके भुगतान की कार्यवाही धनराशि की उपलब्धता पर की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम कानपुर द्वारा संचालित इन्टरमीडिएट कालेजों में नियत वेतन पर कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को नियमित करने की मांग

48-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, कानपुर द्वारा कानपुर नगर में संचालित इण्टरमीडिएट कालेजों में 1000/= रुपये प्रतिमाह नियत वेतन पर कार्यरत सहायक अध्यापिकाओं को नियमित करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट कालेजों में रु0 1000/-प्रतिमाह नियत वेतन पर सहायक अध्यापिकाओं को अभिभावक शिक्षक संघ फण्ड से प्रधानाचार्यों द्वारा रखा जाता है। इनका भुगतान प्रधानाचार्यों द्वारा विद्यालय के अभिभावक शिक्षक संघ फण्ड से किया जाता है। नगर निगम द्वारा न ही इनकी नियुक्ति की गयी है और न ही इसका भुगतान नगर निगम निधि से किया जाता है। नगर निगम द्वारा इन अध्यापिकाओं को नियमित करने की कोई कार्य योजना नहीं है क्योंकि सृजित रिक्त पदों पर नियुक्ति उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा की जानी है, जिसके लिए अधियाचन जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को भेजा जा चुका है।

जनपद जालौन के कस्बा कोंच के चिकित्सक डा0 आर0बी0 जैन की क्लीनिक में हुई तोड़-फोड़ की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही

49-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कस्बा कोंच जनपद जालौन में चिकित्सक डा0 आर0 बी0 जैन की क्लीनिक में दिनांक 26 अप्रैल, 2006 को तोड़ फोड़ तथा लूट की घटना

हुई थी ? क्या उक्त घटना की शिकायत वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम दॉतरे द्वारा दिनांक 28-4-06 को पुलिस अधीक्षक, जालौन को तथा पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ को पत्र दिनांकित 14-5-06 द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दिनांक 26-4-2006 को डा0 आर0 बी0 जैन, मो0-पटेल नगर कोंच की क्लीनिक में फूल सिंह यादव पुत्र हाकिम सिंह यादव, नि0-मो0 जय प्रकाश नगर, कोंच आदि एक व्यक्ति को इलाज हेतु सायं 6.00 बजे लेकर गये थे। क्लीनिक में कर्मचारी उपस्थित थे, डा0 आर0बी0 जैन के न होने व इलाज न हो पाने के कारण कर्मचारियों व फूल सिंह यादव आदि में कहा-सुनी वाद-विवाद हुआ था एवं तोड़-फोड़ की घटना हुई थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में डा0 आर0बी0 जैन के पत्र के आधार पर थाना-कोंच में मु0अ0सं0-423/05 धारा-380/427 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त फूल सिंह यादव उपरोक्त थाना-कोंच के एक अन्य अभियोग मु0अ0सं0-397/06 धारा-387/323/504 भा0दं0वि0 में वर्तमान में जिला कारागार, उरई में निरुद्ध है। उक्त घटना के सम्बन्ध में वरिष्ठ पत्रकार श्री राधेश्याम दांतरे के पत्र दिनांक 28-4-2006 व 14-5-2006 प्राप्त नहीं हुए है बल्कि श्री दांतरे के अन्य दिनांकित पत्र दिनांक 2-5-2006 व 13-5-2006 प्राप्त हुए हैं, जिन्हें क्षेत्राधिकारी, कोंच को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

श्री शिशिर कुमार त्रिवेदी एवं श्री संजय त्रिवेदी को उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति सम्बन्धी कथित अनियमितता की जांच

50-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश नारायन राय, सभापति आश्वासन समिति, विधान सभा का पत्र दिनांक 01-06-2006 जो एक मृतक के दो आश्रितों (संजय त्रिवेदी व शिशिर त्रिवेदी) द्वारा उप निरीक्षक की नौकरी प्राप्त कर लेने से संबंधित था, पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मा0 सभापति के उक्त पत्र को पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 01 जून, 2006 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0 प्र0 को भेजकर मामले की जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये। प्रकरण की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन की वाराणसी इकाई द्वारा पूर्ण की गयी। मा0 सभापति जी द्वारा अपने कथन में अपने पैड का दुरुपयोग किया जाना स्वयं द्वारा कोई शिकायती-पत्र न भेजना तथा आरोपी व्यक्तियों को न जानना/पहचानना बताया गया है। जांच के दौरान आरोपी श्री शिशिर कुमार त्रिवेदी एवं संजय त्रिवेदी द्वारा उप निरीक्षक के पद पर चयन सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम

से होना पाया गया है। शेष 03 निरीक्षकों के विरुद्ध लगाये गये आरोप जांच से अप्रमाणित पाये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के पिलखुआ विकास प्राधिकरण क्षेत्र की महायोजना स्वीकृति की प्रक्रियाधीन कार्यवाही

51-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण में पिलखुआ क्षेत्र की महायोजना 2021 स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो क्या कोई संशोधित महायोजना शासन की स्वीकृति हेतु जनवरी, 2006 में प्राप्त हुई है ? क्या यह सही है कि इसके अभाव में भवनों के मानचित्र स्वीकृत न होने के कारण निर्माण कार्य अवरुद्ध हो गया है ? क्या सरकार उक्त महायोजना स्वीकृत हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत महायोजना स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

52-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

[तीसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगरपालिका परिषद् मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन से अलंकार सिनेमा तक पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था

53-श्री बैजनाथ दूबे-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज बस स्टेशन मुजफ्फरनगर से अलंकार सिनेमा तक 300 मीटर लम्बी एवं 35 फीट चौड़ी सड़क पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है ? क्या यह सत्य है कि सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी नगरपालिका परिषद् मु0 नगर ने दिनांक 7-4-2006 को लाइट लगाने हेतु निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो कब तक इस सड़क पर लाइट लगा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नगत स्थल पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी नगरपालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर के आदेश दि0 7-4-06 द्वारा नगरपालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर को लाइट लगवाये जाने के निर्देश दिये गये थे। तत्क्रम में पालिका परिषद् द्वारा दि0 9-6-06 को दो सोडियम लाइटें लगवा दी गई हैं। इस प्रकार से अब उक्त सड़क पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

54-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

[दिनांक 31-08-06 को अता0 प्र0 सं0-54 द्वारा उत्तरित]

जनपद रायबरेली के राजामऊ रजबहा की पटरी को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पक्का कराने की मांग

55-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0-8 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के राजामऊ रजबहा की पटरी जो बछरावां-लालगंज सम्पर्क मार्ग से प्रथम तीन किलोमीटर कुन्दनगंज सम्पर्क मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कोर नेटवर्क में सम्मिलित है ? यदि हां, तो उक्त सड़क कब तक पक्की करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां। इस मार्ग पर पड़ने वाले मजरों की आबादी 500 से कम है जो कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 500 से अधिक आबादी की बसावटों को ही संतृप्त किया जाना प्राविधानित है। वर्तमान में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप 1000 से ऊपर आबादी वाली बसावटों को ही योजनान्तर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। अतः योजनान्तर्गत इस मार्ग का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के अमीनाबाद व्यावसायिक मार्केट में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की प्रक्रियाधीन कार्यवाही

56-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में अमीनाबाद क्षेत्र के व्यावसायिक मार्केट में हर वर्ष भीषण अग्निकाण्ड होता है और करोड़ों की हानि हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अमीनाबाद क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

अमीनाबाद क्षेत्र में झण्डेवाला पार्क के ऐतिहासिक महत्व को विपरीत रूप से प्रभावित किये हुए बिना वहां अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में है। शेष का प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के समूह 'ग' के कर्मचारियों को नियमानुसार सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नति वेतनमान की सुविधा

57-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ नगर निगम के श्रेणी ''ग'' के कर्मचारियों को समस्त पात्रता के बावजूद समयबद्ध वेतनमान नीति के अन्तर्गत सेलेक्शन

ग्रेड/प्रोन्नत वेतनमान नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्रेणी "ग" के पात्र कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान नीति के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

पात्र कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड/प्रोन्नत वेतनमान देने की कार्यवाही शासनादेश के अनुसार की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के तहसील बिल्थरा रोड ग्राम सभा दोथ में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का विवरण

58-श्री राम करन आर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर, तहसील बिल्थरा रोड स्थित ग्राम सभा दोथ को विगत 5 वर्षों से अब तक कितना धन जवाहर रोजगार योजना अन्तर्गत दिया गया है, उसका उपयोग कहां-कहां पर किन-किन कार्यों में किया गया ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी नहीं। जनपद बलिया में विगत 05 वर्षों से जवाहर रोजगार योजना संचालित नहीं रही है, बल्कि विगत 05 वर्षों से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना संचालित रही है। विकास खण्ड सीयर तहसील बिल्थरा रोड स्थित ग्राम सभा दोथ को विगत 05 वर्षों से अब तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत रु0 206340.96 की धनराशि दी गयी जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

वर्ष	दी गयी धनराशि रु0 में
2001-02	38424.96
2002-03	39715.00
2003-04	52251.00
2004-05	71392.00
2005-06	4558.00

उक्त वर्षों में दी गयी धनराशि रु0 206340.96 में से धनराशि रु0 203756.00 का व्यय जिन स्थानों एवं कार्यों पर किया गया, उसका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ-129 पर।)

लखनऊ में पकरी पुल से आशियाना चौराहे के मध्य फुटपाथ एवं नालियों की मरम्मत कराने की मांग

59-श्री राम करन आर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पकरी पुल से आशियाना चौराहे के मध्य स्थित मेन रोड सेक्टर एच, एल0 डी0 ए0 कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ पर फुटपाथ एवं नालियां क्षतिग्रस्त होने के कारण आये दिन जल भराव एवं मच्छरों का प्रकोप बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालियां, फुटपाथ बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में अपराधों में हुई वृद्धि को रोकने की कार्य योजना

60-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में इस वर्ष जनवरी 2006 से 15 जुलाई, 2006 तक अपराधों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। गत वर्ष की तुलना में जनपद सहारनपुर में अपराध में आंशिक वृद्धि हुई है। अपराध के तुलनात्मक विवरण निम्न है:-

क्र0सं0	शीर्षक	2006	2005	2004
1	डकैती	2	1	1
2	लूट	14	13	13
3	गृह भेदन	26	29	32
4	कुल चोरी	169	158	150
5	हत्या	41	25	39
6	304 भा0दं0वि0	6	13	7
7	307 भा0दं0वि0	36	41	40
8	बलवा	30	28	27
9	अपहरण	15	11	19
10	दहेज हत्या	8	7	5
11	बलात्कार	2	3	9
12	अन्य विवाद	815	748	472
	योग :-	1164	1077	814

उपरोक्त अपराधों पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु जनपद में गश्त एवं पिकेट के साथ-साथ हाईवे मोबाइल की व्यवस्था की गई है। साथ ही थाना/जनपद स्तर पर सक्रिय अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है एवं मा0 न्यायालयों में विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कराकर अपराधियों को दण्डित कराने हेतु समुचित प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

61-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद अलीगढ़ में नवरात्रि के अवसर पर हुए साम्प्रदायिक दंगे में मारे गये लोगों को क्षतिपूर्ति दिये जाने एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग

62-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, 2006 में अलीगढ़ में नवरात्रि के अवसर पर हुए साम्प्रदायिक दंगे में कितने लोग मारे गये हैं तथा कितनी आर्थिक क्षति हुई है ? क्या सरकार द्वारा कोई क्षतिपूर्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त दंगे में दोषी लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रदेश को साम्प्रदायिक दंगों से मुक्त करने हेतु सरकार क्या कोई ठोस योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्नगत घटना में माह अप्रैल, 2006 में 7 लोग मारे गये तथा लगभग 5 लाख रुपये की आर्थिक क्षति हुई है।

उक्त घटना में 7 मृतकों के आश्रितों को रुपये 5 लाख की दर से रुपये 35 लाख, गम्भीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को एक लाख रुपये की दर से रुपये 7 लाख तथा साधारण रूप से घायल 17 व्यक्तियों को रुपये 50 हजार की दर से रुपया 8.50 लाख अर्थात कुल रुपये 50.50 लाख की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त घटना में अभी तक 22 मुकदमें पंजीकृत किये गये, जिनमें नामजद 37 अभियुक्त जेल भेजे जा चुके हैं। प्रकाश में आये 54 अभियुक्तों में से 16 अभियुक्त गिरफ्तार व 20 हाजिर अदालत हुए।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गयी है, जांच समिति की रिपोर्ट आने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के ग्राम हांसा में स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप के निर्माण की जानकारी

63-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम हांसा, तहसील कालपी, जनपद जालौन में स्पेशल कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु नलकूप निर्माणाधीन हैं ? यदि हां, तो उक्त नलकूप का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

निर्माण कार्य दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के ग्राम चमारी के श्री हरि ओम मिश्रा की गाड़ी से गायब होने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

64-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री हरि ओम मिश्रा निवासी ग्राम चमारी थाना-आटा, जनपद-जालौन की गाड़ी सं0 यू0 पी0 78 एटी 5866 दिनांक 3-3-06 से गायब होने के सम्बन्ध में इनकी पत्नी विनीता मिश्रा के प्रार्थना-पत्र तथा पुलिस अधीक्षक, जालौन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-3/307067 दिनांक 1-6-06 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, श्रीमती विनीता मिश्रा व मा0 सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 01-06-2006 पुलिस अधीक्षक, जालौन द्वारा क्षेत्राधिकारी कालपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना-जूही जनपद-कानपुर नगर पर वादी श्री प्रवीन जैन पुत्र स्व0 श्री बारेलाल जैन, जनपद-कानपुर नगर द्वारा दिनांक 5-3-2006 को दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-निल/06 धारा-406 भा0दं0वि0 बनाम् बाइस्तवाह ट्रक चालक हरिओम के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। उसके अनुसार वादी मुकदमा के ट्रक सं0-यू0पी0-78 ए0टी0-5866 में परचून लोड कर चालक हरिओम जनपद-आजमगढ़ के लिए चला। वादी को सूचना मिली कि उक्त ट्रक जोलूपुर मोड़ थाना-कालपी पर खड़ा है और परचून माल गायब है तथा ट्रक चालक हरिओम भी गायब है। उक्त ट्रक थाना-कालपी, जालौन पर खड़ी मिलने के कारण उपरोक्त मुकदमा की विवेचना थाना-कालपी, जिला-जालौन द्वारा पुनः थाना-जूही जनपद-कानपुर नगर भेज दी गयी, जिस पर दिनांक 15-7-2006 को थाना-जूही पर मु0अ0सं0-135/06 धारा-406 भा0दं0वि0 की विवेचना प्रचलित है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चालक जिन्दा है अथवा हत्या कर दी गयी है। पतारसी-सुरागरसी जारी है। हरिओम मिश्रा की पत्नी श्रीमती विनीता मिश्रा का प्रार्थना-पत्र विवेचना में सम्मिलित किया गया है, जिसके आधार पर विवेचक द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

चिकित्साधिकारी डा0 सुरेश चन्द्र मिश्रा, बाबूपुरवा हास्पिटल कानपुर को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि (वैयक्तिक वेतन) दिये जाने की मांग

65-श्री देवकी नन्दन कोरी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर निगम, कानपुर के अधीन डा0 एस0 सी0 मिश्रा, चिकित्साधिकारी, बाबूपुरवा हास्पिटल, कानपुर को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि (वैयक्तिक वेतन) स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0 प्र0 को सम्बोधित श्री प्रभु नारायण, विधायक, चन्दौली का पत्र दिनांक 15-6-2006 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां

जी हां।

डा0 सुरेश चन्द्र मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी, बाबू पुरवा हास्पिटल, नगर निगम, कानपुर को स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि (वैयक्तिक वेतन) की स्वीकृति शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5281/नौ-4-06-1 एक्यू/06, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ शहर में सीवर लाइन बिछाने की योजना

66-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के दो तिहाई क्षेत्र में सीवर लाइन नहीं है ? क्या इस महानगर में सीवर लाइन के बिछाने की कोई वृहद योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां, भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत लखनऊ शहर के सम्पूर्ण क्षेत्र को सीवर लाइन से आच्छादित करने एवं इसके शोधन तथा निस्तारण की योजना तैयार की गयी है।

भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर योजना क्रियान्वित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की रामगढ़ ताल परियोजना के कार्यान्वयन के लिये भारत सरकार से धन की मांग

67-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर की रामगढ़ ताल परियोजना के कार्यान्वयन के लिये शासन द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

1-गोरखपुर नगर में स्थित रामगढ़ ताल के प्रदूषण नियंत्रण कार्यों हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 60.87 करोड़ का प्राक्कलन विरचित कर भारत सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है।

2-गोरखपुर नगर के रामगढ़ ताल की योजना पर भारत सरकार की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त होने पर योजना के कार्य प्रारम्भ कराये जा सकेंगे।

3-लागू नहीं।

जनपद जालौन के ग्राम सुरहती निवासी अजय को किडनी के उपचारार्थ सहायता राशि दिये जाने सम्बन्धी पत्र

68-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अजय पुत्र छतरबाल निवासी ग्राम सुरहती, वि0 खं0 कदौरा, तहसील सदर, जनपद-जालौन गम्भीर गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र ग-184187, दिनांक 28-12-04 जो सहायता राशि देने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 18-9-2006 द्वारा श्री अजय पुत्र श्री छतरपाल, जालौन के किडनी के उपचारार्थ रु0 40,000/-(रु0 चालीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ को भेज दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-जालौन रावगंज कालपी के निवासी राम प्रकाश गुप्ता को मुख्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

69-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गरीबी के कारण राम प्रकाश गुप्ता निवासी रावगंज कालपी, जनपद-जालौन पेट की टी0 बी0 का इलाज कराने हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का पत्र क-3-265153, दिनांक 11-5-06, जो आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। मा0 विधायक को उनके स्थानीय निवास/मूल निवास के पते पर उक्त पत्र दिनांक 11-5-06 की अनुपलब्धता बताते हुए उसकी प्रति एवं स्टीमेट उपलब्ध कराने हेतु शासन के पत्र दिनांक 5-9-06 द्वारा अनुरोध भी किया गया है।

प्रकरण में जिलाधिकारी, जालौन से श्री राम प्रकाश गुप्ता, जालौन को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता विषयक आवेदन पत्र तथा प्रकरण में उनकी आख्या/संस्तुति भिजवाने की अपेक्षा की गयी थी। जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में श्री राम प्रकाश गुप्ता को गरीबी/दुर्बलता के आधार पर शासनादेश दिनांक 20-9-2006 द्वारा रु0 5,000/-(रु0 पांच हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर जिलाधिकारी जालौन के माध्यम से भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के बरौरा हुसैन बाड़ी, बालागंज में हैण्डपम्प लगवाने सम्बन्धी पत्र

70-श्री कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्र किशोर शुक्ला आदि निवासी बरौरा हुसैन बाड़ी बालागंज, लखनऊ ने पुष्पेन्द्र सिंह वर्मा सभासद की संस्तुति सहित मा0 कौशल किशोर, विधायक का पत्र नगर आयुक्त, लखनऊ को दिनांक 25-8-2005 को हैण्डपम्प लगवाने हेतु भेजा गया था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में गंगा के प्रमुख घाटों के प्रदूषण नियंत्रण एवं विकास हेतु अनुमानित आगणन का केन्द्र सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित प्राक्कलन

71-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में गंगा के प्रमुख घाटों, सरोवरों और तालाबों के विकास तथा पुनरुद्धार कार्य के लिये कोई कार्य योजना जापान की संस्था "जाइका" को भेजा गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और क्या "जाइका" द्वारा उक्त योजना हेतु अपनी स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि नहीं, तो किन आधारों पर "जाइका" द्वारा उक्त कार्यों हेतु अनुदान देने से इन्कार किया गया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

1-वाराणसी नगर में नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के अन्तर्गत सीवरेज कार्यों, स्वच्छ शौचालयों के निर्माण, धोबीघाट के विकास तथा नदी घाटों के विकास कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा जापान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की जानी प्रस्तावित की गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरोवरों और तालाबों के विकास तथा पुनरुद्धार का कार्य सम्मिलित नहीं है।

2-वाराणसी नगर के अवशेष नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के अन्तर्गत सीवरेज कार्यों, स्वच्छ शौचालयों के निर्माण, धोबीघाटों के विकास तथा नदी घाटों के विकास कार्यों आदि कार्यों हेतु जापान सरकार की संस्था "जाइका" द्वारा फीजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गयी है जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर उक्त कार्यों हेतु जापान सरकार की अन्य संस्था "जे0बी0आई0सी0"

के साथ वित्तीय सहायता हेतु मार्च, 2005 में द्वि-पक्षीय समझौता किया जा चुका है। "जाइका" द्वारा तैयार फीजीबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर वाराणसी नगर के अवशेष नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के अन्तर्गत सीवरेज कार्यों हेतु रु0 405.00 करोड़ तथा स्वच्छ शौचालयों के निर्माण, धोबीघाटों के विकास तथा नदी घाटों के विकास आदि कार्यों हेतु रु0 22.83 करोड़ के प्राक्कलन भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा चुके हैं। इन पर भारत सरकार का अनुमोदन व धनावंटन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

3-लागू नहीं।

प्रदेश में मा0 विधायक, सांसद, मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य को निःशुल्क गनर दिये जाने की जानकारी

72-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधायक, सांसद, मंत्रियों के अतिरिक्त किन अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को शासन द्वारा वर्तमान में निःशुल्क गनर की सुविधा दी जा रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां, प्रदेश में मा0 विधायक, मा0 सांसद, मा0 मंत्रियों के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के महानुभावों को जीवनभय एवं जनपदीय सुरक्षा समिति की संस्तुति के आधार पर निःशुल्क गनर की सुविधा दी जा रही है।

जनपद-जालौन शेखपुर मुढ़ा के निवासी रामनाथ उर्फ छोटा की पत्नी को आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग

73-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि रामनाथ उर्फ छोटा निवासी ग्राम शेखपुर मुढा, तहसील कालपी, जनपद-जालौन की मृत्यु मिर्च की फसल की बिक्री हेतु ले जाते समय दिनांक 16-12-04 को मार्ग दुर्घटना से हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक की बेवा को किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक के परिवार को मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से धन दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र क-3-201646 दिनांक 20-3-06 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो मृतक की पत्नी को कोई आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त आर्थिक सहायता उसे कब तक दे दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं, आवेदिका द्वारा किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत दावा निर्धारित समय के अन्दर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

जी हां। शासनादेश दिनांक 18-8-06 द्वारा श्रीमती राम दुलारी पत्नी स्व0 श्री रामनाथ उर्फ छोटा, जालौन की दिनांक 16-12-04 को दुर्घटना में मृत्यु के कारण रु0 30,000/-

(रु0 तीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर जिलाधिकारी, जालौन के माध्यम से वितरण हेतु भेजी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित माडल हाउस हाता लक्ष्मण दास मीराबाई मार्ग पर खराब पड़े हैण्डपम्प को ठीक कराने की मांग

74-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित माडल हाउस, हाता लक्ष्मण दास, शिवाजी मार्ग, शक्ति भवन विस्तार गेट नं0 3 मीराबाई मार्ग पर खराब पड़े हैण्ड पम्प को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 28-4-2006 जो कि महाप्रबन्धक व जल संस्थान, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में मुंसिफ न्यायालय खोलने का प्रस्ताव

75-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोरखपुर के तहसील कैम्पियरगंज में मुंसिफ न्यायालय खोलने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संविधान के अनुच्छेद 227 में की गयी व्यवस्था के अनुसार किसी भी नये न्यायालय की स्थापना मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सहमति/संस्तुति पर ही की जाती है।

कैम्पियरगंज में मानक के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सहमति नहीं दी गयी है।

अतः जनपद गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद गोरखपुर एवं महराजगंज के विधान सभा पनियरा में चयनित क्षेत्रों को समग्र विकास योजनान्तर्गत संतृप्त किये जाने की मांग

76-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर एवं महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र-पनियरा में वर्ष 2003-04 में चयनित समग्र ग्राम विकास-चौमुखा,

जंगल बिहुली, लक्ष्मीपुर-प्रथम भरवलिया, जनकपुर, नरकटहां, रुद्रापुर, बेनीगंज एवं परसिया बुजुर्ग तथा वर्ष 2004-05 में डुमरिया, रामनगर, केवटलिया, जंगल बब्बन उर्फ मोहम्मदपुर, तेनुआ विशम्भरपुर, साहबगंज, खजुरगांवा, बनभागलपुर, रंजोडा पंजुम, रतनपुरवा एवं सुचितपुर बधौना, वर्ष 2005-06 में सनगद, गोपलापुर, सरपतहां, रामचौरा, सोनौरा बुजुर्ग, गुलरिहा, रिगौली बाजार, खैचा, बेलटिकरा, को समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत 16 बिन्दुओं से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो उन्हें कब तक संतृप्त कर दिया जायेगा ?

अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री (श्री विशम्भर प्रसाद निषाद)-

शासनादेश दिनांक 31 मई, 2004 द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को समग्र ग्राम्य विकास योजना से पृथक कर दिया गया है। इस प्रकार अब उक्त योजना के अन्तर्गत 15 कार्यक्रम ही संचालित हैं, और इन्हीं 15 कार्यक्रमों से चयनित समग्र ग्रामों को संतृप्त किया जाता है।

जनपद गोरखपुर एवं महराजगंज के विधान सभा क्षेत्र पनियरा में वर्ष 2003-04 में चयनित समग्र ग्राम-चौमुखा, जंगल बिहुली, लक्ष्मीपुर-प्रथम, भरवलिया, जनकपुर, नरकटहा, रुद्रापुर, बेनीगंज एवं परसिया बुजुर्ग को समस्त 15 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है। वर्ष 2004-05 में चयनित समग्र ग्राम डुमरिया, रामनगर केवटलिया, जंगल बब्बन उर्फ मोहम्मदपुर, तेनुआ, विशम्भरपुर को सम्पर्क मार्ग से छोड़कर शेष 14 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है। साहबगंज खजुगावां को समस्त 15 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है। वनभागलपुर, रजौडा पंजुम रतनपुरवा एवं सुचितपुरबधौना को सम्पर्क मार्ग से छोड़कर शेष 14 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है।

वर्ष 2005-06 में चयनित ग्राम-सनगद को समस्त 15 कार्यक्रम से संतृप्त किया जा चुका है गोपलापुर को सम्पर्क मार्ग एवं उच्च प्राथमिक पाठशाला से छोड़कर शेष सभी कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है। सरपतहा, रामचौरा, सुनौरा बुजुर्ग को समस्त 15 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है। गुलरिहा को सम्पर्क मार्ग एवं उच्च प्राथमिक पाठशाला से छोड़कर शेष सभी कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है। रिगौली बाजार खैचा, बेलटिकरा को समस्त 15 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है।

अवशेष कार्यक्रमों को धन की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण कराया जायेगा।

प्रदेश में समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित मार्गों की मरम्मत की मांग

77-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में समग्र ग्राम योजना में चयनित ग्राम सभाओं को विकसित करने हेतु सम्पर्क मार्गों की मरम्मत (लोक निर्माण विभाग को छोड़कर) आर0 ई0 एस0, मण्डी समिति, गन्ना विभाग एवं जिला पंचायत द्वारा नहीं कराया जा रहा है, जिससे इन चयनित "समग्र ग्रामों" का विकास नहीं हो पा रहा है ? क्या समग्र ग्रामों के समुचित विकास हेतु सम्पर्क मार्गों के मरम्मत के लिये अलग से धन की व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो कब तक धनराशि अवमुक्त की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सम्पर्क मार्गों के निर्माण के अतिरिक्त मरम्मत हेतु पृथक से कोई व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में हो रही अपराधिक घटनाओं को रोकने की योजना

78-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005 में प्रदेश में कितनी अपराधिक घटनायें हुई हैं ? क्या उक्त घटनाएं वर्ष 2004 में हुई घटनाओं से अधिक हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अपराधिक घटनाओं को रोकने के लिये क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त सूचनानुसार वर्ष 2005 में प्रमुख अपराधों के अन्तर्गत भा0दं0वि0 के कुल 112868 अभियोग प्रदेश में पंजीकृत हुए हैं।

वर्ष 2004 में प्रमुख अपराधों के अन्तर्गत भा0दं0वि0 के कुल 122653 अभियोग पंजीकृत हुए। वर्ष 2005 में वर्ष 2004 की अपेक्षा 8 प्रतिशत अपराधों में कमी आयी है।

अपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण के लिए परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों तथा जोनल पुलिस महानिरीक्षकों के माध्यम से पर्यवेक्षण की व्यवस्था है विशेष अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों पर नियंत्रण हेतु समय-समय पर केन्द्रीय अभियान चलाये जाते हैं। आकस्मिक चेकिंग, गस्त, जनसम्पर्क, पिकेटिंग, अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही आदि के माध्यम से अपराध की स्थिति नियंत्रित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

79-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में समग्र ग्राम विकास योजना में चयनित ग्रामों को इन्दिरा आवास से संतृप्त किये जाने की मांग

80-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर के भावलखेड़ा ब्लाक में वर्ष 2004-05, वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 में कौन-कौन से ग्राम समग्र विकास योजना में चयनित किये गये ? क्या उक्त ग्रामों को इन्दिरा आवास से संतृप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में वर्ष 2004-05, वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 में समग्र ग्राम के रूप में चयनित किये गये ग्रामों का विवरण निम्नवत् है :--

(1) वर्ष 2004-05 में-

1-मानपुरचचरी, 2-ददिउरा, 3-जैनुद्दीननगर, 4-अहमदनगर ज0 बहादुरपुर, 5-कटियारज्जब, 6-हुसैनपुर रूकनपुर, 7-रहीमपुर, 8-वाजिदपुर, 9-रौसर, 10-सल्लिया, 11-शहवाजपुर इ0 दनियापुर।

(2) वर्ष 2005-06 में-

1-सिढरा, 2-बरनई, 3-जमुका, 4-कुरसण्डा, 5-तिउलक, 6-चकभिटारा, 7-सिमरई, 8-बल्लिया, 9-ददऊ, 10-सरही, 11-कुतुआपुर, 12-गौहनिया।

(3) वर्ष 2006-07 में-

1-दौलतपुर, 2-डींगुरपुर असलानी, 3-तहबरगंज (मिश्रीपुर), 4-उदियापुर, 5-जमुही, 8-कनेंग, 7-हथौड़ा बुजुर्ग, 8-बसुलिया, 9-भावलखेड़ा, 10-चिनौर, 11-सुजातपुर, 12-दिलावरपुर इ0 देवकली।

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के ग्रामों को संतृप्त कर दिया गया है। वर्ष 2006-07 के समग्र ग्रामों को इस वित्तीय वर्ष में संतृप्त कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा कर्पूरी ठाकुर जयंती का अवकाश घोषित करने की मांग

81-श्री रविन्द्र पुण्डीर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा महर्षि परशुराम जयंती 30 अप्रैल तथा महाराजा अग्रसेन जयंती 23 सितम्बर का अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है ? यदि हां, तो सरकार कर्पूरी ठाकुर जयंती (21 जनवरी) पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

सार्वजनिक अवकाशों की वर्तमान में पर्याप्त संख्या के दृष्टिगत और अधिक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सहारनुपर, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में हो रहे अपराधों को रोकने की मांग

82-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सहारनुपर, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में जनवरी, 06 से 15 जुलाई, 06 तक राहजनी, हत्या, डकैती, दलित उत्पीड़न, बलात्कार के कितने मामले दर्ज किये गये हैं ? क्या यह सही है कि गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में उक्त अपराधों

में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दिनांक 01-1-2006 से 15-7-2006 तक घटित घटनाओं का जनपदवार आंकड़े निम्नवत् हैं :--

अपराध शीर्षक	वर्ष	मेरठ	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	योग
राहजनी	2006	14	14	59	87
	2005	34	14	42	90
हत्या	2006	108	46	101	255
	2005	100	34	118	252
डकैती	2006	02	02	13	17
	2005	09	01	05	15
दलित उत्पीड़न	2006	27	08	09	44
	2005	34	08	18	60
बलात्कार	2006	17	03	21	41
	2005	22	05	13	40

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2006 में जनपद मेरठ में हत्या, जनपद सहारनपुर में हत्या एवं डकैती, मुजफ्फरनगर में राहजनी, डकैती एवं बलात्कार के अपराधों में आंशिक वृद्धि हुई है। शेष शीर्षकों के अन्तर्गत कमी आई है।

उक्त जिन शीर्षकों में वर्ष 2006 मे आंशिक रूप से वृद्धि हुई है उनकी रोकथाम हेतु निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए भारी मुचलका से पाबंद कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बगैर पंजीकृत मुकदमों की जांच करनें वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही

83-डा0 सुशील चौधरी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की पुलिस को सी0 आर0 पी0 सी0 धारा 2(जी) के अन्तर्गत बगैर मुकदमा पंजीकृत किये प्रार्थना-पत्रों पर जांच करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो क्या प्रार्थना-पत्रों पर ऐसी जांच करने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

पुलिस द्वारा सी0आर0पी0सी0 धारा-2 (बी) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्रों की जांच नही किया जाता है ऐसी परिस्थिति में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई औचित्य नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शुद्ध पेयजलापूर्ति मानक के अनुसार उपलब्ध कराने की नीति

84-डा0 सुशील चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 में पेय जलापूर्ति के लिये क्या कोई नीति एवं लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रदेश के नगरों को शुद्ध पेयजलापूर्ति मानक के अनुसार उपलब्ध कराने की नीति है। वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में निम्नानुसार प्राविधान किया गया है :--

	धनराशि लाख रु0 में
1-राज्य सेक्टर	1000.00
2-गंगा बैराज कानपुर योजना	4000.00
3-जिला योजना	5966.68
4-त्वरित नागर पेयजल योजना	0.01

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के लिये जिसमें पेयजल भी सम्मिलित है, निम्नानुसार बजट प्राविधान है।

5-जे0एन0एन0यू0आर0एम0	6833.00
6-यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0	11000.00

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पुलिस कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति दिये जाने की मांग

85-डा0 सुशील चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ में जनवरी, 2006 से 5 मई, 2006 तक कितने अपराधियों को किस-किस थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारा गया है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि दो अपराधियों को मार गिराने में किस थाने के निरीक्षक/उप निरीक्षक ने सफलता हासिल की है ? क्या सरकार ऐसे पुलिस कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनवरी, 2006 से 5 मई, 2006 तक जनपद-लखनऊ के विभिन्न थाना क्षेत्र में कुल 7 पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल 9 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे गये, जिनका विवरण निम्नवत् है :--

1-थाना-गोमतीनगर में एक मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया।

2-थाना-अलीगंज में एक मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया।

3-थाना-मड़ियांव में दो मुठभेड़ में दो अपराधी मारे गये।

4-थाना-गोसाईगंज में एक मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया।

5-थाना-कैसरबाग में दो मुठभेड में चार अपराधी मारे गये।

दो अपराधियों को मार गिराने में थाना-कैसरबाग की पुलिस कर्मियों को सफलता हासिल हुई।

उक्त पुलिस कर्मियों को आउट आफ टर्न प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही नियमानुसार प्रक्रिया में है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद लखनऊ में साइकिल एवं रिक्शा चालकों के लिये सड़कों पर पृथक लेन बनाये जाने की मांग

86-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी लखनऊ में साइकिल एवं रिक्शा चालकों के लिये सड़क मार्गों पर पृथक लेन बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मन्दिर योगराज शिवबखरी, हरिहरपुर के भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से अवमुक्त हुई धनराशि की जांच

87-श्री द्वारिका प्रसाद-

क्या सरकार को जानकारी है कि तत्कालीन मण्डलायुक्त द्वारा कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मंदिर के नाम पर विधायक निधि से अवमुक्त हुई धनराशि रु0 5,00,000 (रुपये पांच लाख) ग्राम-सुक्खरी, तहसील-घनघटा, जनपद-संत कबीर नगर में विद्यालय भवन के निर्माण कार्य की जांच किये जाने के निर्देश माह जनवरी, 2002 में तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी को दिये गये थे ? यदि हां तो जांच के क्या परिणाम हैं, कौन-कौन लोग दोषी पाये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

प्रश्नगत प्रकरण में तत्कालीन मण्डलायुक्त द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अवगत कराया गया कि कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मन्दिर योगराज शिवबखरी, हरिहरपुर में श्री राम आसरे पासवान, पूर्व राज्य मंत्री लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर विद्यालय के भवन निर्माण हेतु रु0 4.96 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। प्रश्नगत मामले की जांच में यह पाया गया कि उक्त प्रस्ताव विधान सभा क्षेत्र से बाहर होने के कारण विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि का प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने विषयक प्रकरण में बरती गयी अनियमितताओं के लिए जनपद संतकबीरनगर के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, डी0आर0डी0ए0 के तत्कालीन परियोजना निदेशक, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, लेखा लिपिक एवं उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक तथा विद्यालय के प्रबन्धक उत्तरदायी है जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अर्धकुम्भ मेले को देखते हुए गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने की कार्य योजना

88-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगामी अर्धकुम्भ मेला को देखते हुए संगम में गंगाजल को पवित्र एवं प्रदूषण से मुक्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री उज्जवल रमण सिंह)-

जी हां।

आगामी अर्द्धकुम्भ मेला 2007 को देखते हुए निम्न कार्यवाही प्रस्तावित है :-

1-सिंचाई विभाग को गंगा में नरौरा डैम से अतिरिक्त जल छोड़ने हेतु निर्देशित किया गया है।

2-प्रदूषणकारी रंगीन उत्प्रवाह निस्तारित करने वाले उद्योगों को दिनांक 1-12-2006 से 16-2-07 तक की अवधि में उत्प्रवाह गंगा नदी तथा अन्य सहायक नदियों में नहीं निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।

3-इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदियों के प्रदूषण नियंत्रण हेतु गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत अब तक निर्मित स्थायी परिसम्पत्तियों का समुचित रख-रखाव तथा यथा आवश्यक कार्यों की विशेष मरम्मत।

4-इलाहाबाद शहर में सलोरी नाला, एलनगंज नाला एवं बक्शी बांध नाला को अर्द्धकुम्भ मेला अवधि के लिए गंगा नदी में गिरने से रोकने हेतु बक्शी बांध के समीप अस्थायी पांडिग की व्यवस्था।

5-घाघर नाले के स्राव के शोधन हेतु अस्थायी व्यवस्था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में सड़क निर्माण में घटिया एवं मानक के अनुसार कार्य न कराये जाने की जांच

89-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-10128617 के क्रम में मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/128617/2005, दिनांक 13-7-05 जो सखे रोड से दीवान खेड़ा होते हुए शिवपुरी माडर रोड से मोहसिन खेड़ा तथा शारदा कैनाल से शिवपुरी, विकास खण्ड बेहदर, जनपद-हरदोई में सड़क का निर्माण घटिया एवं मानक के अनुसार न कराये जाने की जांच कराये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

मा0 विधायक द्वारा सन्दर्भित सम्पर्क मार्गों का स्थलीय निरीक्षण पूर्व में सहायक अभियन्ता डी0आर0डी0ए0 हरदोई द्वारा दिनांक 25-7-2005 को किया गया। सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0 द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में सन्दर्भित सम्पर्क मार्गों की मानक एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गयी थी, अपितु कतिपय कमियां इंगित की गयी थी, जिसके निराकरण हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को निर्देशित किया गया था। परियोजना प्रबन्धक यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 सीतापुर ने अपने पत्रांक-130906/कैम्प/पी0सी0एल0/पी0एल0/सीतापुर/रा0स0 विकास योजना दिनांक 13-9-2006 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निरीक्षण में दर्शायी गयी कमियों को ठीक करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है। 12 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने 1.00 बजे तक के लिए सदन का स्थगन और बढ़ा दिया है। 1.00 बजे मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 15 मिनट तक के लिए सदन का स्थगन और बढ़ा दिया है। 1 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(सदन के वेल में मौजूद बहुजन समाज पार्टी के सदस्य पुनः नारे लगाने लगे)

श्री अध्यक्ष-

आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मैंने कहा है कि हम आपको सुनेंगे। माननीय मौर्या जी जो कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं वह अपने आसन से जाकर कहें।

अभी निधन के निर्देश होने हैं उसको हो जाने दें। अब आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर वापस जायें।

(निधन के निर्देश सम्बन्धी अनुरोध को स्वीकार करते हुए बहुजन समाज पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसनों पर वापस चले गये।)

विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री राम अवध प्रसाद, चरणदास सेठ, भगवती प्रसाद शुक्ल तथा गोकरन प्रसाद के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब हम निधन के निर्देश लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम अवध प्रसाद का 11 नवम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे।

श्री राम अवध प्रसाद का जन्म 4 दिसम्बर, 1938 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री राम अवध प्रसाद वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र नगर पूरब (अ0जा0), जिला बस्ती से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे आठवीं लोक सभा के सदस्य भी थे।

श्री राम अवध प्रसाद जिला परिषद्, बस्ती के सदस्य, नगरपालिका, बस्ती के सदस्य एवं उपाध्यक्ष, जिला जेल विजिटर, बस्ती, 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति, बस्ती के महामंत्री, शहर कांग्रेस कमेटी, बस्ती के उपाध्यक्ष आदि पदों पर आसीन रहे थे। राजनीति एवं समाज सुधार में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री राम अवध प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री चरणदास सेठ का 12 नवम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 88 वर्ष के थे।

श्री चरणदास सेठ का जन्म अक्टूबर, 1918 में वाराणसी में हुआ था। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री चरणदास सेठ वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी दक्षिण, जिला वाराणसी से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री चरणदास सेठ फौजदारी के एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता थे। वे वर्ष 1972 से 1976 तक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में विधि संकाय में अवैतनिक प्रवक्ता भी रहे थे। वे शिक्षा संबंधी कई संस्थाओं से सम्बद्ध थे। अध्ययन-अध्यापन से उनको विशेष प्रेम था।

श्री चरणदास सेठ के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवती प्रसाद शुक्ल का 15 नवम्बर, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल का जन्म 2 जुलाई, 1932 को ग्राम मितौली, जिला लखीमपुर खीरी में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0एल0बी0 तथा साहित्य रत्न की शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल वर्ष 1991 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ पूर्व, जिला लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल जन-आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव तथा दिल्ली के कारागारों में अनेक बार बन्दी रहे थे। श्री शुक्ल वर्ष 1947 से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से एवं जनसंघ तथा भारतीय जनता पार्टी से उनके स्थापना काल से सम्बद्ध थे। वे वर्ष 1951 से 1959 तक विद्यार्थी परिषद् से सम्बद्ध रहे थे। वे श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल में वर्ष 1992 में सहाकारिता राज्य मंत्री रहे थे। पत्रकारिता, लेखन कार्य तथा सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गोकरन प्रसाद का 21/22 नवम्बर, 2006 की रात्रि में निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे।

श्री गोकरन प्रसाद का जन्म 8 सितम्बर, 1927 को ग्राम पिछौरा, जिला सीतापुर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी।

श्री गोकरन प्रसाद वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र हरगांव (अ0जा0), जिला सीतापुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे तीसरी लोक सभा के सदस्य भी थे।

श्री गोकरन प्रसाद विद्यार्थी जीवन में शेडयूल्ड कास्ट फेडरेशन के सदस्य रहे जिसके माध्यम से उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य किये। वे भारतीय जनसंघ के जिला उपाध्यक्ष, जिला मंत्री तथा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे थे। पासी जाति के संगठन तथा उत्थान के लिये उन्होंने सक्रिय कार्य किया था। धार्मिक चर्चा एवं पूजा-पाठ में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री गोकरन प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कृपया 2 मिनट खड़े होकर मौन धारण करें।

(सदन में 2 मिनट का मौन रख गया)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं

स्वीकार की गईं- पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में अपात्रों को ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 कार्ड दिये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की फतेहपुर के किशुनपुर क्षेत्रान्तर्गत प्राकृतिक आपदा की विभीषिका से ग्रामीण किसानों की भुखमरी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की सुल्तानपुर के जिला महिला चिकित्सालय में व्याप्त कथित अनियमितताओं एवं चिकित्सकों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की संत रविदास नगर के औराई क्षेत्रान्तर्गत कतिपय प्राइमरी पाठशाला/जूनियर हाई स्कूलों में स्थापित हैण्डपम्पों को ठीक कराने एवं आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री कालीचरन राजभर की गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत पाण्डेयपुर राधे में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में, छठी सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर में समग्र विकास गांव में चयनित गांवों में पात्रता के आधार पर इन्दिरा आवास आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री रणवीर राणा की मेरठ के सिवालखास क्षेत्रान्तर्गत गन्ना किसानों को चीनी निगम मिल मोहद्दीनपुर द्वारा बोनस न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री कौशल किशोर की लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जर्जर सड़कों का निर्माण/डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री प्रेमपाल सिंह यादव की है वह अनुपस्थित हैं, दसवीं सूचना श्री बाबू लाल कुशवाहा की श्री स्वामी रामानन्द संस्कृत प्रचार जू0हा0 स्कूल पिण्डखर जनपद बांदा के स्व0 अध्यापक सुकदेव प्रसाद कुशवाहा की मृत्यु के फलस्वरूप उनके पुत्र को मृतक आश्रित नियुक्ति देने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की अम्बेदकर नगर के टांडा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों के अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की है वह उपस्थित नहीं हैं, तेरहवीं सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सिम्भावली शुगर मिल द्वारा क्षेत्रीय गन्ना कृषकों का गन्ना कम मात्रा में खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री राम करन आर्य की जनतंत्र सेनानियों को रोडवेज बसों में सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की पीलीभीत के जिला पंचायत नार्मल स्कूल में विकलांग पुनर्वास केन्द्र के सामने की भूमि को एक ट्रस्ट को निःशुल्क दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

प्रतीक्षा सूची में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की सूचना जो प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते मर्जर पर मकान किराया/नगर प्रतिकर भत्ता आदि परिणामी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, चूंकि श्री प्रेम पाल सिंह यादव उपस्थित नहीं है अतः उनके स्थान पर डा0 गौर की सूचना ली जा रही है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं पढ़ना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, बैठें।

श्री सलिल विश्नोई-

मान्यवर, मेरी सूचना को ले लें। कभी-कभी तो मैं कहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पूर्णमासी देहाती जी नहीं हैं उनके स्थान पर श्री सलिल विश्नोई की सूचना ली जा रही हैं जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं उनके नाम निम्न प्रकार है-श्रीमती विद्या चौधरी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री रिजवान अहमद खां, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री मुंशी लाल गौतम।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जौनपुर के बयालसी क्षेत्रन्तर्गत कतिपय गांवों में अपात्रों को ए0पी0एल, बी0पी0एल0 कार्ड दिए जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[प्रदेश में नये राशन कार्ड बनाने का कार्य वर्तमान समय में प्रचलित है परन्तु प्रशासनिक लापरवाही से ग्राम प्रधान मनमानी ढंग से अपात्रों को ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 कार्ड दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड धर्मापुर के ग्राम तरसण्ड, गौरा किरतापुर, कुछमुछ। विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम-वीरमपुर, विजईपुर, पटखौनी, भदेवरा, कटहरी, भुईली। विकास खण्ड सरकोनी ग्राम सेहमलपुर, केरावपुर, धनेजा तथा विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम रेहटी, धरांव, कुसांव, नहोरा आदि बड़े ग्रामों की सत्यापन एवं जांच आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए जांच की मांग सहित पात्र न छूटने पायें, सूची ठीक कराने की मांग करता हूं।]

फतेहपुर के किशनपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय गांवों में प्राकृतिक आपदा की विभीषिका से उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

*श्रीमती कृष्णा पासवान-

[विधान सभा क्षेत्र 266 किशनपुर जनपद फतेहपुर, यमुना बीहड़ की सबसे पिछड़ी विधान सभा है। भौगोलिक संरचना के अनुसार यह क्षेत्र पूर्ण रुप से प्रकृति पर निर्भर है। 2004 में भयंकर सूखे तथा 2005 के ओलावृष्टि तथा पुनः 2006 में सूखे की मार जैसी दैविक आपदाओं से पूरा क्षेत्र ग्रसित है। जिसके कारण क्षेत्र का जनमानस शहर की ओर पलायन कर रहा है। इस तरह प्राकृतिक आपदा की मार से कृषकों की फसल नष्ट हो जाने के कारण लोग भुखमरी के कगार पर है। जनहित में इस क्षेत्र के किसानों का ऋण माफ किया जाय तथा इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित कर सहायता प्रदान की जाय।

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस क्षेत्र में निचली गंगनहर ही एक मात्र सिंचाई का साधन है जो गत कई वर्ष से जल की कटौती के कारण सूखी पड़ी है। यह समय रबी की फसल हेतु पलेवा का उपयुक्त समय है, अतः इस नहर में अन्य ब्रान्चों (नहरों) में कटौती कर पर्याप्त जल उपलब्ध कराकर टेल तक पानी पहुंचाया जाय तथा अंतिम चरण में निमार्णाधीन जरौली पम्प कैनाल को अविलम्ब चालू कर क्षेत्रीय जनमानस की प्रमुख समस्या का निराकरण कराया जाय।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय उपरोक्त समस्याओं के निराकरण एवं कृषकों के ऋण माफ करने हेतु सरकार से कार्यवाही करने की मांग करती हूं।]

सुल्तानपुर के जिला महिला चिकित्सालय में व्याप्त कथित अनियमितताओं एवं चिकित्सकों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अर्न्तगत सूचना

*श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह)-

[जनपद सुल्तानपुर के जिला महिला चिकित्सालय में व्याप्त अनिमितताएं एवं चिकित्साधीक्षक के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार से बड़ी संख्या में महिला मरीजों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। महिला चिकित्सालय में अधीक्षक और कुछ डाक्टरों के गैर जिम्मेदाराना व्यावहार के कारण महिला मरीजों को निजी नर्सिंग होम में जाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। अधीक्षक द्वारा जिला चिकित्सालय में आने वाली महिला रोगियों को यह बतलाकर कि जिला अस्पताल में आपरेशन हेतु सुविधा सम्पन्न थियेटर नहीं है उन्हें बरगलाकर निजी नर्सिंग होम में जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। निजी नर्सिंग होम के माध्यम से महिला रोगियों का शोषण हो रहा है तथा निजी नर्सिंग होम के डाक्टरों एवं सरकारी अस्पताल अधीक्षक की मिली भगत के कारण महिला रोगियों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है। जिससे जनपद वासियों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

संत रविदास नगर के औराई क्षेत्रान्तर्गत कतिपय प्राइमरी पाठशाला/जूनियर हाई स्कूलों में स्थापित हैण्डपम्पों को ठीक कराने एवं आवश्यकतानुसार नए हैण्डपम्प लगाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रंगनाथ मिश्र-

[प्रदेश में उक्त विद्यालयों पर मध्याह्न भोजन बच्चों को दिये जाते हैं। किन्तु अधिकांश प्रा0पा0 तथा जू0हा0 पर हैण्डपम्प लगे ही नहीं है या लगे हैं तो खराब हैं पानी पीने की व्यवस्था न होने से बच्चों को घोर असुविधा होती हैं। पाठशाला के बच्चे मध्यान्ह भोजन के उपरान्त पानी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पीने हेतु दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं तो उन्हें अपमानित होना पड़ता है या वे घर अपने चले जाते हैं जिससे पठन पाठन प्रभावित होता है। ऐसी ही स्थिति में मेरे विधान सभा क्षेत्र औराई के प्रा0पा0 व जू0हा0 की है। जैसे सहसेपुर, द्वारिकापुर, सिखड़ी महराजगंज बरेली पचपटिया मई, बरवां, भीषमपुर, आदि ग्राम के प्रा0पा0 पर हैण्डपम्प चलता ही नहीं है।

अतः मा0 अध्यक्ष जी से निवेदन है कि शासन को निर्देश देने का कष्ट करें कि प्रा0पा0 के हैण्डपम्प प्राथमिकता पर ठीक कराये तथा नया लगायें।]

गाजीपुर जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत पाण्डेयपुर राधे में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री काली चरन राजभर-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत मरदह-ब्लाक में ग्राम पाण्डेयपुर राधे जो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। इस गांव की आबादी भी काफी मात्रा में है। इस गांव में तथा पास पड़ोस के किसी भी गांव में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र नहीं है। जिससे महिलाओं तथा बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे ग्रामीण एवं क्षेत्रीय जनता में काफी दुःख तथा आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा कराने तथा ग्राम पाण्डेयपुर राधे में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर समग्र विकास गांव में चयनित गांवों में पात्रता के आधार पर इन्दिरा आवास आवंटन किए जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 पी0 के0 राय-

[मान्यवर, सेवरही, जनपद कुशीनगर समग्र विकास गांव में चयनित गांवों के इन्दिरा आवास के पात्र लाभार्थियों की सूची में जिला स्तर में व्यापक फेर बदल कम्प्यूटराइजेशन के बाद किया गया है, कम्प्यूटर द्वारा निकाली गयी सूची में पात्रों की संख्या में भारी कटौती की गयी है। जिले से अनुमोदित सूची में शासनादेश का उल्लंघन करते हुए आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के 60:40 का अनुपात का पालन नहीं किया गया है। जिससे अनारक्षित श्रेणी के पात्र इन्दिरा आवास पाने से वंचित किये जा रहे हैं। दैवीय आपदा, बाढ़ विस्थापित एवं अग्निकांड के पीड़ितों को इन्दिरा आवास वितरण किये जाने में शिथिलता बरती जा रही है।

ऐसी स्थिति में शासन से अनुरोध है कि ग्राम सभा स्तर पर चयनित पात्र व्यक्ति की जांच कर स्थायी पात्रता के आधार पर शासानादेश के अन्तर्गत लाभार्थियों को इन्दिरा आवास आवंटन की प्रक्रिया हेतु आदेश दिये जाने के लिए शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए इस लोक महत्वपूर्ण प्रश्न पर शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरठ के सिवालखास क्षेत्रान्तर्गत गन्ना किसानों को चीनी निगम मिल मोहद्दीनपुर द्वारा बोनस न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रणवीर राणा-

[मेरे जनपद मेरठ की सभी निजी शुगर मिलों द्वारा किसानों को सन् 2004-2005 में गन्ने के प्रति कुन्तल पर 13 रुपये बोनस गन्ना खरीद पर दिया गया। इसी प्रकार 2005-06 में भी यह बोनस दिया गया लेकिन उपरोक्त मिल ने मेरे क्षेत्र के गन्ना किसानों को कोई बोनस मुहैय्या नहीं कराया, इस प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में गन्ने की दो अलग-अलग कीमतें मिलों द्वारा दी गयी जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। चूंकि किसानों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है और इन किसानों का शोषण हो रहा है। गन्ना किसानों द्वारा बराबर बोनस की मांग उठायी जा रही है। ऐसी हालत में गन्ना किसानों की प्रदेश के अन्य भागों में भी यह शिकायत मिल रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस सदन में सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के सभी गन्ना किसानों के साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र के गन्ना किसानों को भी बोनस देकर उनके साथ न्याय किया जाये।]

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जर्जर सड़कों का निर्माण डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशल किशोर-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि लखनऊ जनपद के मलिहाबाद ब्लाक के गांव भुलभुला खेड़ा में नहर के पास से श्री श्रीचन्द एडवोकेट के घर के पास से होते हुए नहर के पुलिया तक सड़क बनाने व दुबग्गा हरदोई रोड से कानपुर रोड तक जाने वाली रिंग रोड पर से चेतना पब्लिक स्कूल तक सड़क बनाने तथा हरदोई रोड यादव बाजार से गांव इटौहली तक सड़क का निर्माण एवं अन्धे की चौकी नवीपनाह रोड से सराय प्रेम राज (काकोरी ब्लाक) तक सड़क का निर्माण करना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त रास्तों पर खड़न्जे की स्थिति अत्यन्त जर्जर हो गई है उक्त रास्तों पर सड़कों का निर्माण डामरीकरण करके करना अति आवश्यक है। यह मामले अत्यन्त लोकमहत्व के हैं।

अतः आपसे आग्रह है कि इस लोकमहत्व व अविलम्बनीय सूचना को निमय 301 में ग्राहय करके आवश्यक दिशा निर्देश सदन में देने की कृपा करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री स्वामी रामानन्द संस्कृत प्रचार जू0 हा0 स्कूल पिण्डखर जनपद बांदा के अध्यापक स्व0 सुकदेव प्रसाद कुशवाहा की मृत्यु के फलस्वरूप उनके पुत्र को मृतक आश्रित नियुक्ति देने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू लाल कुशवाहा-

[मान्यवर, स्व0 सुकदेव प्रसाद कुशवाहा स0अ0 निवासी ग्राम शिवरामपुर जनपद-चित्रकूट श्री स्वामी रामानन्द संस्कृत प्रचार जू0हा0 स्कूल पिंडखर, तह0 अतर्रा, जनपद बांदा में कार्यरत थे जिनकी सेवाकल के दौरान दिनांक 08-02-03 को मृत्यु हो गयी थी। उनके स्थान पर उनके लड़के श्री शिवपूजन प्रसाद कुशवाहा जो मृतक आश्रित पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता रखता है और उसने विद्यालय के प्रबन्धक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा को अपनी नियुक्ति हेतु दिनांक 19-02-03 को व उसके बाद अनेकों प्रार्थना-पत्र लिखित रूप में समय के अन्तर्गत भेजा है, किन्तु अब तक उनकी नियुक्ति अनुकम्पा नियुक्ति के अन्तर्गत नहीं की गयी जबकि शासनादेश सं0-231/15-6-97-28(66)-90, दिनांक 31 जनवरी, 1977 के अनुसार मृतक आश्रित के परिवार में एक व्यक्ति की नियुक्ति मृतक आश्रित के पद पर करने का प्राविधान है। उक्त शासनादेशों का अनुपालन किया जाना न्यायसंगत है तथा नियुक्ति न किया जाना उसके मौलिक अधिकार का हनन है। यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय है।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए वक्तव्य की मांग एवं स्व0 सुकदेव प्रसाद कुशवाहा स0 अ0 की स्वामी रामानन्द संस्कृत प्रचार जू0हा0 स्कूल पिंडखर, तह0 अतर्रा, जनपद-बांदा की दिनांक 08-02-03 को सेवाकाल के दौरान मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र श्री शिवपूजन प्रसाद कुशवाहा को मृतक आश्रित के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की मांग करता हूं।]

जनपद अम्बेडकर नगर के टांडा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों के अधूरे विद्युतीकरण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लालजी वर्मा-

[विधान सभा क्षेत्र टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में विभिन्न ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु मेरे प्रस्ताव पर विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-03 एवं वित्तीय वर्ष 2004-05 में धन विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर अम्बेडकर नगर द्वारा ग्राम सविकापुर, सूरापुर, नगदरपुर, पियारेपुर, सहित दर्जनों ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। जिसके कारण उक्त ग्रामवासियों में आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य कराने की मांग करता हूं।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्रान्तर्गत सिम्भावली शुगर मिल द्वारा क्षेत्रीय गन्ना कृषकों का गन्ना कम मात्रा में खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, मेरी विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर में स्थित सिम्भावली शुगर मिल द्वारा गन्ना पेराई हेतु क्षेत्रीय गन्ना कृषकों का गन्ना बहुत ही कम मात्रा में लिया जा रहा है बल्कि आरक्षित क्षेत्र से बाहर से गन्ना भारी मात्रा में खरीदा जा रहा है जिससे क्षेत्रीय किसानों को अपना गन्ना कम रेट में क्रेशरों पर मजबूर होकर डाला जा रहा है जिससे कृषक गेहूं की बुआई नहीं कर पायेंगे तथा अनाज की भारी किल्लत पैदा होगी आज क्षेत्रीय किसान अपना गन्ना बहुत कम मात्रा में मिल कर डाल रहा है क्योंकि शुगर मिल जानबूझकर पर्चियां नहीं भेज रहा है जिससे किसानों को भारी क्षति हो रही है।

क्योंकि प्रश्न जनहित व क्षेत्रीय कृषकों से जुड़ा है अविलम्बनीय है। कृपया सरकार गन्ना कृषकों को भारी क्षति से बचाने की कृपा कर गन्ना आपूर्ति हेतु मिल को निर्देश देने की कृपा करें।]

जनतंत्र सेनानियों को रोडवेज बसों में सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम करन आर्य-

[मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री उ0 प्र0 सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल के दौरान मिसा व डी0आई0आर0 में बन्दी राजनीति बन्दियों को जनतंत्र रक्षक घोषित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह सुविधायें देने का एलान किया है जिसमें पेंशन व बस की सुविधा शासन द्वारा शासनादेश के अनुसार लागू कर दी गयी है मगर रोडवेज में बस द्वारा जनतंत्र सेनानियों को परिचालकों द्वारा परेशान किया जाता है और यहां तक कि बस से उतार दिया जाता है। जो घोर जनतंत्र सेनानियों के साथ अन्याय हो रहा है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर जनतंत्र सेनानियों को बस में सुविधा दिये जाने एवं उनकी सीट रिजर्व किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं।]

पीलीभीत के जिला पंचायत नार्मल स्कूल में विकलांग पुनर्वास केन्द्र के सामने की भूमि को एक ट्रस्ट को निःशुल्क दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 विनोद तिवारी-

[अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सदन का ध्यान नियम-301 के अन्तर्गत आकृष्ट कराना चाहता हूं।

श्रीमान जनपद पीलीभीत में जिला पंचायत नार्मल स्कूल में विकलांग पुनर्वास केन्द्र के सामने की भूमि में डा0 राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट की स्थापना हेतु 1000 वर्ग मी0 भूमि निःशुल्क

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- । ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिये जाने की मैं घोर आपत्ति करता हूं। 30-11-2006 में जिला पंचायत की बैठक में काफी विरोध के बाद भी जिला पंचायत की करोड़ों रुपयों की इस वैश कीमती जमीन को निःशुल्क आवंटित कर दिये जाने का प्रस्ताव कर दिया गया है मैंने भी इसका लिखित रूप से विरोध किया था जिला पंचायत की करोड़ों रुपयों की इस सम्पत्ति को इस तरह से खुर्द वुर्द करने से जिला पंचायत को भारी आर्थिक क्षति हुई। संस्था की जमीन को इस तरह से निःशुल्क दिये जाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है यह पीलीभीत की जनता के साथ घोर अन्याय है इससे लोगों में काफी आक्रोश है।

कृपया उक्त ज्वलन्त विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते मर्जर पर मकान किराया/नगर प्रतिकर भत्ता आदि परिणामी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों आदि को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति मंहगाई भत्ता आदि मिलने का प्राविधान था। एन0डी0ए0 सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़ने का निर्णय वर्ष 2004 में लिया गया था, तद्नुसार मकान किराया, नगर प्रतिकर भत्ता आदि परिणामी लाभ दिया गया था। उ0 प्र0 सरकार ने काफी देरी से 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ते को अपने कर्मचारियों को देने का तो निर्णय लिया, परन्तु अभी तक संशोधित वेतन पर मकान किराया, नगर प्रतिकर भत्ता आदि परिणामी लाभ नहीं दिया गया है।

इस कारण राज्य के लाखों कर्मचारी, शिक्षकों द्वारा कई बार धरना, प्रदर्शन आदि किया गया है। विधान सभा में भी उक्त विषय प्रश्न के माध्यम से उठाया था तथा सरकार ने इस माह (दिसम्बर) में निर्णय लेने का आश्वासन दिया था। प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 28 एवं 29 नवम्बर, 2006 को आधे दिन का कार्य बहिष्कार किया तथा 14 दिसम्बर, 2006 को हड़ताल करने की चेतावनी दी है। प्रदेश के कर्मचारियों एवं शिक्षकों में काफी रोष व्याप्त है। अतः सरकार से अविलम्ब 50 प्रतिशत डी0ए0 मर्जर पर मकान किराया, नगर प्रतिकर भत्ता आदि परिणामी लाभ दिये जाने की अविलम्ब मांग करता हूं।

उक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है तथा प्रदेश के लाखों लोगों से जुड़ा हुआ है अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

नोट :- [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 कानपुर द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सलिल विश्नोई-

[उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिये प्रदेश सरकार अपनी घोषणायें करती रहती है किन्तु बिना उद्योगों की स्थापना के प्रदेश की औद्योगिक प्रगति सम्भव नहीं है। सरकार की पोषित नीतियों के विरुद्ध उनकी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0आई0डी0सी0) द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित करके उनसे अवैध धन वसूली करना चाहती है।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 ने कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के पिछड़े इलाके, उरई, बिजौली तथा सुमेरपुर हमीरपुर आदि स्थानों पर रिक्त पड़े औद्योगिक प्लाटों को बेचने की सूचना जारी की थी। दिनांक 07 अक्टूबर, 2006 तक प्रार्थना-पत्र देने थे। अनेक औद्योगिक आस्थानों के लिये उद्यमियों ने आवेदन किये। जमीन के लिये औद्योगिक निगम द्वारा निर्धारित दरों पर उद्यमियों ने प्लाट के लिये आवेदन किया तथा कुल धनराशि का 25 प्रतिशत जो कि लाखों में रकम है, का ड्राफ्ट भी जमा किया। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर खाली प्लाट के लिये सिर्फ एक उद्यमी ने ही आवेदन किया है। एक माह से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात भी उन प्लाटों का आवंटन नहीं किया गया। जानबूझकर उद्यमियों का पैसा फंसा कर उन्हें हतोत्साहित करने के पीछे अवैध धन वसूली की मंशा लगती है। अगर इसी प्रकार से उद्यमियों को उद्योग लगाने में प्रारम्भिक स्तर पर ही हतोत्साहित किया जायेगा तो प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे होगा।

मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर नियम-301 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही के द्वारा शासन को निर्देशित करने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04 दिसम्बर, 2006 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुयीं। पहली सूचना श्री हुकुम सिंह की, दूसरी डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की और तीसरी सूचना श्री राम इकबाल सिंह, श्री श्याम देव राय चौधरी की है।

दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के मध्य परिवहन निगम की बसों में संचालन सम्बन्धी विवाद की नियम 56 की सूचना के सन्दर्भ में परिवहन मंत्री द्वारा सर्वदलीय प्रतिनिधि मण्डल के गठन के प्रस्ताव को मा0 अध्यक्ष विधान की सहमति के उपरान्त भी कार्यान्वित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा कि 22 तारीख को, विगत महीने के नवम्बर को, मैंने कार्यस्थगन के माध्यम से यहां प्रश्न उठाया था कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- । ।यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जो बसों का विवाद है, उससे आम जनता को बड़ी कठिनाई हो रही है। मान्यवर, इस विषय के महत्व को देखते हुये कई सुझाव आये और एक सुझाव माननीय परिवहन मंत्री जी का भी आया कि एक सर्वदलीय बैठक कर ली जाय या एक सर्वदलीय समिति बना दी जाय, उसकी घोषणा माननीय अध्यक्ष करें, दिल्ली में वह जायेगी और समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी। यह भी मान्यवर, सदन का लगभग सर्वसम्मति का विषय था कि माननीय अध्यक्ष को उसका अधिकार दे दिया गया, आज मान्यवर, 4 दिसम्बर को हम लोग यहां बैठे हैं, अभी तक तो समिति के बारे में जानकारी है नहीं, गठित हुयी कि नहीं हुयी और जब यहां का आदेश हो, यहां का प्रस्ताव हो और उसकी घोषणा पूरे सदन में की जाय, उसका पालन न हो तो उसका परिणाम क्या हुआ ? परिणाम यह हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों प्रदेशों के अधिकारियों को बुलाकर, इस प्रकार प्रताड़ित किया और यहां तक कहा कि आप लोगों ने ईराक और ईरान की लड़ाई बनाकर रखा है। छोटी सी समस्या है, उसका आप लोग समाधान नहीं कर सकते, एक तारीख दी गयी और कहा गया कि यदि इस तारीख तक आप लोग इस समस्या को समाधान नहीं करते तो दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव को वहां तलब किया जायेगा, तब इसका समाधान होगा। अधिकार हमारा, जन प्रतिनिधि हम, जन समस्याओं के समाधान के लिये हम लोगों को यहां भेजा गया अगर हम लोग उससे विमुख हो जायेंगे, उसका समाधान नहीं तलाश करेंगे। यह सत्ता पक्ष की चुनी हुयी सरकार है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जनता की परेशानियों को देखते हुये यह इस समस्या का कुछ समाधान करते, अब क्या हर काम को न्यायालय करेगा और न्यायालय इसलिये करेगा कि अगर यह विधान सभा नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी तो विवश होकर न्यायालय को बीच में आना पड़ेगा। आज मान्यवर, स्थिति यह बन गयी कि छोटी-छोटी समस्यायें अब न्यायालय के सामने जा रही हैं, वही समाधान करते हैं जो हमको कर देनी चाहिये थीं। मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न इसलिये है कि कार्यवाही में इस बात का उल्लेख है, आपको इसमें अधिकृत किया गया, आपसे अपेक्षा यह की जाती थी मान्यवर, कि आप हमारी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये, आप उस पर अमल करते। क्योंकि मान्यवर, सर्वोच्च आसन पर आप बैठे हैं जब आपकी तरफ से यह नहीं होगा तो जनता हमसे क्या पूछ रही है, क्या किया वहां बैठ करके। इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी, समाचार-पत्रों में भी प्रमुखता से छपा कि एक सर्वदलीय समिति का गठन कर दिया गया है, उस गठन का पता नहीं आज तक। जब नहीं पता तो आखिर यह मजाक हो गया कि नहीं हो गया, उपहास हो गया कि नहीं हो गया कार्यवाही के साथ में। मान्यवर, मैं यह आग्रह करना चाहता हूं समस्त माननीय सदन से, कि अगर अपनी गरिमा स्थापित करनी है, हमें अपनी प्रतिष्ठा रखनी है, जनता का विश्वास कायम रखना है तो कम से कम जो सदन में निर्णय हों, उन निर्णयों का पालन होना चाहिए और निर्णय का पालन करने की जिम्मेदारी मान्यवर, आप भी जानते हैं कि किसकी हैं इस आसन पर जो भी बैठेगें, उनकी जिम्मेदारी है और आपने ही इसकी घोषणा की और आप ही को सदन ने अधिकृत किया और इसके बावजूद भी हम यदि चले गये होते तो कम से कम यह संदेश जाता कि हम इस समस्या की ओर जागरूक हैं। नहीं गये हैं नहीं गठन हुआ है तो न्यायालय तो है ही, जायेंगे लोग वहां पर और जिस प्रकार से एक-एक बात

लेकर आहिस्ता-आहिस्ता सारी शक्ति इस विधान मण्डल की और सरकार की, न्यायालय को जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, यह कोई अच्छा संदेश नहीं है। मैं औचित्य के प्रश्न के माध्यम से यह आग्रह कर देना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लिया जाय और क्यों उस समिति का गठन नहीं हुआ, या उसके अलावा समाधान करने के लिये क्या-क्या उपाय किये गये, इसका उल्लेख सदन में किया जाय, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात की जानकारी हो सके।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मामले की गम्भीरता से किसी को और सरकार को ऐसा नहीं कि कोई लेना-देना नहीं है। माननीय हुकुम सिंह जी ने खुद ही एक शब्द का इस्तेमाल किया कि दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने ऐसा कोई सवाल नहीं बना रखा है, इसमें दिल्ली सरकार ने बिल्कुल जिद पकड़ रखी है। आपका सुझाव बिल्कुल सही है, मैं भी चाहूंगा कि मंत्री जी से इस सिलसिले में आप बात कर लें।

श्री अध्यक्ष-

कहां हैं, मंत्री जी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, वह सदन में नहीं है लेकिन पूरी सूरतेहाल वही बता सकेंगे। मामला गम्भीर है, इसका समाधान होना चाहिए और यह बिल्कुल सही है कि बहुत ज्यादा दखलंदाजी कुछ ऐसे माध्यमों की होने लगी है, जिससे खुद सदन की गरिमा में कमी हो रही है, हमारी भी कोई पहल होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, समाधान एक अलग बात हुई, दो प्रकरण आपने कहे हैं, एक कमेटी की बात तो सदन में तय हुई थी। सदन में यह प्रस्ताव आया कि एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाए और उसे आपके अधिकार में छोड़ दिया गया। यह तो विधान सभा का एक निर्णय हुआ, जिसमें सबकी सम्मति से एक कमेटी का गठन होता। दूसरे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कुछ प्रयास किया होता क्योंकि मान्यवर यह इतनी ज्वलन्त समस्या है कि आम जनता को इस परिवहन अव्यवस्था के कारण अव्यवस्थित होना पड़ रहा है। उसको बार्डर के पहले उतरना पड़ता है, तमाम पूर्वांचल के लोग जाते हैं और वह समस्या आज भी विद्यमान है। मैं समझता हूं कि इससे महत्वपूर्ण बात और कोई नहीं हो सकती है, मैं चाहूंगा कि जो निर्णय हुआ, उस पर आप अपनी व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

सदन में प्रस्ताव हुआ था कि एक सर्वदलीय कमेटी बना दी जाए, उसके बाद ही यह मामला होईकोर्ट में चला गया। अभी कमेटी बनने की बात हुई ही थी कि उसके दूसरे, तीसरे दिन ही मामला हाईकोर्ट में चला गया और जब मामला हाईकोर्ट में चला गया तो हमने सोचा कि हो सकता है कि कोई समाधान निकल रहा हो, इसलिए हमने ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक बात है, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि संविधान में सभी के अधिकार/क्षेत्राधिकार बंटे हुए हैं और यह सही है कि संवैधानिक मर्यादाओं का कहीं न कहीं क्षरण हुआ है और हो रहा है, चूंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि यह लोग तय कर लें। सभी दलों के नेताओं से मेरी बात नहीं हो पायी थी इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। मैं आज ही सभी नेताओं से सम्पर्क करके आज शाम पांच बजे तक कमेटी की घोषणा कर दूंगा। मैं इस पर आपको सुनने के बाद इसे अग्राह्य करता हूं।

दिनांक 22 नवम्बर, 2006 को औचित्य के प्रश्न की सूचना पर चर्चा के समय डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर को आक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

दूसरा प्रश्न गौर साहब का है, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता था। लेकिन औचित्य का प्रश्न इसलिए बनता है क्योंकि जो लोकायुक्त अधिनियम है, उसके अनुच्छेदों, उसकी धाराओं में व्यवस्था की गई कि लोकायुक्त की जो रिपोर्ट होगी वह रिपोर्ट गवर्नर के माध्यम से सदन के पटल पर रखी जाएगी और प्रमोद तिवारी ने यह बात उठाई थी कि बहुत से लोगों के विरुद्ध कई आरोप हैं और किसी का नाम नहीं लिया था, उन्होंने उठाया था कि यह रिपोर्ट सदन के पटल पर आनी चाहिए और जो हमारे सदन की कार्यप्रणाली है, जो हमारे अधिकार हैं, उसका क्षरण हो रहा है, क्योंकि इस रिपोर्ट को नहीं रखा जा रहा है। उसी में एक माननीय सदस्य ने यह कह दिया था लेकिन उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, वह निर्णय अभी हमारे पास सुरक्षित है। इसमें चूंकि आपका नाम उन्होंने लिया था लेकिन जब मैं निर्णय दे दूंगा तो उससे आप निश्चिन्त हो जाएंगे। हां, अगर अपने बारे में कोई स्पष्टीकरण देना चाहें तो स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरे पास उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 है, इससे मैं अवगत कराना चाहता हूं, मान्यवर, मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप नियम 300 में क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं ? यह तो आप ऐसे भी दे सकते हैं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, आप उस पीठ पर बैठे हुए हैं, क्या व्यक्तिगत आरोप नियम-300 के नाम पर लगाये जा सकते हैं ? अगर आप कह दें हां, तो मैं बैठ जाता हूं और मान्यवर, अगर नहीं, तो जो आरोप लगाया गया है वह नियम-300 का उल्लंघन है या नहीं। मैं राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसका उन्होंने विरोध किया था।

श्री अध्यक्ष-

वह एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, जिस पर आपका नाम उद्धृत कर रहे थे, यह रिपोर्ट लोकायुक्त की है, उसकी पत्र संख्या भी बता रहे थे कि इसको रखवाया जाना चाहिए, वह आप

पर आरोप नहीं लगा रहे थे। लोकायुक्त की रिपोर्ट सही है या गलत है, यह आप बता दें, लेकिन केवल रिपोर्ट के बारे में बतायें।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरी बात आ जाने दीजिए।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने चूंकि मेरा नाम भी लिया है और इसमें एक उल्लेख इस बात का है उसको दोहराकर कहना चाहता हूं। नोटिस के माध्यम से प्रकारान्तर में आक्षेप लगाने का काम किया गया था। मैंने यही अनुरोध किया था कि आप नोटिस के माध्यम से डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर पर इतना गम्भीर आरोप लगाते हैं तो, आक्षेप लगाने के लिए दूसरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से सूचना आनी चाहिए थी। सरकार का पक्ष मैंने आपके सम्मुख रख दिया था, निर्णय आपका है। मान्यवर, सरकार का पक्ष स्पष्ट था। मैंने यह कहा है कि जिस किसी सदस्य को, मा0 प्रमोद तिवारी जी, राम कृपाल जी को जितनी आक्षेप लगानी है, लगायें लेकिन उसका एक नियम है। आपने नोटिस दी वह सदन की सम्पत्ति है। मैंने उनकी नोटिस को पढ़ा था, आक्षेप लगाना है तो नियमावली में वर्णित है। लेकिन दूसरे नियमों में आक्षेप लगायें, यह उचित नहीं है। उस दिन भी कहा था और आज भी मैंने सरकार का पक्ष रख दिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने निर्णय सुरक्षित रखा है और कल सदन है, इस पर निर्णय दूंगा। उस समय गौर साहब अपनी बात रख लेंगे।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मेरी छवि का प्रश्न है, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं अनिश्चित काल के लिए बैठ जाऊंगा। मैं साढ़े 6 साल कैबिनेट मंत्री रहा हूं, अगर एक व्यक्ति भी किसी प्रकार आरोप लगा दे तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। लोकायुक्त अधिनियम का कुछ बिन्दु यहां पढ़ना चाहता हूं :-

लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 के अनुसार जांच पूरी होने पर लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट से लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी को अवगत कराएगा कि शिकायतकर्ता को किस प्रकार सन्तुष्ट किया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करेगा।

धारा-10 के अनुसार प्रत्येक जांच गोपनीय होगी। शिकायतकर्ता व लोक सेवक की पहचान प्रेस के माध्यम से नहीं करायी जाएगी और जांच के पहले, जांच के दौरान तथा जांच के बाद जांच रिपोर्ट का खुलासा जनता में अथवा प्रेस में नहीं किया जाएगा।

जहां तक आरोप लगाया है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि पूर्व लोकायुक्त इलाहाबाद के थे और मेरी विधान सभा क्षेत्र में रहते हैं। 4 बार चुनाव हार चुके एक पूर्व विधायक यहां पर आये और उन्होंने नोटिस लगवायी। जिन्होंने आरोप लगाया वह भी इलाहाबाद से जुड़े हुये हैं और

साजिश के तहत आरोप लगाया गया है। एक भूमि खरीद-फरोख्त का मामला बताया गया, यह 1986 का मामला है। 20 साल पहले जब मैं राजनीति से कोसों दूर था। 1986 में मेरी पत्नी ने 251 वर्ग मीटर जमीन रजिस्ट्री द्वारा खरीदी। 1995 में रजिस्ट्री करके बेच दिया, इसमें कहां भ्रष्टाचार है। इतना ही नहीं किया। पूर्व लोकायुक्त पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा [x x x] मेरी पत्नी पब्लिक सर्वेण्ट नहीं है तो लोकायुक्त को क्या संज्ञान लेना चाहिए ? इसमें स्पष्ट कहा गया है कि धारा-8 (4) (ब) के अनुसार कुशासन अथवा भ्रष्टाचार यदि प्रतिवाद के पांच वर्ष पूर्व किया गया है तो उस जांच को लोकायुक्त नहीं कर सकता और उस मियाद को लोकायुक्त द्वारा किसी भी दशा में डिले कन्डोन नहीं किया जा सकता। मान्यवर, 5 वर्ष से अधिक पहले की बात है। मान्यवर, 20 साल पहले का केस है। इलाहाबाद के अन्दर हजारों लोगों ने जमीन खरीदी-बेची है।

दूसरा आरोप लगाया गया कि विधायक निधि का दुरुपयोग किया गया। मैं 15 साल से विधायक हूं। मा0 तिवारी जी मेरे बगल में रहते हैं। मेरा आरोप है कि वहां पर सड़क बनी है। वहां पर सैकड़ों लोग आते-जाते हैं। वहां पर बीसियों मकान हैं, वहां पर सीवर का सैकड़ों लोग उपयोग कर रहे हैं। तिवारी जी मेरे यहां दो बार आये। मान्यवर, मैं तो कहना चाहता हूं कि तिवारी जी में जरा सी ईमानदारी हो, व्यक्तिगत, राजनीतिक विद्वेष नहीं है तो वह अगर कह दें कि हमने व्यक्तिगत सड़क बनवायी है या सार्वजनिक सड़क हैं। मान्यवर, मैं अपने को राजनीति से विरत कर लूंगा। इस तरह से झूटे आरोप लगाना मेरे जैसे व्यक्ति पर, मान्यवर, इसको मैं उचित नहीं समझता। मान्यवर, अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि नियम 300 का जो दुरुपयोग किया गया है, अगर यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है तो कार्यवाही का हिस्सा रहना चाहिए नहीं आता है तो इसको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिये। इतना ही आपसे निवेदन करते हुये मैं न्याय की अपील करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने अभी उस पर निर्णय नहीं दिया है। मैंने आपकी बात सुन ली आपका पक्ष आ गया। उनका भी है, इस पर हम निर्णय देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय लोकायुक्त इस सदन के सदस्य नहीं है। लोकायुक्त एक संवैधानिक पद है, उन पर आक्षेप लगाया है।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब बैठें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

सदन के सदस्य हों या न हों, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता उस पर कार्यवाही कर देंगे। (शोर) वह खुदा के बच्चे हो गये।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना माननीय राम इकबाल सिंह जी की थी। यह प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 7 कि0मी0 लेपन स्तर तक हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है कि अपने-अपने कारणों से अपने-अपने कथन हो सकते हैं। इस सदन में कहने की स्वतंत्रता है किन्तु आपका उत्तरदायित्व है, हम लोग जो बातें कह देते हैं अगर वह मुनासिब नहीं है तो वह कार्यवाही का अंश नहीं होना चाहिये। मेरा आपसे अनुरोध है कि लोकायुक्त पर अगर किसी तरीके की कोई टिप्पणी या उनकी जांच पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने का कोई अधिकार इस सदन में नहीं होना चाहिये। राजनीतिक टिप्पणी के लिये दूसरी जगह है। सदन में अगर लोकायुक्त पर कोई टिप्पणी की गयी है तो उसको जरूर कार्यवाही से निकलवा दें, मेरा आपसे यह अनुरोध है। आपके ऊपर अगर आरोप गलत है, किसी को लोकायुक्त का बहाना बनाकर आप पर आक्षेप लगाना गलत है। लेकिन लोकायुक्त पर टिप्पणी करने का अधिकार भी आपको नहीं है। आप दिखवा लें, अगर लोकायुक्त पर टिप्पणी है तो उसको निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, पूर्व लोकायुक्त हैं, वर्तमान लोकायुक्त नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में रहते हैं। वर्तमान लोकायुक्त के बारे में मैंने एक शब्द नहीं कहा है। मान्यवर, अगर मैं कहना प्रारम्भ कर दूंगा तो बहुत कुछ मुझे मालूम है इतिहास, भूगोल बहुतों का मालूम है।

श्री अध्यक्ष-

गौर साहब मैं इस पर निर्णय दे दूंगा। आप बैठें।

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा सात-सात किमी लेपन स्तर तक सड़क निर्माण का शासनादेश जारी हो जाने के उपरान्त भी केवल 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

यह जो राम इकबाल सिंह की सूचना है, इसका कोई औचित्य नहीं है। एक आश्वासन था। इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। इसको संसदीय कार्य मंत्री जी देख लेंगे।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, 15 परसेन्ट में कैसे सड़क बनेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, इन मदों को सदन के पटल पर रखवा दें।

उ0 प्र0 जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2006 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 अक्टूबर, 2006 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2006 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2006 का उत्तर प्रदेश का बत्तीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का दसवां प्रतिवेदन (खण्ड-6) †

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का दसवां प्रतिवेदन (खण्ड-6), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित आडिट आपत्ति पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) †

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन), जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति (2002-2003) के तृतीय प्रतिवेदन (खण्ड-1) में की गई संस्तुतियों पर शासन के विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का बारहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन) †

सभापति, लोक लेखा समिति (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2006-2007) का बारहवां प्रतिवेदन (कार्यान्वयन), जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (सिविल) (खण्ड-1) पर आधारित लोक लेखा समिति (2002-2003) के षष्ठ प्रतिवेदन (खण्ड-1) में की गई संस्तुतियों पर शासन के विभागों द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति का उन्तालीसवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन †

सभापति, उ0 प्र0 विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (श्री शिव कुमार बेरिया)-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति (2006-2007), का उन्तालीसवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन जो 'ग्राम देहुली, थाना जसराना, जनपद मैनपुरी में दिनांक 18 नवम्बर, 1981 को हुई 24 हरिजनों की निर्मम हत्या से सम्बन्धित दसवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत करता हूं।

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा भीटी में मौर्या बस्ती से पूरब वेशो नदी पर पुल निर्माण कराने विषयक श्री अनिल मौर्य आदि निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

श्रीमती विद्या चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के ग्राम सभा भीटी में मौर्या बस्ती से पूरब वेशो नदी पर पुल निर्माण कराने विषयक श्री अनिल मौर्य तथा श्री राम जनम राम निवासीगण जनपद आजमगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11, 12 में कुछ नहीं है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा अपने आसन पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी आप ही बोलेंगे एक मिनट में यह औपचारिक कार्य हो जाय।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के पहले गुरुवार दि0 17 फरवरी, 2005 के तारांकित प्रश्न संख्या-2 नत्थी "ख" के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष द्वारा जारी प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण) निदेश संख्या-44 (1) के अन्तर्गत राजस्व मंत्री के शोधन वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

राजस्व मंत्री शोधन वक्तव्य पढ़ें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, शोधन वक्तव्य ठीक से नहीं आया है इसलिए आज इसको स्थगित कर दें। मैं इसको करेक्ट करके प्रस्तुत करूंगा।

---

† छापी नहीं गयीं।

†† छापी नहीं गयीं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित किये जाने विषयक व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि विधान सभा सत्र में हम गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करेंगे आज सत्र चल रहा है। गन्ने की पेराई होते दो महीने हो चुके हैं। अक्टूबर और नवम्बर। किसानों की पर्चियों पर गन्ने का समर्थन मूल्य न घोषित होने के कारण किसानों के बीच अनिश्चय की स्थिति है। भुगतान पुरानी दरों पर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

आप की बात आ गई। आश्वासन है वह मुख्य मंत्री जी जब आयेंगे तब देंगे।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 को नियम-311 की 4 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना नियम-311 में प्राप्त श्री लाल जी टण्डन व डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सहारनपुर नगर पालिका परिषद् की बैठक में भाजपा सभासदों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना नियम-311 में प्राप्त श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री दद्दू प्रसाद, श्री लाल जी वर्मा, श्री काली चरण राजभर की कानपुर में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में इसी विषय पर नियम-311 में प्राप्त सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती लुईस खुर्शीद की है।

तीसरी सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ स्थित विक्टोरिया पार्क में हुए अग्नि काण्ड से प्रभावित व्यक्तियों का इलाज न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्रीमती लुईस खुर्शीद की विधान सभा भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। श्री प्रमोद तिवारी जी आज अपने दो विषयों पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। आप तय करें कि आप किस पर बोलेंगे।

पांचवी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर में प्राचीन जर्जर भवनों को बचाने हेतु समय-समय पर किये गये मरम्मत परिवर्तन एवं परिवर्द्धन के भवनों को वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा गिराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष-

छठवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद खीरी स्थित किसान सहकारी चीनी मिल, पूरनपुर से सम्बद्ध नये गन्ना क्रय केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई वे अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री मुंशी लाल गौतम, श्री सलिल विश्नोई, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री कौशल किशोर, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री रामहेत भारती, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेन्द्र चन्द्र तिवारी, श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री दद्दू प्रसाद, श्री जगदीश नारायण राय, श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री राम इकबाल सिंह तथा डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर।

(दो-तीन सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दिन दहाड़े हत्या हुई है।

श्री अध्यक्ष-

अभी रुकिये, मौर्या जी को बोलने दीजिये। आपके नेता बोलने के लिये खड़े हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो अपनी सूचना के बारे में कह रहा हूं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सहारनपुर वाली सूचना में मेरा भी नाम था। नियम-311 की थी। आपने उसको 56 में परिवर्तित कर दिया, आपका निर्णय शिरोधार्य है।

श्री अध्यक्ष-

हां, आपका भी नाम है। मैंने पढ़ा नहीं। आप लोग बैठ जायं। एक-एक करके निपटायें। माननीय टण्डन जी आपकी सहमति से माननीय मौर्या जी को मैं बोलने के लिये बुला रहा हूं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, अगर मेरा नोटिस आज न आ पाए तो इसको कल ले लीजियेगा। मैं कल दूसरी सूचना नहीं दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले से ही ऐसी सम्भावना क्यों बना रहे हैं ?

श्री लालजी टण्डन-

मुझे पता है। आप आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यही आश्वासन आप मुझे भी दे दें। अगर किन्हीं कारणों से जैसा लग रहा है। माहौल और हालात मुझे नहीं लगता कि इसके बाद दूसरी सूचना .....

श्री अध्यक्ष-

हालात सामान्य रहें। हर माननीय सदस्य अपनी बात कह सकें, ऐसा माहौल बना रहे इसके लिये मैं सदन से आग्रह करता हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हमारे बराबर प्रयत्न करने के बाद भी अगर हमारी सूचना न आ पाए।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी, इसका मतलब है कि आप पहले से ही मन बना ले रहे हैं कि हालात खराब है। हालात अच्छे बनाने का प्रयास करना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अन्तिम क्षण तक यह प्रयत्न करूंगा कि जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। लेकिन अगर सफल नहीं हुआ तो।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले ही मान लेंगे तो मौर्या जी और उछल कूद करेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अगर मैं सफल नहीं रहा तो जो टण्डन जी का हश्र हुआ वही मेरी सूचना का भी हो।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, 311 में कानपुर को लेकर मेरी भी एक सूचना है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में भूख से एक मौत हुई है। इतना गम्भीर विषय है, आपसे मेरा अनुरोध है कि दो मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं। मौर्या जी को बोल लेने दीजिये।

*श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस समय प्रदेश और देश की जो सबसे ज्वलनशील समस्या है और जिससे देश के करोड़ों-करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं उस पर बोलने का अवसर दिया। इस देश के, भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा कानपुर में विगत 29 तारीख को विखण्डित की गई है उससे ऐसा लगता है कि प्रदेश में शासन और प्रशासन बिल्कुल मूक बन गया है। मान्यवर, इस घटना को घटित हुए लगभग एक सप्ताह हो गया और अभी तक किसी भी [illegible] का गिरफ्तार न होना इस बात को जाहिर करता है कि सरकार ने गुण्डों, माफियाओं [illegible] के सामने घुटने टेक दिये हैं और यही कारण है कि आज यहां गुण्डों और माफियाओं के हौसले इतने बुलन्द हो गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

कि वह आज पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अपराध अराजकता कहर बरपा कर रहे हैं लेकिन मान्यवर, अब इनके हौसले इतने बढ़ गये हैं कि जहां पहले इनके अपराध अराजकता से उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त थी। अब इनके हौसले इतने बुलन्द हो गए हैं कि महापुरुषों का अपमान करने के लिए उनके गिरेबान में हाथ डालना शुरू कर दिया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में जो घटना घटी है उसमें कोई भी गम्भीर कार्यवाही सरकार द्वारा न किया जाना बहुत ही शोचनीय और बहुत ही निन्दनीय है। मान्यवर महापुरुष की कोई जाति नहीं होती है। महापुरुष की कोई पार्टी नहीं होती है। महापुरुष, महापुरुष होता है और सब लोग पार्टियों से ऊपर उठकर ऐसे महापुरुषों का सम्मान करते हैं लेकिन सरकार की जिस तरह से अनदेखी, और इस घटना पर लीपापोती चल रही है जैसा कि मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि विगत दो तारीख को वहां पर, इस घटना पर, मुल्जिम को पकड़ने के बजाए वहां पर, अरुण बाल्मीकि नामक एक नौजवान को जबर्दस्ती साजिशन अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया गया। मान्यवर, यहां तक उससे कहा गया कि तुम्हें दस हजार रुपया दिया जाएगा और 100/- रुपया एडवांस में दिया भी गया। उसके बाद उसको प्रताड़ित किया गया। रात में उसको करंट लगाया गया और यह कहा गया कि तुम इस बात को कबूल नहीं करते हो तुम्हारा हश्र क्या होगा ? इसका नतीजा तुमको भोगना पड़ेगा। मान्यवर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार की इस मामले पर लीपापोती और साथ ही साथ वहां के पुलिसिया साजिश के तहत अपराध और अपराधी को छिपाने की कोशिश चल रही है। एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी करार करने की साजिश की गई है इसका खुलासा हुआ है। मान्यवर, जहां एक ओर गुण्डा, माफिया अपराधियों अराजक तत्वों की अराजकता से पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है जिससे शर्मशार स्थिति पैदा हुई है वहीं पुलिसिया साजिश के तहत एक निर्दोष को अपराधी जबर्दस्ती करार साबित करने का काम किया गया है। साजिश किया गया है उसका भी खुलासा होता है यह उससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं यह अति महत्व का प्रश्न है लोकमहत्व का विषय है, गम्भीर है और तात्कालिक है क्योंकि इसकी आग पूरे देश में फैल गई है आज इसकी आग पूरे देश में फैल गई है जैसा कि मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अब इस घटना की एफ0आई0आर0 लिख चुकी है वहां पर हमारे एक जिम्मेदार सत्तापक्ष के लोगों ने कहा कि यह बहुजन समाज पार्टी के लोगों द्वारा करायी गई घटना है मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं जिन महापुरुषों के आदर्शों पर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ है जिन बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मा0 कांसीराम जी ने कसम खाई थी कि बाबा का मिशन अधूरा, कांसीराम जी करेंगे पूरा, ऐसे कारवां के लोग कभी भी यह घिनौना कृत्य नहीं कर सकते हैं मैं कहना चाहता हूं कि उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए और मैं तो चुनौती देता हूं इसकी सी0बी0आई0 से जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। अगर कोई भी दोषी हो, किसी भी दल का हो तो उसे कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए और कटघरे में खड़ा करना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह अवगत करा देना चाहता हूं कि इस घटना की एफ0आई0आर0 बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो वहां पर

कल्याणपुर विधान सभा में बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी है निर्मल तिवारी कराता है मान्यवर, एफ0आई0आर0 हुई है और घटना हुए एक सप्ताह बीत गया। मान्यवर, मुकदमा अपराध संख्या 247, 2006 थाने में दर्ज है लेकिन इसमें आज तक किसी प्रकार की पहल नहीं की गई है अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई है और नतीजा इसका यह हुआ पूरे देश में आग फैल गई महाराष्ट्र जल रहा है, गुजरात जल रहा है, मध्य प्रदेश जल रहा है आपको मालूम है मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इसी बाबत महाराष्ट्र में चार मौतें हो चुकी हैं। 100 लोग घायल हो चुके हैं। 15 सौ बसों में आग लगाई जा चुकी है। कई वाहन तोड़ दिये गये हैं। इससे गम्भीर घटना और कोई नहीं हो सकती है इसकी गम्भीरता और बढ़ सकती है। जनाक्रोश है। ट्रेनों में स्थानीय ट्रेनों में आग लगा दी गई है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में प्रदेश ही नहीं देश के अन्य प्रदेश भी आग के हवाले हो रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और जैसा बाम्बे के नादेड़, पुणे आदि में इस प्रकार की तमाम विस्फोटक स्थितियां पैदा हुई हैं, जिसमें लोगों की मौतें भी हुई हैं, जिसमें ट्रेनें और तमाम वाहन फूंके गये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिपरी और नादेड़वार में भी घटनाएं हुई हैं, जहां कर्फ्यू आज भी चल रहा है। सूरत में भी बड़े पैमान पर पथराव हुआ है और आन्दोलन हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल और इन्दौर में भी घटनाएं हुई हैं। इसकी आग केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में फैल रही है और तमाम प्रदेश आग के सुपुर्द हो गये हैं। मान्यवर, यह घटना बहुत विस्फोटक हो गई है। यह घटना करोड़ों-करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ी है और इससे जनाक्रोश है। महाराष्ट्र का इतिहास न दोहराया जाए इसलिए इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस घटना की तत्काल सी0बी0आई0 जांच कराई जाए और यदि सरकार अपराधियों तक पहुंचने में अक्षम हो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, नेता सदन को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस सरकार में जंगलराज हो गया है। मान्यवर, यह घटना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, लोक महत्व की और अविलम्बनीय है, इस पर मैं कार्यवाही की मांग करता हूं और सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

(श्री मुंशी लाल गौतम, श्री प्रमोद कुमार तिवारी, श्री सुखदेव राजभर तथा कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैंने तिवारी जी को बुला लिया है, उनका भी इसमें नाम है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण सूचना सदन में जो दी गई है, सदन के सामने आई है, उसे आज हम लोग अच्छी दृष्टि से सदन के सामने रख रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

बर्खास्त करने के अलावा अब क्या बोलेंगे ? ग्राह्यता पर बोलने का एक तरीका होता है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आपने मुझे ग्राह्यता पर बोलने का समय दिया।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

अब सारी चीजों पर इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है।

श्री सुखदेव राजभर-

यह तो नेता सदन कह चुके हैं। जिस महापुरुष की मूर्ति के विखण्डन का नोटिस सदन में दिया गया है।

(सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट में अपनी बात कह लें।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

कांशीराम जी को मार डाला, बन्द करके।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस तरह का अवरोध पैदा करके कमियों को छिपाया जा रहा है।

श्री कमाल यूसुफ मलिक-

कांशीराम को बन्द करके मार डाला।

श्री अध्यक्ष-

कमाल साहब, आप शान्त रहें।

श्री सुखदेव राजभर-

आप भी 56 में बोलिये, हम स्वागत करने के लिये तैयार हैं, हम लोग सुनेंगे। मान्यवर, डा0 अम्बेडकर जैसे महापुरुष ने इस देश की धरती पर जन्म लिया। मान्यवर, उनका पूरा जीवन अपमान और संघर्षों से भरा था। मैं कहना चाहता हूं कि सभी देवी देवताओं और महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं सबका स्वागत है लेकिन क्या कारण है कि जो आदमी पूरी जिंदगी अपमानित रहा, वंचित स्थानों पर जाने के लिए उन्हें संघर्ष भरा रहा, अपमान भरा रहा उसके मरने के बाद भी उसकी मूर्ति की कभी उंगली तोड़ दी जाती है तो कभी उसकी मूर्ति की टांग तोड़ दी जाती है, कभी गर्दन तोड़ दी जाती है। आखिर क्या कारण है कि जो व्यक्ति संघर्ष और अपमान भरी जिंदगी जीता रहा हो उसे मरने के बाद भी अपमानित होना पड़ता है। रोज किसी न किसी जगह बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी जाती है, या उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। आखिर उन्होंने दुनिया का क्या बिगाड़ा है कि आज उनकी मूर्ति की गर्दन तोड़ दी जाये, टांग तोड़ दी जाये, उंगली तोड़ दी जाये। इस पर सत्तापक्ष और विपक्ष के साथ सभी विधायकगणों को इस सदन में चर्चा करनी चाहिए। मैं ग्राह्यता पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मरने के बाद भी दुनिया के लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं यह जांच का विषय बन रहा है और ऐसे लोग इस तरह की घटनाएं करके समाज को विखण्डित करके भारत के नक्शे को विखण्डित

करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी ग्राह्यता है और इस पर आपकी पीठ से और इस सदन में एक स्वर में यह निश्चय होना चाहिए कि जो भी उस महापुरुष का अपमान करने के लिए दोषी है उसके लिए सी0बी0आई0 जांच हो दोषी को सजा दिलायी जाए। क्योंकि उस महापुरुष के मरने के बाद भी लोग उन्हें नहीं बक्श रहे हैं ? ऐसा करने से देश विदेश में भी संदेश जाएगा कि वह कौन सी मूर्ति है जो मरने के बाद भी अपमानित हो रही है। मान्यवर, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, कार्यस्थगन में एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा आया है। मान्यवर, सीधे-सीधे इसकी संवेदनशीलता से इंकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी महापुरुष को उसके जीवनकाल में या उसके निधन के बाद दुनिया में आदर तो मिलना चाहिए, असम्मान नहीं। जिसने भी यह कृत्य किया है वह दोषी है और उसे भारत के कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बात पर पूरा सदन एक है कोई विभेद नहीं है कि अगर किसी महापुरुष की प्रतिमा तोड़ी गयी है तो निःसंदेह उसका उद्देश्य विद्वेष फैलाना है, आग लगाना है, अशांति फैलाना है। इसमें मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह पुलिस की नाकामी है कि अभी तक दोषी चिन्हित नहीं हो पाया है और चिन्हित होने के बाद ही दण्ड की प्रक्रिया हो सकती है। इसमें पुलिस द्वारा दोषी को किसी भी कीमत पर बक्शा नहीं जाना चाहिए। निःसंदेह यह एक ऐसा मुद्दा है जो राष्ट्रीय महत्व का है और इसका प्रभाव राष्ट्र की छवि पर भी पड़ सकता है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डा0 भीम राव अम्बेडकर किसी की निजी जायदाद नहीं थे। मान्यवर, वह किसी भी पार्टी के बक्शे में बन्द कोई ऐसी साधारण सी चीज नहीं थे कि कोई दुकान पर बिक्री के लिये लगाकर बेचने का काम शुरू कर दें। अम्बेडकर साहब वे शख्सियत थे जिन्होंने भारत का कानून बनाया। मैं इस चीज से मना नहीं कर रहा हूं कि दोषियों को दण्डित किया जाय या सी0बी0आई0 से जांच करायी जाय, लेकिन यहां पर यह भी कहूंगा कि यह कहना कि वे ही सपने पूरे कर रहे हैं यह उचित नहीं है। अगर उन्हें कानून मंत्री कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया होता तो आप उन्हें पहचानते भी नहीं। भारत का संविधान नहीं बनाया होता तो हम लोग जानते भी नहीं। लेकिन यह जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आप बोलें तो इतिहास के पन्ने को उलट कर देखें। ऐसा ही एक प्रकरण यहां पर आया था जब इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की जमीन, लखनऊ में जो है, वह हटायी जा रही थी तो हमने सम्पूर्ण सदन से याचना की थी कि ऐसा न किया जाय लेकिन उस समय मौर्या जी आपने नहीं सुना, टण्डन जी आपने भी नहीं सुना। आप लोग तो उस समय मंत्री थे। हो सकता हो कि आप इन्दिरा जी के विचारों से सहमत न हों लेकिन इन्दिरा जी के विशाल व्यक्तित्व से क्या शिकायत आपको हो सकती थी।

श्री ददू प्रसाद अहिरवार-

मा0 ग्राह्यता पर यह बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रमोद कुमार-

मैंने यह कहा था कि यह गम्भीर मुद्दा है और मैं यह नहीं चाहता हूं कि दोषियों को सजा न मिले या इसकी सी0बी0आई0 जांच न हो, लेकिन उस समय आपकी पीठ से जब इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान की जमीन पर कब्जा हो रहा था तो बड़ी विनम्रता के साथ मैंने अपना पक्ष रखा था। मान्यवर, मूर्ति तोड़ी जाती है कानपुर में और आग लगती है महाराष्ट्र में। वहां पर डक्कन क्विन पर आग लगा दी जाती है। वहां पर हमारी सरकार है, यहां मुलायम सिंह जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों सरकार के साथ साजिश हो। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि राजनीति न की जाय। जो दोषी हो उन्हें दण्डित किया जाय, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन इस मुद्दे पर भी जांच होनी चाहिए कि प्रतिमा यहां पर तोड़ी जाती है और पूना और बम्बई में डक्कन क्विन जलने लगती है। तो कहीं केवल राजनीति लाभ उठाने के लिये तो यह नहीं किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। मान्यवर, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं, एक घटना प्रकाश में आयी है एक थानेदार को दिखाया जाता है, एक व्यक्ति बाल्मिकी को बन्द किया गया और दस हजार रुपया दिया गया कि तुम अपराध कबूल कर लो।

श्री अध्यक्ष-

यह तो मौर्या जी बोल चुके हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, क्या हमको बोलने के लिये मुमानियत है। मान्यवर, यह उचित है कि जो भी साजिश हो रही हो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन चिन्हित न करें, दोषियों को दण्डित न करें और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दें, मैं चाहता हूं कि दोषी दण्डित हों कि मान्यवर, ऐसे बिन्दुओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे बिन्दुओं पर समाज में मान्यवर, प्रतिक्रिया तो हो, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया न हो कि समाज जलने लगे, अगर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, राजनैतिक दलों के आधार पर मान्यवर, अगर आन्दोलन करके प्रदेश को बांटने और देश को बांटने की कोशिश होगी तो यह देश मजबूत नहीं होगा और जो लोग यह कोशिश कर रहे हैं वह कहीं न कहीं समाज और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं और बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जो लोग अम्बेडकर जी को एक दल विशेष से जोड़ना चाहते हों, तो फिर मैं मजबूर होकर कहना चाहता हूं कि अगर अम्बेडकर जी को बेचने की कोशिश होगी तो अम्बेडकर जी को बचाने की भी कोशिश होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, एक तो अभी तक हमारे यहां यह जो मूर्तियां लगाने की परम्परा है उसमें कोई नियम वगैरह नहीं बने हैं, जो चाहे, जहां चाहे वहां मूर्तियां लगा देता है। जाहिर है कि अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अव्यवस्थित तरीके से मूर्तियां लगाई जायेंगी, तो उसके ऊपर कहीं न कहीं कोई रियेक्शन होता होगा। ऐसा कहने का यह अर्थ कतई नहीं है कि यह जो हो रहा है मैं उसका कोई समर्थन कर रहा हूं। जो कानपुर में हुआ उसके पक्ष में मैं कह रहा हूं, उसमें किसी का दोष नहीं है किसी शरारती आदमी का काम है जिसने यह किया होगा। अब उसकी जांच करके जब तक कि तथ्य सामने न आये कि कौन लोग जिम्मेदार थे, उसके लिये तब तक यह सरकार का कर्तव्य पूरा नहीं होता। मैं मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि अगर सारे सदन की मांग है तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए कि सी0बी0आई0 से इसकी जांच करा दी जाय ताकि यह भ्रम फैलाने का जिनको अवसर मिलता है जो अम्बेडकर के नाम के ऊपर इधर-उधर हिंसा कर रहे हैं जो अम्बेडकर को विवादास्पद बना रहे हैं, जो अम्बेडकर को उनके स्टेटस से नीचे ला रहे हैं, उन लोगों को यह अवसर न मिले और जो दोषी हैं उनको सजा मिल जाय, वह दोषी सामने आ जायें और इसके लिए सी0बी0आई0 की जांच कराने के लिए मैं समर्थन करता हूं कि यह होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, कृपया दो मिनट में मेरी बात सुन लें।

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष-

नहीं बस हो गया, सबका आ गया, ग्राह्यता पर हमें सरकार का पक्ष सुन कर निर्णय तो करने दीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, 28/29 नवम्बर, 2006 की रात थाना, ...

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मुझे सिर्फ दो मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं पाल साहब आप बैठिये, अब कोई समय नहीं दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, क्या आप चर्चा करा रहे हैं ? अगर आप चर्चा करा रहे हों, तो सबसे कराइये। यह क्या बात हुई।

श्री अध्यक्ष-

नहीं चर्चा नहीं करा रहे हैं, आप अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आदरणीय टण्डन जी का नाम नहीं था लेकिन नेता विरोधी दल के नाते बोल गये तो पाल साहब अगर दो मिनट बोल देंगे तो कौन सी आफत आ जायेगी ? इनके हस्ताक्षर हैं,

इनके हस्ताक्षर हैं, इनके नोटिस में दस्तखत हैं मान्यवर, सिर्फ दो मिनट बोल लेने दें। अगर दो मिनट नहीं तो एक ही मिनट बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप इस पर सरकार का पक्ष आ जाने दीजिए, उसके बाद हमें निर्णय तो करने दीजिए कि क्या करना है उसमें ? आप बैठ जायें माननीय पाल साहब।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, मेरी भी नोटिस है।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक आपकी बात है तो आपका पक्ष तो माननीय टण्डन जी ने रख दिया है। इस पर तो फिर सबकी राय बनती अभी मैं फैसला करता तो सब लोग उसमें मौका पाते। अब आप भी पाल साहब बैठ जायं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को बोलने दें। यह चर्चा का विषय अभी नहीं है। यह ग्राह्यता पर है, इसके बाद हम फैसला करेंगे कि क्या करना है। पाल साहब आप बैठ जायें। अगर आप शुरु करेंगे तो सब बोलेंगे तो फिर यह चर्चा हो जायेगी, ग्राह्यता रह ही नहीं जायेगी। फिर इसका क्या मतलब है ? फिर इसका उद्देश्य फेल हो जायेगा, जो चर्चा की मांग कर रहे हैं वह तो अपने आप निष्प्रभावी हो जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

यह नाटिस हमारी है, हमारे दल की है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर बाबा साहेब हम सबके थे उन्होंने सबकी भलाई के लिये कार्य किया है। उनका जीवन बहुआयामी था, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्रों में दिशा व दशा बदलने में ही संघर्ष करते हुए उनका जीवन बीता है। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधान मंत्री बनी थीं तो उन्होंने कहा था कि अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर जी नहीं होते और यह संविधान न बना होता तो वे इस देश की प्रधान मंत्री न बन पाती। यहां महिला विधायक हैं वह इसलिए हैं कि हमारे संविधान में है। मान्यवर, मैं घटना पर बोल रहा हूं। मान्यवर, एक साजिश के तहत पूरे हिन्दू समाज से दलित समाज को अलग किया जा रहा है। एक साजिश रची जा रही है। हिन्दुओं से अलग करने की एक साजिश है। इस घटना की सी0बी0आई0 से जांच करायी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मुंशी लाल गौतम जी अब आप बैठिये।

*श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके दल के विधायक लोहिया जी के अनुयायी हैं। डा0 अम्बेडकर और डा0 लोहिया जी एक दूसरे के करीबी थे। दोनों के तथाकथित अनुयायी या ठेकेदार आपस में घिनौने कृत्य करके, दोनों महापुरुषों को बदनाम कर रहे हैं। मैं बौद्धिसत्व

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर जिन्होंने भारत के विकास और कल्याण की दिशा में दुनिया के अन्य देशों से भारत को आगे ले जाने का कार्य किया है, परसों 6 दिसम्बर को उनका परिनिर्वाणदिवस है मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो यह घटना हुई है उसकी मैं निन्दा करता हूं। कोई भी राजनीतिक दल इस पर रोटी न सेंके इससे गरीबों पर प्रभाव पड़ेगा। मूर्ति टूटी तो दलितों के मसीहा की, अगर सजा मिली तो एस0एस0पी0दलित को। इसकी सी0बी0आई0 जांच हो।

श्री अध्यक्ष-

अब मुंशी लाल गौतम जी की बात नहीं लिखी जायेगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप देखें एक दो लोग प्रदेश के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करें तो यह तो नहीं हो सकता। एक प्रतिमा को खंडित किया गया और उससे राष्ट्रीय क्षति होने लगी। बसे जलने लगीं, ट्रेन जलने लगी। मान्यवर, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय ने ताज हेरिटेज कोरीडोर केस में फिर से मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। मान्यवर, उससे पूरा प्रदेश जान गया है कि कौन-कौन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ?

(श्री लालजी वर्मा, श्री रंगनाथ मिश्र तथा श्री ददूू प्रसाद के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

यह गम्भीर विषय है। मान्यवर, इस तरह से आप देखें अन्य लोग भी बोलने की कोशिश करके बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। आपने मुझे इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग बैठ जायें। माननीय पाल साहब, माननीय लालजी वर्मा जी, अब इसकी ग्राह्यता पर पूरी बात कही जा चुकी है अब शासन का पक्ष आने दीजिये। उसके बाद क्या हो सकता है वह निर्णय करने दीजिये। सारी चर्चा आप लोग कर ले रहे हैं ग्राह्यता पर कम बोल रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, माननीय जगदम्बिका पाल जी को एक मिनट बोल लेने दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मेरी नोटिस है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी नोटिस भी है, ददूू प्रसाद जी की भी है और रंगनाथ मिश्र जी की भी है।

श्री अध्यक्ष-

आप संसदीय कार्य मंत्री जी को कह लेने दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरी पार्टी के कुछ सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं उन्हें कह लेने दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का पक्ष आ जाने दीजिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस घटना के पीछे किसकी साजिश है किसका षड़यंत्र है उस बात का पर्दाफाश होना चाहिए। जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। किसी एक व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि पूरे जनजीवन के साथ इस तरह से खिलवाड़ करे। इसलिये इसकी सी0बी0आई0 जांच समयबद्ध ढंग से होनी चाहिए जिससे कि वास्तव में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला 28/29 नवम्बर का है और काका देव क्षेत्र का है और यह भी इत्तिफाक है कि अम्बेडकर नगर बस्ती का यह वाक्या है कानपुर का। पहले मैं यह बतला दूं कि इसमें कार्यवाही हुई है, अच्छी खासी कार्यवाही हुई है। सिर्फ यह कह देना कि मुकदमा दर्ज हो गया काफी नहीं है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं हमें अपनी वैधानिक और संवैधानिक व्यवस्था से इत्तिफाक ही नहीं है बल्कि हम इसमें आस्था रखते हैं। पुलिस की तरफ से अगर किसी तरह की कोई कोताही बरती गयी होती तो मुकदमा दर्ज न हुआ होता, ऐसा नहीं हुआ है मान्यवर, यह प्रतिमा सड़क के किनारे लगी हुई थी और एक ऐसी कालोनी में लगी हुई थी जो अम्बेडकर कालोनी ही कहलाती है कोई ऐसा इलाका नहीं था जहां किसी दूसरे पर शुबहा किया जा सकता हो उस वक्त तक जब तक पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। मान्यवर, जो विवाद यहां पैदा हुआ सदन में वह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अपने व्यक्तित्व को लेकर हुआ है। और यह सही है कि ऐसे बड़े लोगों के नामों को विवादित किया जाना कोई बहुत अच्छी सेहतमन्द अलामत नहीं है, नहीं होना चाहिए। यह भी सही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे संविधान पर देश के आज के सिस्टम पर एक बड़ा एहसान है वह संविधान सभा की एक ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। मान्यवर, बहुत से लोग हैं जो उनके इस विचार के मानने वाले हैं उसमें कोई धर्म भी नहीं आता। मैं अगर यह कहूं कि अल्पसंख्यक होने के नाते या मुसलमान होने के नाते मैं इस बात के लिये उनका मैमूने एहसान हूं इन्तिहाई मैमूने एहसान हैं कि अगर यह संविधान नहीं होता तो संविधान में प्राप्त उन अधिकारों को हम आज नहीं हासिल कर पाते जो आज हासिल है। चुनांचे किसी का टेण्डर नहीं खुला है उनके नाम से कि मेरे नाम से टेण्डर खुल गया तो अब मैं ही यह सड़क बनाऊंगा। टेण्डर पूरे देश के नाम है, 100 करोड़ हिन्दोस्तानियों के नाम है तो इसलिए कोई साहब अगर उन्हें अपनानित करना चाहेंगे तो आसमान पर थूकेंगे और अगर हटेंगे नहीं तो थूक अपने ऊपर चली आयेगी। इतने बड़े व्यक्ति की प्रतिमा को तोड़ देना उसे नुकसान पहुंचा देना तो जाहिर है कि एक घटिया काम है। पूरी दुनिया का मिजाज बन गया है बड़े लोगों को अपमानित करने का, प्रोफेट मोहम्मद साहब के सिलसिले में आपने देखा कि पूरी दुनिया में क्या हुआ और उसका रि-एक्शन भी हुआ। सही और गलत की बहस यहां हो ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है। मैं उस व्यक्ति को उससे मिला नहीं रहा हूं जाहिर है कि वह धार्मिक शख्सियत है यह बुनियादी है। मैं प्रतिमा और मूर्ति में भी इत्तिफाक

नहीं करता। प्रतिमा हमारे जैसे मेरे जैसे नहीं बल्कि महान व्यक्तियों की होती है मूर्ति देवी देवता और भगवान की होती है इससे इत्तिफाक मौर्या जी ने भी किया कि मूर्ति नहीं प्रतिमा थी तो प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने का चलन आज नहीं है हजारों साल पुराना है लेकिन उससे इनकी तौहीन नहीं होती है जिसने किया है उसने अपनी नीचता साबित की है। उसके रद्देअमल में जो कुछ हुआ वह भी सबके सामने है कितना हमारा कौमी नुकसान हुआ है, राष्ट्रीय नुकसान हुआ है उसकी निन्दा भी होनी चाहिए जहां उसका रद्देअमल होना चाहिए था वहां नहीं हुआ वहां कार्यवाही हुई उस कार्यवाही से लोग मुतमईन हुए थानाध्यक्ष मुउत्तल हुए, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस मुअत्तल हुए इतनी बड़ी कार्यवाही किसी पूरे देश में कहीं भी अगर किसी प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई हो तो इतनी तेज और इतनी सख्त कार्यवाही आज तक पूरे देश में कहीं नहीं हुई है। लिहाजा यह तो बिल्कुल मन से निकाल दें बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथी कि उनका अपमान जानबूझकर किसी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से कराया है। मान्यवर, यह बार-बार समाजवादी पार्टी कहना, माननीय मुख्य मंत्री जी से इस्तीफा मांगना, सरकार को बर्खास्त करना इससे एक बात जरूर उभर कर आती है क्योंकि चुनाव बहुत करीब हैं और झोली में कुछ है नहीं, अगर है तो वह है आगरा ताज कोरिडोर और झोली में क्या है कांशी राम जी की बीमारी के समय की लम्बी कैद, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी रिहाई की अपील, कब बीमार हुए कैसे बीमार हुए कैसे दुनिया से चले गये कहां अन्तिम संस्कार हुआ कैसे हुआ, परिवार के सदस्यों को शरीक होने की इजाजत मिली या नहीं मिली ? मान्यवर, यह सारे इल्जामात के घेरे में घिरी हुई बहुजन समाज पार्टी और सुश्री हैं। यह सारे हालात हैं मान्यवर, इन हालात में मान्यवर, एक बड़े रास्ते में एक तंग रास्ता तलाश करने की कोशिश की गयी है और बार-बार समाजवादी पार्टी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, सरकार को बर्खास्त करो, इस्तीफा दो, इससे क्या साबित होता है, इससे साबित यह होता है कि चुनाव से पहले इसको मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश की जा रही है लिहाजा मान्यवर.....

(बहुजन समाज पार्टी की ओर से टोकाटाकी करने पर)

नहीं बिल्कुल गलत होगा, आप उसे सही साबित कर देंगे, आप बड़े महान हैं, हम तो बिल्कुल नहीं है इसलिये नहीं हैं विद्वान हम कि आपने तो हमारे बारे में कह ही दिया कि हम बालफ्फाजी और आतंकवादी हैं, अब इससे ज्यादा आप और क्या कहेंगे ? मुसलमानों को तो आपने कह दिया कि हम बिकने वाले हैं अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे आप ?

(समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं कही गयी है और वह व्यक्ति विशेष के लिये था, जिसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं आते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सारी बातें, कि अगर हमें हक होता, [× × ×] इसी सदन में मान्यवर, मैं वहां बैठा था, नेता जी ने जब मुझे नेता विरोधी दल बनाया था और यहां पर सुश्री बैठी थीं और मेरी जेब में कैसेट था तकरीर का और मैने कहा था कि मान्यवर, अभी प्रोसीडिंग निकलवा लें आप, मैने कहा था कि आप कहिये कि नहीं कहा है, मैं सदन में सबूत पेश करुंगा, तब इन्कार नहीं किया गया था, मुझे समय दें आप, मैं सदन में कैसेट यहां सुनवा दूंगा, अब मान्यवर, मेरा कहना यह है कि क्योंकि इतने बहुत से मामलात सामने आ गये हैं और चुनाव बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ है। मान्यवर, कोई शख्स जुर्म करेगा, कोई मोटिव होगा। मान्यवर, जुर्म छोटा हो, जुर्म चाहे 147/323 का हो, या 302 का हो, मोटिव होगा, कोई मकसद होगा, किसी का नुकसान और किसी का फायदा होगा, चुनाव से मात्र दो महीने पहले, जबकि सरकार कह चुकी है कि फरवरी में चुनाव करा दिये जायें, लगभग दो महीने बाकी हैं। दो महीने पहले कोई सरकार कोई राजनैतिक दल क्या इतनी बड़ी हिमाकत करेगा, क्या यह मुमकिन है ? नहीं मुमकिन है मुमकिन है और नहीं मुमकिन है तो फिर क्या मुमकिन है ? मुमकिन यह है कि दल करेगा जो जज़बाती तौर पर इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहेगा। वह कौन सा दल है, वह कौन सा दल है बतायें आप ? आप बतायें कि वह कौन सा दल है जिसे सबसे ज्यादा इस वक्त माहौल में जिसे फायदा पहुंचने की संभावना है, बकौल उनके वह कौन सा दल है आप बता दें, हम मान्यवर, समाजवादी पार्टी के लोग इसकी शदीद निन्दा करते हैं और यह बताना चाहते हैं मान्यवर, अगर समाजवादी पार्टी का यह काम होता तो माननीय मुलायम सिंह यादव उस शख्स का नाम है जिन्होंने अटल बिहारी बाजपेयी जी के आह्वान पर, जब उन्होने कहा था कि राजनैतिक दल अपने यहां से आपराधिक लोगों को निकालें तो छोटा दल होने के बावजूद लोकसभा के 4 सदस्यों को निकालने वाली हिम्मत माननीय मुलायम सिंह ने की थी। अगर आज भी मान्यवर, किसी समाजवादी ने ऐसा किया होता तो ऐतिहासिक सजा मिलती उसको। मान्यवर, अगर अपमानित करना मकसद होता तो मुकदमा क्यों कायम होता ? इतने बड़े-बड़े अधिकारियों पर कार्यवाही क्यों होती ? और मान्यवर, बहुत कम समय में प्रतिमा को तब्दील क्यों कर दिया जाता, दूसरी क्यों लगा दी जाती, तुरन्त लगा दी गयी, क्यों बदली जाती। प्रतिमा के बदल जाने के बाद, जख्म पर मरहम लगा देने के बाद अगर कुछ लोग जख्म पर तेजाब डालेंगे तो जाहिर है कि उसका रद्देअमल दूसरे प्रदेशों में भी होगा। तो फायदा किसका है देख लीजिए, नुकसान किसका है देख लीजिए, आप फैसला कर लीजिए। मैं यह चाहूंगा कि इस मामले को राजनतिक रुप न दिया जाए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए भी उतने ही काबिले-एहतराम हैं और हम समझते हैं कि डा0 राम मनोहर लोहिया भी आपके लिए उतने ही काबिले-एहतराम होने चाहिए, हम उनका सम्मान करते हैं और सरकार इसमें किसी का भी पक्ष लेने की पक्षधर नहीं है और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने की कार्रवाई जारी है लेकिन मान्यवर, यह जनानी आवाज आई।

नोट:-[` ` `] यह अंश भी अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

तो मान्यवर, कोई औचित्य नहीं होता मेरा आपसे आग्रह है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता इस प्रकरण को यहीं समाप्त करें और देश का प्रदेश का अच्छा माहौल बनाने में बहुजन समाज पार्टी भी सहयोग दे।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से मैं भी थोड़ी बात बताना चाहता हूं। जहां तक माननीय नेता कांग्रेस प्रमोद जी ने कहा है, उससे मैं सहमत हूं कि कानून मंत्री कैसे बने ? लेकिन उसका थोड़ा-बहुत इतिहास जान लेना चाहिए विशेष रूप से बहुजन समाज पार्टी को। इतना घिनौना आरोप नहीं लगाना चाहिए, हम निन्दा करते हैं और पूरा सदन निन्दा कर ही रहा है कि डा0 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने अपमानित किया है, हम उसकी निन्दा करते हैं और दूसरी तरफ जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा हम कार्रवाई करेंगे ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो, यह हम करेंगे। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी और विशेषतया हमने, आपकी विधान सभा के सामने इतना बड़ा बंगला हमने दिया है। प्रतिमा हमने लगवाई है, लाइब्रेरी का पैसा हमने दिया है और यह बहुजन समाज पार्टी के लोग इकट्ठा करके बता दें कि उनकी प्रतिमाओं का कितना हमने अनावरण किया है, कितनी जमीन दी है और कैसे उन्होंने प्रतिमा लगाई है। इटावा में, वह जमीन दी नहीं जा रही थी, मैं सहकारिता मंत्री था, किसी तरह जमीन दिलवाकर हमने प्रतिमा लगवाई। आप लोग वोट चाहे जितना ले लो, चाहे जितना भाषण दे दो, लेकिन इतना घिनौना आरोप नहीं लगाना चाहिए। दो चुनाव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लोक सभा में लड़े। दोनों चुनाव में डबल सीट थी। एक चुनाव में लड़ती थी समाजवादी पार्टी और एक से बाबा भीमराव अम्बेडकर। दोनों हारते थे। बाबा साहब थोड़ा ज्यादा गुस्साते थे लेकिन हारते कम ही वोट से थे। समाजवादी पार्टी जीतते-जीतते रह जाती थी और दोनों बाहर हो जाते थे, डबल सीट से। बाबा साहब ने समाजवादी पार्टी की बदौलत इतना वोट पाया। उस वक्त क्या कांग्रेस की राय थी। बड़ा इतिहास है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं और जब उन्हें राज्य सभा में भेजा गया तो इनको पता होना चाहिए कि वह कानून मंत्री कभी नहीं बन सकते थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां के विधायकों को अपना वोट दे करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को राज्यसभा में भेजा था। अब मैं कहूंगा कि शर्म आनी चाहिए। जिस समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया, अगर वे राज्यसभा में न पहुंचते तो कभी कानून मंत्री नहीं बन सकते थे।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव-

अब ज्यादा मत कीजिए, यहां कम नहीं बैठे हुए हैं, कांय-कांय करते हो। कांय-कांय करते रहते हो।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग कृपया शांत रहें, माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

फिर वही बात करते हो। आपको सुनना नहीं है तो चले जाइये। आप जाना चाहते हैं तो चले जाइये। लेकिन क्या आप समाजवादी पार्टी पर आरोप लगायेंगे ? इतना घिनौना आरोप लगायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी, आप बैठ जाएं, नेता सदन बोल रहे हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, जब वह बैठ जाएंगे तब आप अपनी बात कहियेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

तो हम कहना चाहते हैं कि कम से कम हम जब इतिहास पढ़ायें तो जान भी लेना चाहिए। आपको पता है कि दोनों लोग साथ-साथ चुनाव लड़े थे क्या आपको पता है कि राज्यसभा में भेजे गये थे समाजवादी पार्टी के सहयोग से। आपको पता होना चाहिए कि उस समय सोशलिस्ट पार्टी थी, बाद में डा0 लोहिया समाजवादी दल कहने लगे थे।

(ब0स0पा0 के सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता सदन बोल रहे हैं शांति से सुनिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इनको पता ही नहीं, ज्ञान नहीं। केवल वहां सलाम करने के अलावा, नीचे बैठने के अलावा कुछ नहीं जानते। इनको क्या मालूम ? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस आदरणीय सदन में सोच-समझकर बोला करें। चौराहे पर जो कुछ कहना हो कहते रहना, सदन की एक मर्यादा है। लेकिन एक बात का गम्भीर संकेत है जो कि मामूली बात नहीं है। जिस पर पूरे सदन को सोचना चाहिए। प्रतिमा टूटी उत्तर प्रदेश के अन्दर, पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है परन्तु प्रतिमा के टूटने के कुछ ही समय बाद सात हजार लोग इक्ट्ठे होकर रेलगाड़ी जला देना और कार, बस जो कुछ हो जला देना, आग लगा देना, सड़कों पर निकल आना, यह किस बात का संकेत है ? आप लोग भी जनता के बीच में काम करने वाले हैं। अभी हमारा शिविर चला था। कम से कम एक महीने की तैयारी थी अध्यक्ष महोदय, तब इक्ट्ठे हो पाये साढ़े तीन हजार, और यहां पर मूर्ति टूटने के कुछ समय बाद सात हजार लोग इक्ट्ठे हो गए। क्या यह मामूली बात है ? असली बात उठायी है प्रमोद तिवारी जी ने। सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या षडयंत्र है। कुछ ही मिनट में इतनी भीड़ एकत्र हो गयी। आप सभी लोग सात हजार की भीड़ कितने समय में इक्ट्ठा कर पाते हैं ? बता दें। यहां कुछ ही समय में भीड़ इक्ट्ठा हो गयी। एक बात और कि यहां से हजारों मील दूर आग लगी हुई है और उत्तर प्रदेश शांत। इसलिए नाराजगी का यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आग क्यों नहीं लगी ? इसके पीछे उत्तर प्रदेश की महान जनता, समझदार जनता है क्योंकि वह सामाजिक एकता, सामाजिक समरसता में विश्वास करती है। एक आदर्श इस प्रदेश का है। सभी समझते हैं कि क्या हो रहा है। पहली बार प्रतिमा नहीं टूटी है। गांधी जी की प्रतिमा टूटी है। ऐसे लोग हैं जो गांधी जी को यहां से निकलकर गालियां देते हैं। गांधी जी न होते तो संविधान सभा में बाबा साहब नहीं जा सकते थे। अगर गांधी जी न होते तो

नेहरु जी उन्हें कानून मंत्री नहीं बना सकते थे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि इनको सरकार में ले जाइये। पहली बार में नहीं ले जा सके। इसी बीच गांधी जी का निधन हो गया। उसके बाद नेहरू जी ने गांधी जी के वचन का पालन किया और सरकार में शामिल किया। फिर नेहरू जी ने क्यों बर्खास्त किया, यह भी जान लेना चाहिए। हमारी नजरों में तो समाज के लिए ही सही, उन्होंने बड़ी सेवा की है, उनका त्याग है, समाज को जागृत करने का काम किया है, हम उनका आदर करते हैं। जितना समाजवादियों ने आदर किया है उतना किसी ने नहीं किया। आपने तो वोट के लिए किया है लेकिन वह वोट भी अब आपको मिलने वाला नहीं है। अब वोट उसे मिलेगा जो जनता के हितों के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। अब जमाना नहीं रह गया किसी के नाम पर वोट लेने वालों का। नेहरू जी के नाम पर वोट अब भी मिलता है, लेकिन घटते-घटते कहां चले गये ? अब भी पार्टी उनके नाम पर चल रही है। उनके परिवार के नाम पर नेता मर रहे हैं। सोच-समझकर बोला करें। कई बार सोचना चाहिए कि भाषण दें तो पकड़े न जांए। समाजवादी पार्टी की आलोचना करने के लिए चले हैं। इसलिए चाहता हूं कि हम तो सभी लोग मानते हैं, कांग्रेस भी मानती है, इनके नेता (भा0ज0पा0) ने तो किताब लिखी है, मेरे पास किताब रखी हुई है "झूठे भगवान की पूजा"। इनके नेता ने लिखी है। आज समझदारी से काम ले गये, बोले नहीं। आप पढ़ लेना। हमारे साथियों ने विरोध किया है कि इस किताब पर प्रतिबंध लगे। बड़ी मेहनत से किताब लिखी और मुझे भी किताब दी थी। हमसे कहा कि हम लंदन में रहे, जनता का लिख करके के लाये, हमारे पास प्रमाण हैं। अब क्या करें ? हमारी पार्टी का आदेश है वरना हम प्रमाण दे देते। यह वहां लोग हैं। इनको काटने की हिम्मत आपको नहीं है। हम लोगों ने काटा है। सुरेन्द्र मोहन ने काटा है। मोहन सिंह जी ने भी किताब लिखी है। आप पढ़ लेना, समाजवादियों को आप गाली देते हैं। अम्बेडकर साहब के सम्बन्ध में उसी किताब के बाद मोहन सिंह ने किताब लिखी है। न आपके पास कोई तथ्य है, न आपके पास कोई इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, विद्वान नेता हैं, उन्होंने किताब लिखी "झूठे भगवान की पूजा" उस किताब का जवाब दिया है मोहन सिंह जी ने। तब मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग इतिहास को और सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई नहीं छिपेगी। हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि डा0 भीमराव अम्बेडकर के बारे में सबकी आस्था है लेकिन यह बहुजन समाज पार्टी और इनके कुछ लोग उनको एक जाति का नेता बनाना चाहते हैं। और चुनाव आ गया है तो एक दल का नेता बनाना चाहते हैं। हम उनको राष्ट्रीय नेता मानते हैं, यह लोग उनको एक जाति का और एक दल का नेता बनाना चाहते हैं। इतना बड़ा अपमान और कोई नहीं करेगा जितना बहुजन समाज पार्टी और उनके साथी कर रहे हैं। हम उनको राष्ट्रीय नेता मानते हैं। (कांग्रेस पार्टी की तरफ इशारा करके) आप भी उनको राष्ट्रीय नेता मानते हैं लेकिन यह लोग उनको एक दल का नेता और जब चुनाव होते हैं तो उनको एक जाति का नेता मानते हैं। यह प्रमाण है कि जब मै पार्टी का अध्यक्ष था तब हमारी पार्टी का परिपत्र जाता था उनके जन्म दिवस पर और निधन के दिवस पर कि जोर शोर से इन दिवसों को मनाइये, लेकिन अब वह रौनक नहीं है, जबसे आपने उनको अपनी जाति का नेता

और अपने दल का नेता बनाया है। आप अपने को सुधारिये, वह राष्ट्रीय नेता थे, हम उनको राष्ट्रीय नेता मानते हैं। यह गभीर मामला है। इस पर सब दल सोचें तो मैं आपसे सहमत हो जाऊंगा कि यह क्या वजह है कि महाराष्ट्र में आग लगा दी गयी ? यह क्या है कि मध्य प्रदेश से सब कुछ हो रहा है ? उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही करना चाहते हैं, ऐसे भाषण दे करके, समाजवादी पार्टी का नाम ले करके। हमसे कहा गया, राय यह बनी कि कांशीराम जी का शोक प्रस्ताव होना चाहिए, शोक प्रस्ताव हुआ, शोक प्रस्ताव पास हुआ। निधन के बाद सबसे पहले शायद दो-चार लोगों के फोन पहुंचे होंगे उनके बाद मेरा फोन पंहुचा। मायावती जी ने फोन उठाया, बात की और शुक्रिया अदा किया और उन्होंने 5-6 मिनट तक अपनी बात बतायी कि इतना अच्छा-अच्छा इलाज किया लेकिन नहीं बचा सके। अब हम कहीं पर फंसे हैं, नहीं जा पाये तो यह भी कोई मुद्दा है ? बस इनको मुद्दों की तलाश है। मुद्दा तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह लोग आपके समर्थक बैठे हैं। आपको कहीं आसमान से छप्पर टूटकर मिल जाय तो यह दोनों मिल करके (कांग्रेस पार्टी की ओर इशारा करके) आपको नहीं पूछेंगे बता रहा हूं, गल्ती मत करना। यह कितने टिकेगे, भाई बहन का रिश्ता तोड़कर कितना चलेंगे। इन्होंने "झूठे भगवान की पूजा" किताब लिखी है जिसका जवाब समाजवादी पार्टी के नेता मोहन सिंह ने दिया है। आपकी किसी की हिम्मत नहीं है जवाब देने की। आपका लिखापढ़ी से कोई मतलब नहीं है। इसलिये हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं। जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। यह भी कोशिश हम सब लोगों को मिलकर करना चाहिये कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। ऐसी घटनाओं से लाभ नहीं होगा। इतनी बड़ी कार्यवाही और क्या हो सकती है कि एस0एस0पी0 मुअत्तल, दोनों दरोगा मुअत्तल, दोनों सिपाही मुअत्तल और प्रतिमा नयी लगा दी गयी। मामला खत्म हो गया। आप अराजकता फैलाना चाहते हैं और शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं तो उसकी इजाजत सरकार नहीं दे सकती है। चाहे उसके लिए कड़ी कार्यवाही करनी पड़े।

श्री हुकुम सिंह-

एक पुस्तक का हवाला दिया गया वार्शिप आफ फाल्स गाड जिन्होंने यह पुस्तक लिखी वह हमारी पार्टी के सांसद भी और मंत्री भी रहे हैं। इसके साथ ही वह देश के एक बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट और बहुत अच्छे लेखक हैं। उन्होंने न जाने कितनी किताबें लिखी हैं। इस पुस्तक का जो हवाला दिया गया यह उनके अपने विचार हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के विचार नहीं हैं। अपने विचार कोई भी लिख सकता है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मैंने बी0जे0पी0 के विचार नहीं बताया, सुन लिया करो। उन्होंने तो खुद ही मुझसे कहा था कि मैं क्या करूं, मैं तो मुलायम सिंह यादव जी, बहुत कुछ लिखना चाहता हूं लेकिन मेरी पार्टी लिखने की इजाजात नहीं देती है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का अंकुश और अनुशासन का अंकुश न होता तो मैं बहुत कुछ लिखता। एक अन्याय आपने भी किया। इंदिरा गांधी के नाम पर एक संस्थान बन रहा था। हमारे इंदिरा गांधी जी के साथ गम्भीर मतभेद थे टकराव था लेकिन

उनकी विदेशी नीति की हमारे साथियों ने तारीफ की है। उन्हीं इंदिरा गांधी के नाम पर एक प्रतिष्ठान बन रहा था, उस जगह पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था उस समय हम तैयार खड़े थे। नहीं हो सकता था कब्जा। हम आपकी मदद करने के लिए खड़े थे लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ी। अब वहां पर इतनी बढ़िया इमारत बन रही है, उसे देखकर मैं तो खुश हुआ। ह्यूमन राइट कमीशन का एक कार्यक्रम हुआ था, चीफ जस्टिस आफ इंडिया आए थे। क्या भव्य इमारत बनाई है ? हमारी ही सरकार ने रुपया खर्च करके बनवाया है उसके लिए एक शब्द नहीं।

श्री प्रमोद कुमार-

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मुद्दे पर उस समय समाजवादी पार्टी ने सहयोग किया था। उसका इतिहास है। श्री हुकुम सिंह जी ने जो बात कही उस पर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने किताब लिखी वह आपकी पार्टी के सांसद और पूर्व मंत्री रहे आज भी वह आपकी पार्टी के सदस्य हैं। उनके जो बयान हैं वह लिखित रूप में हैं।

श्री हुकुम सिंह-

उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने बता दिया है। हमारी पार्टी ने नही चाहा कि इस तरह के बयान छपें और उससे विवाद पैदा हो। लेकिन हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत उन्होंने पुस्तक लिखी थी।

श्री प्रमोद कुमार-

अगर उन्होंने कोई बयान लिखा था और वह आपके विचारों से मेल नहीं खाता तो आपने उनके खिलाफ कार्यवाई क्यों नहीं की ? यह इनकी पुरानी अदा है कि एक से लिखा दो अगर कोई कन्ट्राडिक्ट्री बात हो तो कह दिया कि उनके अपने विचार हैं। इनकी पार्टी जब खिलाफ थी तो इस तरह के बयान लिखवा दिये अब दोस्ती के आसार नजर आ रहे हैं तो मना कर दिया और कह दिया कि उनके विचार हैं।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी अब समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

आप भी डोरे डाल रहे हैं लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आज हुकुम सिंह जी और प्रमोद तिवारी के बीच नोक-झोंक हो रही है, लेकिन एक तरफ तो आपने किताब का विरोध किया दूसरी तरफ आप समर्थन करेंगे ? यह बात समझ में नहीं आती है। बीजेपी सरकार बर्खास्त करने की मांग करती है और कांग्रेस उसका समर्थन करती है।

श्री प्रमोद कुमार-

यह तब सरकार बर्खास्त करने की बात करते हैं जब आप इनसे पहले कहते हैं कि तुम सरकार को बर्खास्त करने की मांग करो।

श्री मुलायम सिंह यादव-

ऐसी बातें इन्हीं को कहने दो। प्रमोद जी, आपका कद कुछ और है। आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। इनको कहने दें। आप यह मत कहिए। आप बहस मत करिये इस विषय में। हमारा इनका कभी रिश्ता नहीं रहा। यह ध्यान रखना। इमरजेंसी का रिश्ता था, 89 का रिश्ता नहीं रहा है। आपको पता होना चाहिए, मैंने नहीं किया। जिनको आपने गोद में बैठा लिया, उनके द्वारा मुझे गाली दिलवा रहे हैं। उन्होंने समर्थन दिया था, मैंने समर्थन नहीं लिया था और टिकट के बंटवारे में समझौता तक किया था। उस समय विधान सभा के चुनाव मेरे हाथ में था। ऐसा मत कीजिए, यह आपका ही काम था। कई जगह बता दूंगा। हमारी आपकी बहस न होने दो। मैंने इतना जरूर कहा था कि सच्चाई है बर्खास्त करने की मांग की शुरुआत उन्होंने की फिर आपने उसका समर्थन शुरू कर दिया। तो फिर आप ही तो उसमें शामिल हैं और फिर मुझे कहते हैं कि मेरे कहने से ये मेरे कहने पे चलेंगे ? यह तो फूटी आंख नहीं देखना चाहते मुझे।

श्री अध्यक्ष-

अब मैंने माननीय मौर्या जी को सुना (व्यवधान) अब आगे चलने दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार-

भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर कभी राजनैतिक गठबन्धन हुआ है तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ इनका गटबन्धन हुआ है। कांग्रेस ने कभी इनके साथ गठबन्धन नहीं किया। कांग्रेस तो इनको अछूत मानती है। न इनके पास है न जायेगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

आपने हमारी सरकार गिरवाई और लिखा हुआ है कि कांशी राम जी का पत्र मैं आपको दे दूंगा। कांग्रेस पार्टी का समर्थन। और बसपा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपने बनवाई। उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और लिखा हुआ है गवर्नर साहब को कि कांग्रेस पार्टी का मेरा समर्थन है, सी0पी0आई0 का समर्थन है, बी0जे0पी0 का समर्थन है। और सबने मिलकर 1995 में हमारी सरकार गिराई। और आपने बी0जे0पी0 और बी0एस0पी0 की सरकार बनाई। फिर उसके बाद जब 1996 में चुनाव हुआ जो आपने बी0एस0पी0 से समझौता किया और आपने ली 125 सीटें और इनको दी 30। और उसी दिन से हुआ आपका सर्वनाश।

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी अब बहुत हो गया।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं तथ्य रख दूं। मैं नेता था उस समय भी। मैं विधान मण्डल दल का नेता था। कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी की सरकार को तो समर्थन दिया था 1991 में, 1993 में और इस बार भी। हमने बहुजन समाज पार्टी की सरकार को न तो समर्थन दिया था और वह भी लिखित का तो कभी सवाल ही नहीं क्योंकि मैं नेता था आप तो उस समय सदन में थे ही नहीं। मैं नेता था सदन में।

श्री मुलायम सिंह यादव-

नहीं नहीं तिवारी जी, इस तरह घुमाइये नहीं। माननीय प्रमोद जी, मैं यह कह रहा हूं कि 1995 की सरकार जो गिराई गई थी क्योंकि मोती लाल बोरा जी बहुत यहां आते हैं, वे राज्यपाल थे। वो सरकार गिराई गई थी और आपकी केन्द्र में सरकार थी और आपके दिल्ली के नेताओं की राय थी वह काशी राम जी ने पत्र लिखा था, राज्यपाल के यहां रखा हुआ है उसकी कापी मेरे पास रखी है।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं इंकार करता हूं कि ऐसा कोई पत्र बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समर्थन में हमने नहीं दिया है। जब बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन वापस लिया था तो सरकार अल्पमत में आई थी और भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाई थी। हमने कोई पत्र नहीं दिया था मैं नेता था। मैं स्पष्ट कर दूं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

काशी राम जी ने पत्र दिया था। आपकी तरफ से कोई खंडन नहीं आया था। आपका नहीं है।

श्री प्रमोद कुमार-

आपने यह स्वीकार कर लिया कि हमने नहीं दिया था तो ठीक है।

श्री लालजी टण्डन-

जब नेता होते हैं तो किसी सरकार का समर्थन करते हैं फिर उसी को गाली देते हैं। आज भी वो यही कर रहे हैं। एक तरफ इन्हें समर्थन भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ लिखित-पत्र इनका आज भी राज्यपाल के पास रखा है। सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी कर रहे हैं। हमारा तो जैसा आपने कहा कि एक भी दिन सरकार को देखना नहीं चाहते हैं जाये। कोई उससे वो नहीं है लेकिन यह जो आपके समर्थन हैं। जिसके हों दोस्त आप उसका दुश्मन आसमां क्यों हो। यह जिसके दोस्त हों उसका है ईश्वर भी जो है वह दुश्मन क्यों हो। आपने आप वो कर लेंगे आप चिन्ता न करिये आपकी सरकार को गिराने के लिये हम तो जो हमारा राजनैतिक फर्ज है उसको अदा कर रहे हैं लेकिन यह जो हैं यह अन्दर से जड़ काट रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार-

टंडन जी ने कहा सरकार गिराने का फर्ज अदा कर रहा हूं। यह उचित नहीं है। इन्होंने कहा राजनीतिक फर्ज अदा कर रहे हैं। यह सरकार अगर चल रही है तो इनके सहयोग से चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आगे चलने दें तिवारी जी। देखिए, आपने अपनी बात रख दी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर इस घटना पर सभी दलों के मा0 नेतागण खेद व्यक्त किए, क्षोभ व्यक्त किए और इसकी निन्दा भी किए। साथ ही साथ सभी लोगों ने डा0 अम्बेडकर जी के सम्मान को

स्वीकार किया इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इतने गम्भीर मामले पर हमने नेता सदन से यह निवेदन किया था कि इसकी सी0बी0आई0 की जांच करा दी जाए जिससे कि जिन लोगों ने इस प्रदेश में अराजकता फैलाने की कोशिश की अम्बेडकर की प्रतिमा को तोड़कर साजिश पैदा की इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोग समाजद्रोही हैं जो किसी महापुरुष की प्रतिमा की आड़ लेकर के प्रदेश को आग में झोंकना चाहते हैं मान्यवर मैं निवेदन करना चाहता हूं नेता सदन...

श्री मोहम्मद आज़म खां-

ज़रा एक मिनट, एक बात सुन लें। देखिए, आपने आज बड़ी...

(दद्दू प्रसाद जी के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री दद्दू प्रसाद-

इसमें सी0बी0आई0 की जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बैठो दद्दू प्रसाद जी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी की बात सुन लें। फिर मैं फैसला करूं।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मैं एक बात कह दूं मा0 अध्यक्ष जी...

श्री दद्दू प्रसाद-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सी0बी0आई0 की जांच इसमें करा दें। इस सदन में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बोल सकते हैं यह नियम है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं यह क्या परम्परा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह नियम है। बोल सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी कहें।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

यह बहुत ही गम्भीर मामला नेता बहुजन समाज पार्टी ने उठाया है लिहाजा बात गम्भीर रहनी चाहिए और इसलिए भी कि मौर्या जी की सारे दिन की मेहनत हो गई और आपने बड़ी खूबी से सदन बड़ी शान्ति से चला लिया सारे अपने काम निकाल लिये और अभी तक कोई अच्छा समाचार बना भी नहीं, तो वाक आउट तो करना ही है। वह एक-दो मिनट बाद हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे मान्यवर, वाक आउट से पहले बता देना चाहता हूं कि आपकी आज की मेहनत गई तो बेकार। यह सब अध्यक्ष जी की [× × ×] है और अध्यक्ष जी जिस तरह से सदन चलाते हैं...

(व्यवधान)

नोटः-[ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

[× × ×] शब्द कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, आपके ऊपर [× × ×] लगा दिया। इसे कार्यवाही से निकलवाइए।

श्री अध्यक्ष-

निकाल दिया जाएगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

आपसे प्यार है तो कह दिया। अब इन्हें आपसे प्यार नहीं हैं तो नहीं कहा।

श्री हुकुम सिंह-

प्यार की बातें सब पर जाहिर मत कीजिए। प्यार में आप [× × ×] बतायेंगे। प्यार की बातों की सीमा होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां-

एक चीज बढ़ा लें मौर्या जी अपने भाषण में। आपने इस बात को स्वीकारा है कि सबने निन्दा की है। फिर निन्दा करते हैं बहुत की गन्दा काम है। जितनी चाहिए निन्दा करिए। यह जो कार्यवाही सरकार ने की है वह भी आपकी जानकारी में है इतना और मान लीजिए कि इस [× × ×] ।

(बसपा पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा लगाये गये आरोपों के विरोध में श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0सिंह), श्री भगेलू राम, श्री जगदीश नारायण राय, श्री दद्दू प्रसाद तथा श्री उमा शंकर कुशवाहा आदि मा0 सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे।)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मैंने बात आधी कही है।

(नारे लगाते हुए बसपा के सदस्य वेल में आ गए)

(वेल में आए हुए सदस्य नारे लगा रहे थे)

श्री अध्यक्ष-

मैं आग्रह करता हूं, आप अपने-अपने स्थानों पर चलें। मैंने मा0 मौर्या जी को सुना, सरकार का भी मत आ गया, मुझे भी तो निर्णय करने दें। आपसे आग्रह है, आप अपने-अपने स्थानों पर चलें। अब ऐसे नहीं चलेगा, आपसे मेरा आग्रह है, आप अपने-अपने स्थानों पर चलें। आपकी बात आ गई, सरकार की बात आ गई, हम इस पर निर्णय देंगे या नहीं देंगे ? आप अपनी सीटों पर चलें।

(वेल में आए हुए सदस्य नारे लगा रहे थे और घटना की सी0बी0आई0 जांच की मांग कर रहे थे)

नोटः- [ ] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

मुझे निर्णय करने दीजिए, आप अपने स्थान पर चलें। मैं आग्रह कर रहा हूं, आप लोग अपनी जगह पर चलें और मुझे फैसला करने दें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मान्यवर, इन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं। मान्यवर, यह अपना स्थान ग्रहण करें, तब पूरी बात बतायी जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय काली चरण जी, बहुत हो गया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जिस तरीके से इसको इतने हल्के तरीके से लिया जा रहा है, इस पर गम्भीरता से कार्यवाई नहीं कर रहे हैं, हम सी0बी0आई0 जांच की मांग इसलिए कर रहे हैं कि जिन लोगों के चेहरे इसमें हैं, वह उजागर होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने स्थान पर चलें। आपने अपनी बात कह दी, सरकार ने भी अपनी बात कह दी, अब मुझे भी तो कोई निर्णय देने दीजिए। माननीय मौर्या जी, आप माननीय सदस्यों से कहें कि वह वापस आ जायें।

(घोर व्यवधान जारी)

(नारेबाजी का क्रम जारी रहा)

आप अपनी जगह पर चलें।

(नारेबाजी)

आप अपनी जगहों पर चलें। आपने विधान सभा स्थगित किया। अब आप चलें। मौर्या जी मेरा अनुरोध है कि आपने पूरी बात कह ली, सरकार की तरफ से जवाब आ गया। अब आप सी0बी0आई0 जांच की मांग कर रहे हैं। हमें भी तो कुछ कहने दीजिए। अब आप लोग चलें। बहुत काम है। एजेण्डा बाकी है। माननीय सुखदेव राजभर जी आप वेल में आये, इतनी देर विधान सभा की कार्यवाही भंग रही। अब आपने अपनी बात कह दी, सरकार की तरफ से जवाब आ गया तो मुझे भी तो अपना फैसला सुनाने दीजिए।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी वालों से मूर्ति तुड़वाई है, इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

वह मैं दिखवा लूंगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इसमें सी0बी0आई0 जांच के आदेश दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मैं सी0बी0आई0 जांच के आदेश दे सकता हूं ?

(नारेबाजी)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जांच से पहले संसदीय कार्यमंत्री जी का यह आरोप कि मूर्ति का खण्डन बहुजन समाज पार्टी ने किया है, इसका क्या मतलब है ? अभी पूरी बात ही नहीं सुनी गयी है। मान्यवर, वह कार्यवाही से निकलना चाहिए।

(नारेबाजी)

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, कोई फैसला ले लें।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप अपने स्थान पर चलें तो बोलूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक विषय आपके सामने आया है। महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको देख लूंगा, अगर कोई ऐसी बात आयी है तो कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा। अब आप अपनी जगहों पर चलें।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, देख नहीं लीजिए, निकाल दीजिए। यह आदेश कर दें मान्यवर।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी सीटों पर जायें। जांच का काम सरकार रही है। सरकार की तरफ से जवाब आया है कि दरोगा को मुअत्तल कर दिया गया है, सिपाही को मुअत्तल कर दिया गया है। जांच कराने का काम मुख्य मंत्री जी करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कम से कम इस बात से सहमति हो जाय कि इतना हिस्सा कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। एक आरोप लगाया गया है, अनर्गल आरोप लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

यह केवल निकालने तक सीमित नहीं है। यह लोग यह भी मांग कर रहे हैं कि सी0बी0आई0 की जांच करायी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

आरोप लगाया गया है कि मूर्ति का खण्डन बी0एस0पी0 ने किया है तो यह आरोप कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष-

यह बात नाम लेकर नहीं कही गयी है, प्रमोद कुमार जी ने भी कहा था कि यह षडयन्त्र है, किसी और ने कहा कि यह षडयंत्र है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह समाजवादी पार्टी के लोग इस पूरे प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते हैं। ऐसे लोगों का दुष्चरित्र जनता के सामने आना चाहिए। हम लोग सी0बी0आई0 जांच की मांग करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप हमें लिखकर दे दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी सरकार के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। सी0बी0आई0 जांच न कराकर यह कह रहे हैं कि बसपा के लोगों ने मूर्ति को तोड़ा है। इसका मतलब यह है कि इसमें समाजवादी पार्टी का हाथ है। इन्होंने ही मूर्ति तुड़वाई है और पूरे प्रदेश को आग में डालने की कोशिश की जा रही है। यह एक गम्भीर मामला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही है इसे कार्यवाही से निकाला जाय और इस पूरे प्रकरण की जांच सी0बी0आई0 से करायी जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग नहीं मान रहे हैं इसलिए मैं सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 3 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित की दी। 3 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 45 मिनट तक और बढ़ा दिया है। 3 बजकर 45 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 55 मिनट तक और बढ़ा दिया है। 3 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(इस मध्य बेल में आये बसपा के सदस्यगण फ्लोर पर बैठ गये)

(फ्लोर पर बैठे हुए सदस्यों ने खड़े होकर पुनः नारे लगाना प्रारम्भ कर दिया)

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, देखिए बहुत हो गया, मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

(वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे और सी0 बी0 आई0 जांच की मांग करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी, आपका कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, आप बोलेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, पहले सदन व्यवस्थित कराइये, यह काम आपका है, फिर मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब लोग अपने आसन पर चलें। माननीय मौर्य जी, अब बहुत हो गया। मेरी बात पर विचार करें। आप लोग शान्ति से बैठिये और अपनी-अपनी सीटों पर जाइये।

माननीय मौर्य जी, आप अपने दल के सदस्यों को बैठाइये और आगे की कार्यवाही चलने दें, बहुत हो गया। देखिये, इतनी देर इसके लिए सदन स्थगित रहा, फिर तीन बार स्थगित रहा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इनको अपनी सीटों पर बैठने के लिए कहें।

श्री स्वामी प्रसाद मार्य-

मान्यवर, जिस तरीके से लीपापोती किया गया है। और जिस तरीके से सरकार ने अपनी यहां पर गलत बयानी दे करके प्रदेश में गलत सन्देश देने की कोशिश की है उसको देखने से ऐसा लगता है कि इस घटनाक्रम के पीछे कहीं न कहीं सरकार का हाथ है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के इशारे पर यह घटनाक्रम किया गया है। इसलिए सी0बी0आई0 जांच से सरकार कतरा रही है अगर कहीं इनका इरादा साफ होता, अगर कहीं से पाकसाफ होते तो सी0बी0आई0 जांच की घोषणा इस सदन में करके इस पूरे घटना के जो भी मुल्जिम होते, उसको सजा देने का काम करते।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं लिखा जायेगा। यह कार्य-स्थगन के जो प्रस्ताव हैं, इस पर आप कुछ बोलेंगे।

आपका तो कल होगा। आप बोलना चाहें तो बोलें, ये तो करते रहेंगे, कल भी सदन चलेगा।

उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार द्वारा सदन के माध्यम से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 क्लाज-3 को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जाति के श्रेणी में सूचीबद्ध किसी भी धर्म के अनुयायी को समान रूप से आरक्षण की सुविधा दिये जाने सम्बन्धी भारत सरकार से की गयी मांग का संकल्प

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ये मद संख्या 15 आप लेंगे, आज लेंगे।

ये लोग जो प्रस्ताव दिये हैं ये कह रहे हैं कि इसको आज नहीं कल लीजिए। तो कल लेंगे या आज लेंगे ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

कल नहीं आज लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आज लेंगे अभी ?

संकल्प तो आप पहले रख दें।

(वेल में आये हुए सदस्य सी0बी0आई0 जांच कराने सम्बन्धी नारे लगाते रहे घोर व्यवधान के मध्य।)

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी राय है कि इसे आज न लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं, आज ही लिया जायेगा। यह कार्य-सूची में है।

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

मान्यवर, यह संकल्प जो है, बड़ा महत्वपूर्ण है और अगर आज इस पर चर्चा नहीं हो पायी तो मान्यवर, आप हमेशा याद कराये जायेंगे, जब-जब इसका जिक्र आयेगा क्योंकि या तो कल आप करायें या सदन व्यवस्थित हो जाये, तब आप करायें। बिना बहस के यह पास नहीं हो सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं बहस होगी अभी, सदन का माहौल कल क्या होगा इसकी जमानत किसी के पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

रुकिये यह मद संख्या 15 में तुरन्त अभी स्थगित करता हूं और बाद में लेता हूं। पहले विधेयक ले लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्यों, मान्यवर, जब क्रम से हो रहा है तो चलने दीजिए। अभी तो संकल्प रखना है।

श्री अध्यक्ष-

अभी सरकार प्रस्तुत करना चाहती है तो मैं कैसे रोकूं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर कौन रोकेगा ?

श्री हुकुम सिंह-

चलिए हम भी धरना देते हैं बैठके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

धरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान्यवर, जो प्रोसीजर है, वह तो नहीं बदला जायेगा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आपसे मेरा आग्रह है कि आप सब लोग अपने-अपने सीटों पर जायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की मौजूदा समाजवादी सरकार सदन के माध्यम से भारत सरकार से मांग करती है कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की क्लाज-3

को तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाना चाहिए जिसके कारण देश के ईसाइयों और मुसलमानों के दलित तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी से बाहर रखा गया है। हमारी सरकार मांग करती है कि जिन वर्गों को भारत के संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जाति के श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया वह चाहे किसी भी धर्म के अनुयायी हों समान रूप से आरक्षण की सुविधाएं मिलनी चाहिए। अर्थात्, जिन तबकों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, चाहे वह किसी भी धर्म के हों उन्हीं के हमपेशा वर्गों को चाहे वह मुसलमान हों या ईसाई हों, उन्हें भी अन्य अनुसूचित जातियों के समान सुविधाएं दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों को अनुच्छेद-341 के अन्तर्गत अनुमन्य कराये गये आरक्षण की सुविधाओं से अलग रखना न सिर्फ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 तथा 16 आदि के विपरीत है, बल्कि इंसाफ पर भी आधारित नहीं है। हमारा यह मानना है कि जिस प्रकार केवल धर्म के आधार पर किसी वर्ग को आरक्षण की सुविधायें नहीं दी जा सकती हैं उसी प्रकार केवल धर्म के आधार पर ईसाई और मुसलमान दलितों को आरक्षण की सुविधा से महरूम करना संविधान का उल्लंघन है।

(इसी मध्य)

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है ? क्यों यह उस पीठ को कलंकित कर रहे हैं ? यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे अव्यवस्थित सदन में पारित किया जाना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

हम इस पर संशोधन रखवायेंगे और चर्चा करवायेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

यह मान्यवर, नहीं होगा, नहीं होगा। इसे आगे के लिए स्थगित कर दीजिए।

(इस मध्य श्री हुकुम सिंह और डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी सदन के फ्लोर पर आ गये)

श्री अध्यक्ष-

मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि अब आप लोग अपनी-अपनी जगहों पर चले जायें।

(नारेबाजी के मध्य)

आप लोग सुनिए न, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह जो इस पर संशोधन रखे हुए हैं, वह इस पर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। उनका कहना है कि इसे आज रोक दिया जाय और इस पर कल चर्चा कराया जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, वह लोग अपनी बात कहें। बात सुनी जायेगी। वह कहें हम सुन रहे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह कैसे होगा ? इस संकल्प पर विपक्ष का संशोधन है। विपक्ष इस पर अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह एजेण्डे में है, मैं क्या करूं ? एजेण्डे में है, वह रखना चाहते हैं, मैं क्या रोक पाऊंगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जिन्हें नहीं सुनना है वह नहीं सुनेंगे। जिन्हें सुनना है, वह सुनेंगे। हम सुन रहे हैं, सुनेंगे और जवाब भी देंगे।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने यह जो कार्य-सूची.....

श्री अध्यक्ष-

इन लोगों का आग्रह है कि आज इसे रोक दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-.

अब यह क्या बात हुई, आप यह क्यों कह रहे हैं कि [xxx] यह कार्य-सूची पर है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

क्या कार्यसूची का पालन नहीं किया जायेगा। चूंकि सदन व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मैं सदन को पांच मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 4 बजकर 08 मिनट पर सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। 4 बजकर 13 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है। 4 बजकर 23 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट और बढ़ा दिया है। 4 बजकर 33 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

(वेल में पहले से बैठे बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण खड़े होकर सी0बी0आई0 जांच कराने के लिए नारे लगाने लगे जिस कारण घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपने-अपने स्थानों पर चलिए।

मद संख्या-15 पर अंकित संकल्प प्रस्तुत हो गया है। कल इस पर चर्चा होगी। मद संख्या-16, 17 बाद में लेते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर संशोधन प्रस्तुत करें।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान जारी)

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में अग्रतर संशोधन करने के लिए-

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम — 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन — 2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ख) और (ग) निकाल दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन — 3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, खण्ड (भ) में मद 79 के पश्चात् निम्नलिखित मद बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

"80-उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा विकास परिषद्"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

(बसपा के सदस्यों द्वारा सी0बी0आई0 से जांच कराये जाने के नारे लगाये जाते रहे)

प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

माननीय मौर्या जी इस पर कुछ बोलेंगे।

(माननीय मौर्या जी द्वारा कुछ न बोलने पर माननीय अध्यक्ष ने अगली मद पुकारी)

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश की अपर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

---

† (दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।)

(व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार का प्रस्ताव का स्थगन

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव का स्थगन

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर एवं डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन पर विचार का स्थगन

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की "स्टिंग आपरेशन" सम्बन्धी जांच समिति के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-23, मद संख्या-24, मद संख्या-25 और मद संख्या-26 स्थगित।

(बसपा के सदस्य सदन के फ्लोर पर बाबा साहब का अपमान करने वालों को फांसी दो-फांसी दो के नारे लगाते रहे)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनाएं प्राप्त हुईं :-

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री रंगनाथ मिश्र	की	जनपद भदोही निवासी श्री राम प्रसाद पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पेन्शन स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में,
2-श्री हरि प्रताप सिंह	की	जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक सदर में वर्ष 2005-06 के लिये आवंटित हैण्डपम्पों का कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में,
3-श्री रणवीर राणा	की	मेरठ मण्डल की शुगर मिलों द्वारा गन्ने की कम पेराई किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,
4-श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश'	की	जनपद वाराणसी कैण्ट अन्तर्गत आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि के अधिग्रहण के सम्बन्ध में,

5-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ शहर को मेट्रो सिटी का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी मेरठ नगर निगम में स्वीकृत एवं रिक्त अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में,

6-श्री प्रमोद कुमार की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज स्थित रजबहों में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली के डलमऊ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सड़क कार्य हेतु धन अवमुक्त होने के बाद भी कार्य पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में,

2-श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर के विकास खण्ड धरमापुर एवं सरकोनी के किसानों हेतु धान खरीद केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में,

3-श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत निर्मित पुलों से संबंधित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-डा0 विनोद तिवारी की प्रदेश के क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रधानों की भांति प्रतिमाह मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया :-

1-श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर के मुहल्ला खत्रीबाड़ा स्थित बूचड़खाना को अन्यत्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में,

2-श्री संजीव दरियाबादी की कानपुर की जे0 के0 कॉटन मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

3-श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई कूपों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में,

4-श्री जगन प्रसाद गर्ग	की	जनपद लखनऊ के ग्राम सदरौना में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराये जाने के दोषी अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में,
5-श्री मदन चौहान	की	गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
6-श्री कालीचरण राजभर	की	जनपद गाजीपुर स्थित सिऊरी अमहट चट्टी स्थित धार्मिक सत्ती माँ तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,
7-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल	की	प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षकों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में,
8-श्री जगदम्बिका पाल	की	चतुर्थ वेतन आयोग समिति की सिफारिशों के अनुरूप वर्ष 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए तहसीलदार/नायब तहसीलदारों को पेन्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री भगेलू राम,

2-श्री लाल जी वर्मा,

3-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

4-श्री राधेश्याम जायसवाल,

5-श्री अवधेश कुमार वर्मा,

6-श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह),

7-श्री रामकरन आर्य,

8-श्रीमती विद्या चौधरी,

9-श्री समरपाल सिंह,

10-श्री रमेश चन्द्र बिन्द,

11-श्री प्रागी लाल अहिरवार,

12-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर,

13-श्री राम इकबाल सिंह,

14-श्री रामहेत भारती,

15-श्री कौशल किशोर,

16-श्री सुखदेव राजभर तथा

17-श्री रणवीर राणा।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

राणा रणवीर की दो सूचनायें प्राप्त हुई हैं इसलिए अस्वीकृत हुई हैं। रंगनाथ मिश्रा जी की नियम-56 में प्राप्त हुई थी इसे नियम-51 में तरमीम कर दिया गया।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत फत्तेपुर संगत में सरकारी राशन की दुकान खोले जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य विधान सभा श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है कि जनपद सुल्तानपुर ...

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[के विधान सभा तथा विकास खण्ड जयसिंहपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत फतेहपुर-संगत की सरकारी राशन की दुकान लगभग तीन वर्ष से पड़ोस के गांव के कोटेदार के यहां से अटैच चल रहा है। ग्राम सभा की कुल आबादी लगभग 90 प्रतिशत आबादी पिछड़े तथा अनु0 जाति के लोगों की है तथा गरीब परिवारों की संख्या 85 प्रतिशत है इस गांव में कोटेदार द्वारा प्रत्येक माह लगभग 150 कुन्तल गेहूं, 80 कुन्तल चावल, 19 ड्रम मिट्टी का तेल तथा 19 बोरी चीनी वितरण के लिए प्राप्त किया जाता है। परन्तु इसका वितरण गांव के लोगों में न करके खाद्य विभाग, तहसील विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिली भगत से कोटेदार द्वारा खुले बाजार में विक्रय लम्बे समय से किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सदस्यों, बी0डी0सी0 सदस्य आदि गांव के निवासियों ने कई बार एवं उप जिलाधिकारी सदर तथा जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर शिकायत किया तथा शासनादेश के अनुसार गांव में ही नया प्रस्ताव कराकर सरकारी राशन की दुकान खुलवाने की मांग किया गया। परन्तु कोटेदार की अधिकारियों की मिली भगत के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसको लेकर गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। गांव के लोगों को सरकारी राशन न मिल पाने

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तथा शासनादेश होने के बाद भी तीन वर्ष से अधिक समय के पश्चात् भी प्रशासन द्वारा गांव में राशन की दुकान न खुलवाये जाने को लेकर गांववासी आन्दोलित हैं।

2-उक्त के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत फतेहपुर संगत श्री मो0 समीद द्वारा दिनांक 12-5-2003 को तत्कालीन उप जिलाधिकारी, सदर को स्वास्थ्य ठीक न होने का प्रार्थना-पत्र देकर अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया। विक्रेता के उक्त प्रार्थना-पत्र एवं चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर उप जिलाधिकारी, सदर ने दिनांक 21-5-2003 को मो0 समीद उचित दर विक्रेता ग्राम पंचायत फतेहपुर संगत को चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि को ही फतेहपुर संगत की दुकान समीप की ग्राम पंचायत राजापुर के उचित दर विक्रेता श्री मुजम्मिल से सम्बद्ध कर दिया गया तथा इनके यहां दिनांक 06-11-2004 तक सम्बद्ध रही। इसके उपरान्त दिनांक 06-11-2004 से श्री रामचन्द्र वर्मा, उचित दर दुकानदार महादेवपुर से सम्बद्ध कर दी गयी जो दिनांक 10-3-2006 तक सम्बद्ध रहीं। उचित दर विक्रेता मोहम्मद समीद काफी समय व्यतीत होने के बाद भी फिटनेस प्रमाण-पत्र न दे सके। अतः उप जिलाधिकारी, सदर के पत्र दिनांक 12-1-2005 द्वारा उन्हें नोटिस दी गई कि लगभग 19 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी आप अपने फिटनेस के बारे में कोई सूचना नहीं दिये हैं और दुकान समीप के कोटेदार से सम्बद्ध है। मो0 समीद द्वारा एक माह तक कोई उत्तर न देने के कारण उनकी उचित दर दुकान का अनुबन्ध-पत्र दिनांक 25 फरवरी, 2005 द्वारा निलम्बित कर स्पष्टीकरण मांगा गया। मो0 समीद द्वारा इसका भी उत्तर न देने के कारण उप जिलाधिकारी, सदर के पत्र दिनांक 12-1-2006 के द्वारा अनुबन्ध-पत्र निरस्त करते हुए खण्ड विकास अधिकारी जयसिंहपुर को रिक्त ग्राम पंचायत फतेहपुर संगत में नई दुकान की नियुक्ति हेतु निर्देशित किया गया। सम्बद्ध दुकान के विक्रेता श्री रामचन्द्र वर्मा, महादेवपुर द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने तथा सम्बद्ध दुकान को अन्यत्र सम्बद्ध करने के अनुरोध पर उप जिलाधिकारी, सदर के कार्यालय पत्रांक 563, दिनांक 10 मार्च, 2006 द्वारा ग्राम पंचायत फतेहपुर संगत की उचित दर दुकान श्री मुजम्मिल, ग्राम पंचायत राजापुर से सम्बद्ध कर दी गयी तथा खण्ड विकास अधिकारी को नई दुकान के प्रस्ताव हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया। बार-बार पत्राचार के बावजूद ग्राम प्रधान द्वारा नई दुकान के प्रस्ताव में रुचि न लेने के कारण जनहित में उप जिलाधिकारी, सदर के पत्रांक-2039 दिनांक 20 नवम्बर, 2006 द्वारा सम्बर्द्धीकरण बगल की दुकान ग्राम पंचायत जौली मीरगंज के उचित दर विक्रेता श्री इम्तियाज अहमद के यहां कर दिया गया है।

3-रिक्त ग्राम पंचायत से रिक्त ग्राम पंचायत को भरने हेतु आरक्षण व्यवस्था के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र तहसील स्तरीय चयन समिति के समक्ष उप जिलाधिकारी की प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 21-11-2006 द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। उक्त प्रस्ताव दिनांक 15-12-2006 उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है।

अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव में नियमानुसार चयनित व्यक्ति को दुकान आवंटित कर दी जायेगी।]

घाघरा नदी के कटान से जनपद मऊ स्थित ग्राम धर्मपुर-अभिराज के टीले तथा दुबारी आदि ग्रामों के निवासियों को राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-29 स्थगित है।

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के ग्रामों में ओला पड़ने से किसानों की बरबाद हुई फसलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य, विधान सभा श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत ...

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[दी गई सूचना में कहा गया है कि जनपद-आजमगढ़ की तहसील लालगंज में दिनांक 21 अक्टूबर, 2006 को ग्राम-घाटमपुर-छतरपुर, असवनियां, कुदिहर, गोडहरा के बकस, उड़ियावा, पुडसुडी, बरहट गांवों में ओला पड़ने से किसानों के धान की पूरी फसल बरबाद हो गयी है। खपरैल मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इससे ग्रामों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। इन गांवों में त्राहि-त्राहि मची है। कोई सुविधा नहीं दी गयी है। किसानों में काफी असन्तोष व्याप्त हो गया है। स्थिति विस्फोटक हो गयी है।

जिलाधिकारी, आजमगढ़ की आख्या के अनुसार तहसील लालगंज में दिनांक 21 अक्टूबर, 2006 को 12.30 बजे ओलावृष्टि होने से 38 ग्रामों में कुल 3555.98 हे0 कृषि क्षेत्रफल प्रभावित हुआ। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार दैवी आपदा के फलस्वरूप 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक फसलों की क्षति होने पर लघु तथा सीमान्त कृषकों को असिंचित क्षेत्र के लिये रु0 1,000/-प्रति हे0 तथा सिंचित क्षेत्र के लिये रु0 2,500/-प्रति हे0 की दर से कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य है। इनसे भिन्न कृषकों को लगातार दूसरे वर्ष प्राकृतिक आपदा से फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर असिंचित क्षेत्र के लिये रु0 1,000/-प्रति हे0 तथा सिंचित क्षेत्र के लिये रु0 2,500/-प्रति हे0 की दर से अधिकतम दो हे0 तक प्रति कृषक कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य है। तद्नुसार जिलाधिकारी, आजमगढ़ द्वारा भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत कृषि निवेश अनुदान की अनुमन्यता की परिधि के अन्तर्गत आ रहे क्षतिग्रस्त कृषि क्षेत्रफल 2261.61 हे0 के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान की मांग की गयी है। उक्त ग्रामों में से 21 ग्रामों में कुल

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1857 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित व्यक्तियों को कृषि निवेश अनुदान तथा गृह अनुदान वितरित करने हेतु रु0 65,00,000/-की धनराशि जिलाधिकारी, आजमगढ़ को स्वीकृत की जा चुकी है।]

लखनऊ नगर स्थित निशातगंज ओवरब्रिज के नीचे की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार सिंह यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[दी गयी सूचना में यह उल्लेख है कि लखनऊ शहर के निशातगंज के ओवर ब्रिज के नीचे दोनों तरफ की सड़कें निशातगंज चौकी से गोल मार्केट के चौराहे तक तथा हनुमान मन्दिर से बादशाहनगर चौराहे तक दोनों तरफ की सड़कों में आधे फिट से एक फिट के गड्ढे होने तथा करामत मार्केट की मस्जिद के सामने एवं हनुमान मन्दिर के पास दो-दो फिट के गड्ढों के कारण आवागमन में परेशानी हो रही है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निशातगंज रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण जो लखनऊ-फैजाबाद-गोरखपुर राष्ट्रीय मार्ग संख्या-28 पर स्थित है, हो जाने के पश्चात् इस उपरिगामी सेतु के नीचे का भाग लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2002 में नगर निगम को हस्तान्तरित किया जा चुका है। वर्तमान में उपरिगामी सेतु के नीचे वाले मार्ग का भाग नगर निगम के अधीन है जिसकी मरम्मत के सम्बन्ध में कार्यवाही नगर निगम, लखनऊ द्वारा की जानी है। नगर निगम, लखनऊ को उक्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने हेतु लिख दिया गया है।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् आवासीय योजना से सम्बन्धित सम्पत्तियों की पत्रावली गायब होने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22-11-06 को नियम-51 के अन्तर्गत निम्नवत् सूचना दी गयी है :-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ से प्रकाशित दैनिक जागरण के दिनांक 15 जुलाई, 2006 के अंक में यह सूचना प्रकाशित की गयी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् आवासीय योजना स्थित विभिन्न सम्पत्तियों की आवंटन सम्बन्धी पत्रावलियां उपलब्ध न होने के कारण उक्त सम्पत्ति के अध्यासीगण सम्पत्ति के आवंटन/निबन्धन/जमा धनराशि की

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रसीदों आदि समस्त अभिलेखों की छाया प्रतियां उपलब्ध करा दे अन्यथा निर्धारित अवधि (20 अगस्त, 2006) के उपरान्त सम्बन्धित सम्पत्तियों का आवंटन निरस्त मान लिया जायेगा तथा यह सूचना अन्तिम है।

वस्तुतः लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त सम्पत्तियों में से अधिकांश सम्पत्ति की फ्री-होल्ड रजिस्ट्री भी अध्यासियों के पक्ष में की जा चुकी है तथा प्राधिकरण के भ्रष्ट एवं लापरवाह कर्मियों द्वारा निजी स्वार्थ में साजिशन पत्रावलियां गायब कर दी गयी हैं। परन्तु प्राधिकरण द्वारा दोषी कर्मियों को दण्डित करने के बजाय निर्दोष अध्यासियों को ही अकारण उत्पीड़ित करने की कुचेष्टा की जा रही है, जिससे स्थानीय निवासियों एवं अध्यासियों में रोष व्याप्त है।

2-इस सम्बन्ध में प्राप्त लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की आख्या में अवगत कराया गया है कि जानकीपुरम् योजना के विभिन्न सेक्टरों में आवंटित भूखण्डों से सम्बन्धित 296 पत्रावलियां प्राधिकरण में उपलब्ध न होने के कारण आवंटियों से उक्त भूखण्डों की रजिस्ट्रियों एवं जमा धनराशि की रसीदों व अन्य आवंटन से सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां पत्रावलियों के पुनर्निर्माण हेतु प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक 15-7-2006 को दैनिक जागरण में सूचना प्रकाशित की गयी थी। सूचना प्रकाशित होने के उपरान्त लगभग 77 आवंटियों द्वारा अपने अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये हैं। किसी आवंटी द्वारा अभी तक उत्पीड़न के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं की गयी है। आवंटियों द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराने के बाद उनका परीक्षण किया जायेगा तथा जो भी उत्तरदायी होगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मात्र उक्त 296 भूखण्डों के आवंटन से सम्बन्धित अभिलेख जो प्राधिकरण में उपलब्ध नहीं है, संकलित किये जा रहे हैं। अध्यासियों के उत्पीड़न किये जाने जैसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।]

जनपद देवरिया स्थित रुद्रपुर क्षेत्र में राप्ती, गौर्रा, बघुआ आदि नदियों में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त बांधों , सड़कों व पुलिया की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ (खोखा सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ (खोखा सिंह), मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 विधान सभा को नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 22-11-2006 को यह सूचना दी गयी थी कि जनपद-देवरिया रुद्रपुर क्षेत्र का आधा भू-भाग जहां राप्ती, गौर्रा, बघुआ, मझना, नकटा आदि छोटे-बड़े नदियों व नालों से घिरा हुआ है। वर्ष 1998 तथा 2001 के प्रलयकारी बाढ़ से 116 ग्राम सभा पूर्णतः बाढ़ के आगोस में डूब चुका था। नदियों एवं नालों के सभी बांध ध्वस्त हो गये थे। सड़क एवं पुल-पुलिया बुरी तरह टूट गये थे। बाढ़ रोकने के स्थायी निदान के लिये बंधों के उच्चीकरण एवं ठोकरों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ परन्तु इसके सापेक्ष

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में अभी तक मात्र 6 करोड़ रुपया ही अवमुक्त हुआ है। अभी 19 करोड़ रुपया आवंटित नहीं हो सका, जिससे बन्धे एवं ठोकरें अधूरे पड़े हैं।

निम्न परियोजनाओं पर स्वीकृत धनराशि आज तक अवमुक्त न होने के कारण सम्पूर्ण परियोजना अधूरी पड़ी है। नगवा-छपरा बांध पर स्वीकृत धनराशि 491.68 लाख है अवमुक्त मात्र 50 लाख, अवशेष 441.68 लाख, पलिया छपरा बांध 215.48 लाख अवमुक्त मात्र 100 लाख, अवशेष 115.75 लाख, पाण्डेय माझा-जोगिया बांध 148.48 लाख, अवमुक्त 50 लाख, अवशेष 98.48 लाख, नकईल डहरौली बांध 110.30 लाख, अवमुक्त 30 लाख, अवमुक्त शून्य, अवशेष 80.30 लाख, मुसवल पिडरा बांध 93.38 लाख, अवमुक्त शून्य पिडरा करनपुर बांध 106.52 लाख, अवमुक्त 56.52 लाख, अवशेष 50 लाख, तिघरा मराछी बांध 417.48 लाख, अवमुक्त 270 लाख अवशेष 147.46 लाख, नकइल सेमरौना बांध 358.63 लाख अवमुक्त शून्य।

ठोकर निर्माण हेतु पलिया-छपरा बांध ग्राम गाजन के पास 85.02 लाख, अवमुक्त 30 लाख, अवशेष 55.02 लाख, तिघरा मराछी बांध में ग्राम बनकटी के पास 57.47 लाख, अवमुक्त 56.00 लाख, अवशेष 1.47 लाख, पिडरा करनपुर बांध में पिड़रा के पास 98.77 लाख, अवमुक्त 40 लाख अवशेष 58.77 लाख तथा इसी बांध पर जगत माझा के पास 141.78 लाख, अवमुक्त 50 लाख, अवशेष 91.78 लाख, मदनपुर केवटलिया बांध में ग्राम केवटलिया के पास 25.52 लाख, अवमुक्त 20.13 लाख, अवशेष 5.39 लाख और केवटलिया महेन बांध में ग्राम मोहरा के पास 29.38 लाख अवमुक्त शून्य।

शासन से स्वीकृत धनराशि का बड़ा हिस्सा 131395.73 लाख रुपया अवमुक्त न होने के कारण सम्पूर्ण बन्धा अधूरा पड़ा है जिससे प्रलयकारी बाढ़ आने से कछरांचल का 116 गांव नदियों में विलीन हो जायेगा। स्वीकृत ठोकरें अधूरे पड़े हुए है। स्वीकृत धनराशि का बड़ा हिस्सा 241.81 लाख रुपया आज तक अवमुक्त न होने से सभी ठोकरे अधूरे है।

वित्तीय वर्ष 2006-2007 का समय भी मात्र 5 माह अवशेष हैं परन्तु आवन्टित धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं हो सका। जिससे बन्धा और ठोकरों का निर्माण अधर में लटक गया है। आने वाले बाढ़ से कछरांचल को बचाया भी नहीं जा सकता है जो धनराशि अवमुक्त हो चुका है वह भी बाढ़ में औचित्यहीन हो जायेगा।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 विधायक ने नियम-51 के अन्तर्गत अपने पत्र दिनांक 22-11-2006 में दी गयी सूचना में जिन परियोजनाओं का उल्लेख किया है, उक्त योजनाओं के कार्य की लागत और दिनांक 29-11-2006 तक परियोजनाओं पर आवंटन की स्थिति संलग्न तालिका में दर्शायी गयी है। इसके अनुसार तटबन्ध के उच्चीकरण की कुल 08 परियोजनाओं में से 07 परियोजनाओं पर धन का आवंटन किया जा चुका है शेष एक नकईल सेमरौना बांध के उच्चीकरण की परियोजना पर वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रिया में है। कटाव निरोधक कार्यों की कुल 6 परियोजनाओं में से 05 परियोजनाओं पर धन का आवंटन किया जा चुका है तथा शेष 01 परियोजना पर वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि इन परियोजनाओं पर कार्य की पूरी-पूरी धनराशि आवंटित नहीं

की गयी है, परन्तु इन परियोजनाओं हेतु बजट की उपलब्धता के आधार अवशेष धनराशि आवंटित की जायेगी।

मा0 विधायक जी का यह कथन स्वीकार है कि रुद्रपुर क्षेत्र में वर्ष 1998 तथा 2001 की प्रलयकारी बाढ़ में जहां तटबन्ध क्षतिग्रस्त हो गये थे वहीं यह क्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित था। इसी कारण इस क्षेत्र की बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए तटबन्धों के उच्चीकरण की परियोजनायें बनाकर राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। इस प्रकार क्षेत्र के सभी तटबन्धों को वर्ष 1998 की अधिकतम बाढ़ के अनुरूप उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करके क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित करने का निश्चय है। इस दिशा में विगत वित्तीय वर्ष में भी तटबन्धों के उच्चीकरण की परियोजना पर धन का आवंटन करके कार्य कराये गये है। इन 08 तटबन्धों में से 07 तटबन्धों पर धन के आवंटन के आधार पर कार्य वर्षाकाल के तुरन्त बाद आरम्भ कर दिया गया है। कटाव निरोधक की 06 योजनाओं में से 05 परियोजनाओं पर धनराशि आवंटित हो चुकी है। शेष एक परियोजना पर धनराशि आवंटन के पश्चात् कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

संलग्नक-1

माननीय अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सन्दर्भ में बाढ़ कार्यों पर वर्ष 2006-07 में आवंटित धनराशि का विवरण

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	कार्य की लागत (लाख रु0 में)	वर्ष 2006-07 में बजट प्राविधान	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5
	तटबन्धों का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण			
1	नगवा छपरा तटबन्ध	476.25	125.60	50.00
2	पलिया छपरा तटबन्ध	208.85	165.75	100.00
3	पाण्डेय माझा जोगिया तटबन्ध	135.64	135.64	50.00
4	नकईल डहरौली तटबन्ध	100.08	60.50	30.00
5	भुसवल पिंडरा तटबन्ध	85.89	85.89	85.89
6	पिंडरा करनपुर तटबन्ध	98.36	56.52	56.52
7	नकईल सेमरौना तटबन्ध	341.76	--	वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया में।
8	तिघरा मराछी बांध	434.30	334.30	100.00
	कटाव निरोधक कार्य			
1	पलिया छपरा बांध के ग्राम-गाजन के पास कटाव निरोधक कार्य	76.67	76.67	30.00

1	2	3	4	5
2	तिघरा मराछी बांध के ग्राम बनकटी के पास कटाव निरोधक कार्य	54.76	54.76	54.22
3	पिंडरा करनपुर बांध के ग्राम पिंडरा पर कटाव निरोधक कार्य	89.07	89.07	40.00
4	पिंडरा करनपुर बांध के ग्राम जगत माझा एवं ग्राम करनपुर के पास कटाव निरोधक कार्य	127.87	127.87	50.00
5	मदनपुर केवटलिया बांध के ग्राम-केवटलिया के पास कटाव निरोधक कार्य	23.68	23.68	23.68
6	केवटलिया महेन बांध के ग्राम-मोहरा के पास कटाव निरोधक कार्य	29.38	--	वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया में
	योग :-	2282.56	1336.25	670.31]

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर के अन्तर्गत जिला प्रशासन द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में डा0 विनोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए अवगत कराना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत ने अपने पत्र संख्या-4095/4102 दिनांक 18-9-2006 के द्वारा जिलाधिकारी पीलीभीत को यह अवगत कराया गया है कि पत्र में अंकित विद्यालयों में लगातार मिड डे मील योजना के अन्तर्गत भोजन न बनाने की सूचना आ रही है। पत्र में अंकित विद्यालयों में मिड डे मील योजना को बाधित करने वाले कारकों/व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। इसी कारण जिलाधिकारी, पीलीभीत के आदेश दिनांक 27-9-2006 द्वारा विकास खण्ड पुरनपुर के 10 ग्राम प्रधानों के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार जांच में दोष रहित होने तक प्रतिबन्धित किये गये थे। इन 10 ग्राम प्रधानों में से 7 ग्राम पंचायतों के प्रधानों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लिये गये हैं। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निम्नलिखित विवरण के अनुसार उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार बहाल कर दिये गये हैं तथा विस्तृत जांच के लिए जिला स्तरीय अधिकारी जांच अधिकारी नामित कर दिये गये हैं :-

क्र0सं0	ग्राम पंचायत का नाम	विकास खण्ड	अधिकार बहाल किये जाने के आदेश की संख्या व दिनांक
1	पिपरिया जयभद्र	पूरनपुर	2705/27-11-2006
2	कबीरगंज	पूरनपुर	2706/27-11-2006
3	हरीपुर किशनपुर	पूरनपुर	2704/27-11-2006
4	श्रीनगर	पूरनपुर	2703/27-11-2006
5	सिमरिया ता0 महाराजपुर	पूरनपुर	2621/21-11-2006
6	सिमरिया ता0 अजीतपुर बिल्हा	पूरनपुर	2620/21-11-2006
7	गोपालपुर	पूरनपुर	2630/21-11-2006

1-यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड पूरनपुर की जिन ग्राम पंचायतों के प्रधानों के अधिकार प्रतिबन्धित किये गये हैं, उन प्रधानों के द्वारा अपने ग्राम निधि खातों से बड़ी मात्रा में धनराशि का आहरण किये जाने के बावजूद भी मिड-डे मील की व्यवस्था नहीं की गयी है। आलोच्य अवधि में ग्राम पंचायतों की ग्राम निधि प्रथम से आहरित की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	धनराशि आहरण की अवधि	आहरित की गयी धनराशि (रु0 में)
1	पिपरिया जयभद्र	1-4-06 से 18-7-06 तक	59600-00
2	हरीपुर किशनपुर	4-5-06 से 12-6-06 तक	56000-00
3	श्रीनगर	3-7-06 से 2-8-06 तक	85760-00
4	सिमरिया ता0 महाराजपुर	28-6-06 से 25-8-06 तक	244920-00
5	सिमरिया ता0 अजीतपुर बिल्हा	22-4-06 से 15-6-06 तक	190295-00
6	गोपालपुर	5-4-06 से 4-9-06 तक	101700-00
7	टक्का चांद	31-3-06 से 29-7-06 तक	106900-00
8	हरीपुर कला	7-4-06 से 23-6-06 तक	38000-00

3-यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिवों के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

4-जहां तक ग्राम पंचायतों में सचिव की तैनाती का प्रश्न है, शासनादेश संख्या-2014/33-1-2006-696/2000 टीसी-1 दिनांक 12 जुलाई, 2006 द्वारा यह व्यवस्था भी कर दी गयी है कि ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम विकास अधिकारी भी अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ अपने क्षेत्रान्तर्गत अधिकतम 4 ग्राम पंचायतों में सचिव, ग्राम पंचायत का कार्य भी सम्पादित करेंगे। शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 2006 द्वारा की गयी अतिरिक्त व्यवस्था के

परिणाम स्वरूप ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु समुचित कर्मियों की व्यवस्था हो गयी है।]

मेरठ नगर के मोहल्लों में खुले दर्जनों मिनी कमेलों के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 सदस्य, विधान सभा, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में मुख्य रूप से यह उल्लिखित है कि मेरठ में गली-गली में मिनी कमेले खुल गये हैं। कहीं भी सड़क पर पशु डालकर काटना आम बात हो गयी है तथा कोर्ट का आदेश बेमानी हो रहा है। यदि क्षेत्रीय जनता द्वारा रोकने का प्रयास किया जाता है तो उनके साथ झगड़ा किया जाता है। लिमाढ़ी गेट थानान्तर्गत सद्दीक नगर, श्याम नगर कोतवाली में बनीसराय, केलावाली गली, देहलीगेट थाने में चौक मकसूद अली इसके साथ इस्लामाबाद, करीमनगर, आशियाना कालोनी इसके मुख्य केन्द्र हैं। दिन भर मीट से लदे ट्रक एवं रिक्शे शहर में चलते हुए प्रशासन की शिथिलता या निचले स्तर की सांठ-गांठ को स्पष्ट कर रहे हैं। जनता को घोर कष्ट हैं। लोगों का इन मिनी कमेलें के क्षेत्रों में निकलना दूभर है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ से प्राप्त सूचनानुसार सफाई कर्मचारी, सुपरवाइजर तथा सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नगर के प्रत्येक गलियों, मोहल्लों एवं वार्डों में तैनात हैं और इन कर्मियों द्वारा अब तक किसी भी क्षेत्र से सड़क पर रखकर पशुओं का बध करने अथवा गलियों/मोहल्लों में पशुबधशाला होने की सूचना नहीं दी गयी है। यह सम्भव है कि चोरी छिपे अपने घरों में कुछ लोगों द्वारा ऐसा किया जाता हो, तथापि सूचना में जिन मोहल्लों का उल्लेख किया गया है उनमें तैनात सफाई एवं खाद्य निरीक्षक को इस आशय के कड़े निर्देश दे दिये गये हैं कि वे इस ओर सतर्क दृष्टि रखे और कभी भी इस प्रकार की घटना के प्रकाश में आने पर उस पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए उसकी सूचना वरिष्ठ स्तर पर भी दें, जिससे इनकी रोकथाम के लिये अन्य सम्भावित उपायों पर भी कार्यवाही की जा सके।

इसी प्रकार मास व्यवसायियों द्वारा ढक कर ही इनका परिवहन करने अथवा बिक्री को सुनिश्चित करने के लिये नगर स्वास्थ्य अधिकारी को समुचित निर्देश दे दिये गये हैं इस प्रकार उपर्युक्त से यह स्पष्ट होगा कि नगर निगम पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही कर रही है। भविष्य में इसे और भी बेहतर ढंग से सम्पादित करने के लिये प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिये गये हैं। इसके लिये व्यवसायियों को सेन्सिटाइज करने के लिये इस आशय की सार्वजनिक विज्ञप्ति प्रसारित की जा रही है। साथ ही जन सामान्य का सहयोग लेने

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के लिये लोकवाणी सहित सार्वजनिक सूचना एवं शिकायत निवारण प्रणाली को और सुदृढ़ करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।]

जनपद-जालौन में पेयजल योजनान्तर्गत वाटर रिचार्जिंग हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी कार्य शुरू न करने के सम्बन्ध में चौधरी मस्तराम, एडवोकेट द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22-11-06 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लिखित है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनान्तर्गत वाटर रिचार्जिंग का कार्य कराया जाता है। वाटर रिचार्जिंग के कार्य के लिए कई स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन शासन द्वारा किया गया है। कई जनपदों में स्वयं सेवी संस्थाओं को कार्य कराने के लिए अग्रिम के रूप में 75 प्रतिशत तक धनराशि दी गई है और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा कार्य भी कराया जा रहा है, किन्तु जनपद-जालौन में समस्त औपचारिकताएं पूरी किये जाने के पश्चात् भी कार्यदायी संस्था को अग्रिम धनराशि नहीं जारी की गई है जिसके कारण जनपद-जालौन में विकास कार्य अवरुद्ध है। प्रदेश में भिन्न-भिन्न जनपदों में भिन्न-भिन्न व्यवस्था होना नियमों में दोष होने का संकेत है। जनपद-जालौन की पेयजल समस्या के निदान हेतु कार्यदायी संस्था को कार्य करने हेतु अन्य जनपदों की भांति अग्रिम के रूप में धनराशि दिलाये जाने की मांग की गई है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि :-

(1) ग्रामीण पेयजल योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत 20 प्रतिशत आरक्षित धनराशि से जनपद में वाटर रिचार्जिंग मद के कार्य कराये जाते हैं। शासनादेश संख्या-80/38-5-06-78 सम/06 दिनांक 21-03-06 द्वारा स्वयं सेवी संस्था, ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, मिर्जापुर के पक्ष में रु0 320.265 लाख की कार्ययोजना वित्तीय वर्ष 2005-06 में मात्राकृत धनराशि के सापेक्ष स्वीकृत है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में रु0 159.558 लाख की मात्राकृत धनराशि उपलब्ध हैं संस्था द्वारा प्राप्त कराये गये आगणन पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति एवं सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। तदोपरान्त स्वीकृत तालाबों के निर्माण कार्यों हेतु आदेश व धनराशि निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) शासनादेश संख्या-38-5-06-78 सम/06 दिनांक 21 अप्रैल, 2006 के द्वारा स्वयं सेवी संस्था डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल कल्याण संस्थान, लखनऊ के पक्ष में वित्तीय वर्ष 2004-05 की उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष मु0 47.15 लाख की कार्ययोजना उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत है। कार्यदायी संस्था द्वारा शासनादेश में निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कर लेने के

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फलस्वरूप तालाबों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। संस्था द्वारा की गयी अग्रिम धनराशि की मांग के क्रम में स्वयं सेवी संस्था को अग्रिम के रूप में 20 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि कई जिलों में स्वयं सेवी संस्थाओं को अग्रिम रूप में 75 प्रतिशत तक धनराशि दी गइ ' है जबकि जालौन में ऐसा नहीं किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कार्यदायी संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष अग्रिम रूप में धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में शासन स्तर से दिशा-निर्देश नहीं है। स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा ही दी जाती हैं जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था की क्षमता, कार्य की प्रकृति एवं गुणवत्ता आदि सुनिश्चित कर एवं उसका आकलन कर संतुष्ट होने पर ही यथावश्यक धनराशि अवमुक्त की जाती है।

3-योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करते हुए पूर्ण किये जाने हेतु जिलाधिकारी, जालौन को निर्देशित किया जा चुका है।]

जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम नरायनपुर बन्ना के पास नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[प्रश्नगत सूचना के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र डलमऊ जनपद रायबरेली के अन्तर्गत ग्राम नरायनपुर बन्ना के पास स्थित नाले पर पुल बनाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद रायबरेली के ग्राम जलालपुर धई से ग्राम चरूहार, शिवनगर, इमलिहा होते हुए प्राइमरी पाठशाला नरायनपुर बन्ना तक 7.200 कि0मी0 मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है। ग्राम नरायनपुर बन्ना तक निर्माणाधीन उक्त मार्ग से आगे 2.200 कि0मी0 की दूरी पर गोविन्दपुर स्केप (नाला) पड़ता है, जिस पर लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग तथा अतिरिक्त पहुंच मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद मऊ में वर्ष 2005 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को कन्या विद्याधन न दिये जाने के सम्बन्ध में डा0 यशवन्त सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-38 स्थगित है।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बस्ती स्थित उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहादुरपुर में स्वीकृत पदों के अनुरूप डाक्टरों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्री राम करन आर्य मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 22-11-06 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना....

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[में यह उल्लेख किया गया है कि उनके विधान सभा नगर पूरब, बस्ती में उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहादुरपुर में 05 डाक्टरों की जगह है जिसमें मात्र 02 डाक्टर बहादुरपुर अस्पताल में तैनात हैं, जिससे जनता को काफी दिक्कत हो रही है, मरीज काफी तादाद में वापस चले जा रहे हैं जनता में इसको लेकर आक्रोश है। वहां पर 03 डाक्टरों की नियुक्ति तत्काल किये जाने की आवश्यकता है।

2-उक्त के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-बहादुरपुर में निम्न पद स्वीकृत थे :-

पदनाम	संख्या
प्रभारी चिकित्साधिकारी	1
चिकित्साधिकारी	1
सर्जन	1
महिला चिकित्साधिकारी	1

3-प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के वर्ष 2004 में पुनर्गठन के पश्चात् प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-बहादुरपुर में अब चिकित्साधिकारियों के 02 पद स्वीकृत हैं। एक पद प्रभारी चिकित्साधिकारी का तथा दूसरा चिकित्साधिकारी का। इनके सापेक्ष डा0 ओम प्रकाश, प्रभारी चिकित्साधिकारी तथा डा0 मो0 सलीम, चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। उक्त चिकित्सक चिकित्सालय परिसर में बने आवासों में निवास करते हैं, जिससे स्थानीय जनता को चिकित्सा सेवाएं सुलभ हो रही हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्तमान में प्राथमिक केन्द्र, बहादुरपुर, बस्ती में स्वीकृत पदों के सापेक्ष चिकित्साधिकारी तैनात हैं तथा चिकित्साधिकारी का कोई पद रिक्त नहीं है।]

(सदन के फ्लोर पर खड़े सदस्यगण लगातार नारे लगाते रहे)

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बुलन्दशहर कोतवाली में श्री राम सागर की गैर जमानती वारण्ट के गिरफ्तार किये जाने एवं उससे उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई, द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सम्बन्धित प्रकरण की जांच आख्या

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी की एक आख्या आपसे मांगी गई थी। आपकें पास होगी पढ़ दीजिए।

एक सदस्य-

मा0 इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

[प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर पुलिस अधीक्षक, नगर बुलन्दशहर द्वारा की गई जांच के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त सागर को थाना कोतवाली नगर के मु0अ0सं0-636/2006 धारा 394 भा0दं0वि0 में थाना कुबाय कोट जनपद गोपालगंज (बिहार) की पुलिस के सहयोग से ग्राम लालबेगी में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया था जिसके निशानदेही लूटे गये रुपयों में से रु0 6000.00 (रुपये छः हजार मात्र), चोरी की मोटरसाईकिल बरामद की गई तथा मोबाइल बरामद कराने के लिए जब इसे बलीपुरा नहर के पास ले जाया गया तो भागने का प्रयास करने पर यह सीढ़ियों से गिर गया जिससे उसे घुटने के नीचे चोट आयी तथा अभियुक्त को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी तबीयत अचानक खराब होने पर उच्च चिकित्सीय सेवा प्रदान करने हेतु जशोदा अस्पताल, गाजियाबाद में भर्ती कराया गया, जहां दिनांक 11-9-2006 को उसकी मृत्यु हो गयी जिसका पंचायतनामा थाना-सिंहानीगेट, गाजियाबाद का पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट से भरवाकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त राम सागर की मृत्यु क्रॉनिक लंग डिसीज (टी0बी0) से होनी पायी गयी।]

श्री अध्यक्ष-

मैं आग्रह करूंगा यह तो आपकी पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट है। इसकी पुनः डी0आई0जी0 या उच्च अधिकारी से घटना की जांच कराइए। यह आख्या आपने पुलिस अधीक्षक के आधार पर दी है इसको किसी उच्च अधिकारी से भेज कर जांच करा लें।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 45 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 4 दिसम्बर, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोटः-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-39 का उत्तर पीछे पृष्ठ 22 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2006 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री रविन्द्र पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-39 की सूची।

क्र0 सं0	नाम/पदनाम सर्वश्री	पता	आपराधिक संख्या
1	2	3	4
	डा0 अखिलेश दास, मा0 मंत्री भारत सरकार	55, पुराना किला, हुसैनगंज	शून्य
2	अहमद हसन, मा0 मंत्री	3/144, विश्वास खण्ड, गोमती नगर	शून्य
3	अखण्ड प्रताप सिंह, से0 नि0 आई0 ए0 एस0	1/09, विश्वास खण्ड, गोमती नगर	शून्य
4	डा0 अशोक सिंह	सी-9/3, रीवर बैंक कालोनी, वजीरगंज	शून्य
5	अरविन्द कुमार त्रिपाठी	त्रिपाठी भवन, एल0डी0ए0 कालोनी, कृष्णा नगर	अभियोग पंजीकृत
6	अरुण शंकर शुक्ला, पूर्व एम0एल0सी0	489/7, रानीगंज, डालीगंज	अभियोग पंजीकृत
7	ओ0 पी0 श्रीवास्तव, निदेशक, सहारा इण्डिया	महानगर	अभियोग पंजीकृत
8	अजय कुमार जायसवाल, ब्यूरो प्रमुख माया पत्रिका	255/299, कुण्डरी रकाबगंज, वजीरगंज	शून्य
9	अनुराग गुप्ता	352, सेक्टर क्यू, अलीगंज	शून्य
10	अजय मिश्रा	289/69, मोती नगर, नाका	शून्य
11	अम्बिका प्रसाद मिश्रा	11, थिमैया मार्ग, दिलकुशा	शून्य
12	आई0 एम0 कुद्दूसी, मा0 न्यायमूर्ति	13, ए लारेन्स टेरेंस कालोनी	शून्य
13	ए0 पी0 मिश्रा, रिटा0 न्यायमूर्ति/अध्यक्ष रा0 म0 आ0	कालीदास मार्ग	शून्य
14	ए0 एन0 वर्मा, मा0 न्यायमूर्ति	10/2, ए0 पी0 सेन रोड	शून्य
15	ओ0 पी0 श्रीवास्तव, मा0 न्यायमूर्ति	2, कालीदास मार्ग	शून्य
16	श्रीमती अराधना मिश्रा	11, थिमैया मार्ग, दिलकुशा	शून्य
17	ए0 एम0 खान	ईडी 25, डायमण्ड डेरी कालोनी, हुसैनगंज	शून्य

1	2	3	4
18	अनिल कुमार राय	ईडी-1, राजाजीपुरम्	शून्य
19	अभिषेक सिंह आशू	बी-901, स्टेलिंग आपार्टमेन्ट, वि0वि0 मार्ग	अभियोग पंजीकृत
20	अशोक कुमार यादव	बादशाह नगर सचिवालय कालोनी	शून्य
21	अब्दुल वाहीद	1, कैण्ट रोड, कैसरबाग	शून्य
22	अजीत गुप्ता	मिर्जागंज, मलिहाबाद	शून्य
23	ओ0 पी0 चौधरी	14, सरदार पटेल रोड, कैण्ट रोड	शून्य
24	अनिल दूबे	सुभाष नगर, कृष्णा नगर	शून्य
25	अब्दुल मतीन सिद्दीकी	सी-25, राज भवन कालोनी	शून्य
26	अरुण कुमार जायसवाल	शक्ति नगर, फैजाबाद रोड	शून्य
27	अरविन्द कुमार मिश्रा	14ए, तिलक मार्ग	शून्य
28	ओ0 पी0 सिंह	3/435, विकास खण्ड, गोमती नगर	शून्य
29	सुश्री अन्जू अरोड़ा	27 डी/2, आनन्द लोक कालोनी	शून्य
30	श्रीमती आभा सिंह, निदे0 भा0डा0से0	बी 128, इंदिरा नगर	शून्य
31	डा0 अशोक बाजपेई, मा0 मंत्री	मंत्री आवास	शून्य
32	कुंवर अरविन्द सिंह	ए30(1), माल एवेन्यू	शून्य
33	अरुण डेबिड	18, स्टेशन रोड	शून्य
34	आनन्द सिंह भदौरिया	14/138, विकास नगर	शून्य
35	अभिषेक पाल	3/249, विनय खण्ड, गोमती नगर	शून्य
36	ओ0 एन0 खण्डेलवाल, मा0 न्यायमूर्ति	मा0 न्यायमूर्ति, लखनऊ	शून्य
37	अल्लाह रहम, मा0 न्यायमूर्ति	जीटीआर-1, गोमती नगर	शून्य
38	अखिलेश सिंह	ए 405, लाप्लास कालोनी	शून्य
39	आलोक कुमार, मा0 न्यायमूर्ति	रिवर बैंक कालोनी, गेस्ट हाउस	शून्य
40	अनिल वर्मा	542/182, बजरंग नगर, न्यू हैदरगंज	शून्य
41	आरिफ महमूद	435/102, करीमगंज, चौक	शून्य
42	अरविन्द कुमार मिश्रा	39, आम्रपाली कालोनी, रायबरेली रोड	शून्य
43	अशोक कुमार माथुर, रजिस्ट्रार	---	शून्य
44	आलोक कुमार मित्रा, उप निदेशक, आयकर	155 राजेन्द्र नगर, नाका	शून्य

1	2	3	4
45	अब्दुल मतीन, मा0 न्यायमूर्ति	152, घसियारी मण्डी	शून्य
46	आसिफ जमा रिजवी	4/83, विशाल खण्ड गोमती नगर	शून्य
47	अनुराग यादव	484 ए, विश्वास खण्ड गोमती नगर	शून्य
48	अनुज कुमार विश्नोई, मु0 नि0 अधिकारी	सी-25, बटलर पैलेस	शून्य
49	अशोक निगम, अपर महाधिवक्ता	4/35, विशाल खण्ड, गोमती नगर	शून्य
50	डा0 अजीज खां	3/160, इन्दिरा नगर	शून्य
51	मो0 इरशाद खां, मा0 विधायक	मोहम्मद मुगलान टाउन एरिया, काकोरी	शून्य
52	कुंवर इकबाद हैदर	3,वे रोड, म0मु0म0 मार्ग	शून्य
53	इन्सराम अली	ए 240, आरिफ एपार्टमेंट न्यू हैदराबाद	शून्य
54	उमेश चन्द्र मिश्र	एफ 613, राजाजी पुरम	शून्य
55	उपेन्द्र सिंह राणा	एल0 डी0 ए0 कालोनी, कानपुर रोड	शून्य
56	श्रीमती कुसुम राय, एम0एल0सी0	4, माल एवेन्यू	शून्य
57	कमलेश यादव	1, माल एवेन्यू	शून्य
58	कौशल किशोर, मा0 विधायक	बी ब्लाक, दारुलशफा	अभियोग पंजीकृत
59	कैलाश शंकर शुक्ला	489/5, रानीगंज, डालीगंज	अभियोग पंजीकृत
60	कमल बालानी	21/232, इन्दिरा नगर	शून्य
61	के0 के0 मित्तल, एम0डी0 ब्रिज कारपोरेशन	सेतु भवन, म0 मु0 मा0 मार्ग	शून्य
62	के0 एस0 राखरा, मा0 न्यायमूर्ति	2/16, विकास खण्ड, गोमतीनगर	शून्य
63	खेमकरन, मा0 न्यायमूर्ति	1625, सेक्टर आई, एलडीए कालोनी,	शून्य
64	खाबर महमूद लारी	6, हामिद रोड, सिटी स्टेशन	शून्य
65	गौरी शंकर, पूर्व विधायक	2, राज भवन कालोनी	अभियोग पंजीकृत
66	गोपाल कृष्ण अग्रवाल	बी 44, सेक्टर सी अलीगंज	शून्य
67	घनश्याम अग्रवाल	305, रामनगर, ऐशबाग	शून्य
68	श्रीमती चम्पा देवी यादव	1 माल एवेन्यू	शून्य

1	2	3	4
69	श्रीमती चन्द्रा रावत, जि0 पंचा0 सदस्य	मोहनलाल गंज	शून्य
70	श्रीमती छेदाना गौतम, अध्यक्ष, जि0 पंचा0	अध्यक्ष जिला पंचायत	शून्य
71	जुगुल किशोर सोनकर	482/3क, इरादत नगर, डालीगंज	अभियोग पंजीकृत/ सुरक्षा वापस
72	जगदीश भल्ला, मा0 न्यायमूर्ति	6, राजभवन कालोनी	शून्य
73	जयव्रत राय, उप प्रबन्ध निदेशक, सहारा	सहारा शहर, गोमती नगर	शून्य
74	जी0 बी0 सिंह	18, नगरिया ठाकुरगंज	शून्य
75	जलील अहमद	ग्राम महिपत मऊ, काकोरी	शून्य
76	जय प्रकाश, मा0 सांसद	259/269, एल्डिको ग्रीन, गोमती नगर	शून्य
77	जितेन्द्र पाल अरोड़ा	35, फ्रेन्ड्स कालोनी, गोखले मार्ग	शून्य
78	जगन्नाथ प्रसाद यादव, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग	363/89, बी राजाजीपुरम्	शून्य
79	जावेद सिद्दीकी	सी 25, राजभवन कालोनी	शून्य
80	श्रीमती जरीना फातिमा उस्मानी, सदस्य राज्य महिला आयोग	626/75क, शक्ति नगर, फैजाबाद रोड	शून्य
81	जे0 एम0 पालीवाल, मा0 न्यायमूर्ति	मा0 न्यायमूर्ति, लखनऊ	शून्य
82	जे0 एस0 यादव, सदस्य रा0 मा0 आय0	14, विक्रमादित्य मार्ग	शून्य
83	जितेन्द्र कुमार यादव (गुड्डू)	ई 4285, सेक्टर 12, राजाजीपुरम्	शून्य
84	जुगुल किशोर बाल्मीकि	7, डालीबाग, तिलक मार्ग	शून्य
85	जयदीप नारायण माथुर, अपर महाधिवक्ता	1, सप्रू मार्ग	शून्य
86	जय प्रकाश सिंह	भीम नगर, आलमबाग	शून्य
87	तेज नारायण पाण्डेय (पवन पाण्डेय)	कमरा नं0 34, आचार्य नरेन्द्र देव छात्रावास	अभियोग पंजीकृत

1	2	3	4
88	तारा चन्द्र यादव	चिरैया बाग पोस्ट अटरिया	शून्य
89	तारिक अहमद लारी	195/51, लारी मेन्सन, जगत नारायण रोड, गोलागंज	अभियोग पंजीकृत
90	श्रीमती तृष्मा सिंह	बी 13, सेक्टर ए महानगर	शून्य
91	ठाकुर प्रसाद यादव	ग्राम मिर्जापुर, औरंगाबाग थाना आशियाना	शून्य
92	डी0 पी0 बोरा, पूर्व विधायक	मंदिर मार्ग, महानगर	शून्य
93	डी0 के0 त्रिवेदी, रिटा0 न्यायमूर्ति	6/109, विनीत खण्ड गोमती नगर	शून्य
94	दया शंकर सिंह उर्फ राजू	2/266, सेक्टर सी विकास नगर	शून्य
95	देवेन्द्र सिंह राजपूत	9/667, इन्दिरा नगर	शून्य
96	देवेन्द्र सिंह	510/94/25, डी फौजी कालोनी, आजाद नगर आलमबाग	शून्य
97	डी0 पी0 सिंह, मा0 न्यायमूर्ति	बी0-8, प्रताप कालोनी, मारुतिपुरम्, गाजीपुर	शून्य
98	दीपक रंजन	सी 61, सेक्टर एम, अलीगंज	विभिन्न अभियोग
99	देवेश्वर नारायण सिंह	10, फैजाबाद रोड	शून्य
100	दयाशंकर सिंह	3/16, आफिसर्स कालोनी, कैसरबाग	अभियोग पंजीकृत/ सुरक्षा बाबस
101	दिलीप राना	559/371, श्रीनगर आलमबाग	शून्य
102	धर्मवीर शर्मा, मा0 न्यायमूर्ति	24, गौतमपल्ली	शून्य
103	धीर सिंह यादव	ग्राम अनौरा अमौसी	शून्य
104	धनन्जय उपाध्याय	निशातगंज	शून्य
105	नरेश चन्द्रा, पूर्व मंत्री	1/6, सेक्टर ए अलीगंज	शून्य
106	एन0 के0 मेहरोत्रा, लोकायुक्त	1, गौतमपल्ली	शून्य
107	नन्द किशोर यादव	ग्राम गंगागंज गोसाईगंज	शून्य
108	निशीत राय	सी 16/3 घ, सरोजनी नायडू मार्ग	शून्य
109	नन्दन सिंह बोरा	शक्ति नगर, फैजाबाद रोड	शून्य
110	नलिनेश तिवारी	जियामऊ, हजरतगंज	शून्य
111	निशान्त जायसवाल	दीप अवध होटल, नाका	शून्य

1	2	3	4
112	श्रीमती नयन तारा सिंह	बी 13, सेक्टर ए महानगर	शून्य
113	नीरज मिश्रा	417/166-1 बी, बाबा हजाराबाग रोड, ठाकुरगंज	शून्य
114	कु0 नन्दजा मिश्रा	11, थिमैया मार्ग	शून्य
115	नियाज अहमद	पुरानी सब्जी मण्डी, चौक	शून्य
116	प्रदीप कान्त, मा0 न्यायमूर्ति	16, कृष्णा कालोनी, महानगर	शून्य
117	पंकज के0 वर्मा, क्षेत्रीय निदेशक जे0 एन0 टीवी	1, राज भवन कालोनी	शून्य
118	पी0 के0 सरीन, रिटा0 न्यायमूर्ति	सदस्य उ0 प्र0 सलाहकार बोर्ड	शून्य
119	प्रवेश सिंह	एमडी 1/30, 9, पराग डेरी कानपुर रोड	अभियोग पंजीकृत
120	पीटर फैन्थम, मा0 विधायक	109/4, माडल हाउस कैसरबाग	शून्य
121	श्रीमती पूर्णिमा वर्मा, पूर्व सांसद	सी-32, से0-जे, अलीगंज	शून्य
122	प्रदीप अग्रवाल, प्रो0 गोल्डरश	इस्माइलगंज, स्टेट बैंक के सामने, फैजाबाद रोड	शून्य
123	पंकज यादव	बहादुरपुर, गुडम्बा	शून्य
124	फाकिर सिद्दीकी	शहर प्लाजा, मुंशी पुलिया, इन्दिरा नगर	अभियोग पंजीकृत
125	फजले मसूद, पूर्व विधायक	14/627, मुराद अली लेन, नई बस्ती	शून्य
126	फैजान शेख	ग्राम पारा,	शून्य
127	डा0 विजय प्रकाश सिन्हा, सचिव उ0 प्र0 बैडमिन्टन एसो0	एफ-3 बी, रिवरबैंक कालोनी	शून्य
128	विजय यादव	जियामऊ, हजरतगंज	शून्य
129	वीरेन्द्र सरन, रिटा0 न्यायमूर्ति एवं सदस्य रा0मा0 आयोग	15, कालीदास मार्ग	शून्य
130	वी0 एस0 रावत	1/109, डिगडिगा, गोमतीनगर	शून्य
131	वीरेन्द्र कुमार यादव	ग्राम अल्लूपुर, मलिहाबाद	शून्य
132	विष्णु सहाय, मा0 न्यायमूर्ति	सी-104, निरालानगर	शून्य
133	वासिफउद्दीन	19 ए, मानसनगर कालोनी, जियामऊ	शून्य
134	कुं0 बलबीर सिंह चौहान	एच0आई0जी0-109, से0-ई, अलीगंज	शून्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
135	विनय श्रीवास्तव, पासपोर्ट अधिकारी	5 डी, विक्रमादित्य मार्ग	शून्य
136	वीरेन्द्र तिवारी	ए-706, ओ0 सी0 आर0 हुसैनगंज	शून्य
137	विनोद यादव कक्का, मा0 मंत्री	के-1, पार्क रोड	शून्य
138	बृजेश चन्द्र मिश्रा	11 थिमैया मार्ग, दिलकुशा	शून्य
139	वीरेन्द्र भाटिया, सदस्य रा0 सभा	130 चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज	शून्य
140	विनोद कुमार सिंह, अपर महाधिवक्ता	14/42 इन्दिरा नगर	शून्य
141	बनवारी लाल कंछल, सदस्य रा0 सभा	66 शास्त्री नगर, रकाबगंज	शून्य
142	बरखूराम वर्मा, एम0एल0सी0	1/206 विनीत खण्ड, गोमतीनगर	शून्य
143	बुक्कल नवब, चेयरमैन, मिनिमम से0 एडवाइजरी बोर्ड	शीशमहल (हुसैनाबाद) थाना ठाकुरगंज	शून्य
144	विजय शंकर माथुर, पूर्व पुलिस महानिदेशक	2/165 विजय खण्ड, गोमतीनगर	शून्य
145	विजय शंकर शर्मा, सम्पादक चर्चित राजनीति	4/4 आफिसर्स कालोनी, डालीबाग	शून्य
146	विशून दयाल	बी-1-9, सेक्टर जी, एलडीए कालोनी कानपुर रोड	शून्य
147	विमलेश पासवान	2/37 विजय खण्ड, गोमती नगर	शून्य
148	बी0 बी0 अग्रवाल, मा0 न्यायमूर्ति	हाईकोर्ट लखनऊ	शून्य
149	बी एस0 बाजपेई, मा0 न्यायमूर्ति	2/62 विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर	शून्य
150	श्रीमती बिन्दु यादव	ग्राम मकदूमपुर, पो0 मलेसेमऊ, गोमतीनगर	शून्य
151	विजय सिंह पिन्टू, छात्र नेता वि0 वि0	छात्रावास 48 गोल्डेन जुबली	अभियोग पंजीकृत
152	वीरेन्द्र पाल सिंह	एल 67, चारबाग	शून्य
153	वीरेन्द्र कुमार टण्डन	पटियाला हाउस, हजरतगंज	शून्य
154	विनय कठेरिया	बी-1939, इन्दिरानगर	शून्य
155	भंवर सिंह, मा0 न्यायमूर्ति	2 ए, कालीदास मार्ग	शून्य
156	भगवती प्रसाद मिश्रा	त्रिवेणी नगर-3, सीतापुर रोड	शून्य
157	भगवती सिंह, मा0 राज्य सभा सदस्य	डी-2/2, रिवर बैंक कालोनी	अभियोग पंजीकृत

1	2	3	4
158	भोलानाथ तिवारी, रिटा0 आई0ए0एस0	1/68 विशाल खण्ड, गोमतीनगर	शून्य
159	भरत सिंह यादव	ग्राम व पो0 गंगागंज, सलेमपुर, गोसाईगंज	शून्य
160	एम0ए0 खान, मुख्य सूचना आयुक्त	12 ए, गौतमपल्ली	शून्य
161	महावीर प्रसाद जायसवाल	ई ब्लाक, 3708 राजाजीपुरम्	शून्य
162	मुकेश कुमार वर्मा	सी-29 रेलवे कालोनी, नेहरूनगर, मवैया	शून्य
163	मिराज अहमद	475/41 ए, कदमरसूल, डालीगंज	शून्य
164	मुजीबुर्रहमान 'बब्लू'	155/306, रहमत मंजिल, मौलवीगंज	शून्य
165	महेश राजानी	559/ख/15 श्रीनगर, थाना मानकनगर	शून्य
166	श्रीमती माला त्रिवेदी, सदस्य राज्य महिला आयोग	मालापुरम्, बालागंज, ठाकुरगंज	शून्य
167	मनोज कुमार, आईएएस, सचिव, उ0 प्र0 रा0 मा0 आयोग	बी-406, सीएसआई टावर, गोमतीनगर	शून्य
168	मुशीर अहमद लारी, पूर्व मंत्री	95/151, लारी मेन्शन, जगतनारायण रोड	अभियोग पंजीकृत
169	मो0 अनीश	5/230, गोपालपुरी, आजादनगर, आलमबाग	शून्य
170	श्रीमती मंजुल राजे	भदरी हाउस	शून्य
171	महावीर जायसवाल	2/94 विश्वास खण्ड, गोमतीनगर	शून्य
172	मुकेश कुमार शुक्ला	रानीगंज, डालीगंज	शून्य
173	महेश सिंह पटेल	एच-1बी 114 से0-ई, अलीगंज	शून्य
174	मो0 सरताज	1000 अब्दुल्लामंजिल निकट सब्जी मण्डी, सदर बाजार	शून्य
175	मो0 एबाद	शिया पी0 जी0 कालेज,	अभियोग पंजीकृत/ सुरक्षा वापस
176	मुकेश सिंह	311 अभिषेक एल्डिको, मोहनलालगंज	शून्य
177	मुकेश शर्मा	222, द्वितीय तल, कसमाण्डा हाउस, हजरतगंज	शून्य

1	2	3	4
178	डा0 मोहन लाल सरीन	18 खुनखुनजी, चौक	शून्य
179	डा0 यशराज सिंह	ए/9, लारेंस टेरेस कालोनी, हजरतगंज	शून्य
180	यशवन्त सिंह, एम0एल0सी0	दारुलशफा	शून्य
181	राम कुमार शुक्ला, पूर्व विधायक	खदरा तिलक बिहार कालोनी	शून्य
182	आर0 सी0 पाण्डेय, मा0 न्यायमूर्ति	ए-2, रिवरबैंक कालोनी	शून्य
183	राहत कुद्दूसी	ए-13, लारेंस टेरेंस कालोनी	शून्य
184	राशिद अली	मोहान रोड	शून्य
185	आर0 के0 चौधरी, मा0 मंत्री	104 बी, दारुलशफा	शून्य
186	राकेश कुमार अरोड़ा	ए-22, निरालानगर	शून्य
187	रामस्वरूप सिंह	ग्राम भवानीखेड़ा, नगराम	शून्य
188	आर0 डी0 त्रिपाठी, रिटा0 आई0पी0एस0	सी-19 विज्ञानपुरी	शून्य
189	रविन्द्र कुमार अग्रवाल	55 पुराना किला, हुसैनगंज	शून्य
190	रविदास मेहरोत्रा, पूर्व विधायक	67 ख्यालीगंज, कैसरबाग	अभियोग पंजीकृत
191	राजेश राय	6 पंडित नगर, राजाजीपुरम्	शून्य
192	रणविजय सिंह, सम्पादक रा0 सहारा	स्थानीय सम्पादक, राष्ट्रीय सहारा	शून्य
193	राकेश शर्मा, मा0 न्यायमूर्ति	3/26 ए विश्वास खण्ड गोमतीनगर	शून्य
194	राजेन्द्र सिंह	51 शिवाजी मार्ग, शिवगढ़ हाउस	शून्य
195	राम सिंह यादव	गौरी सरोजनीनगर	शून्य
196	राज किशोर मिश्रा, पूर्व एम0एल0सी0	54 गुरुगोविन्द सिंह मार्ग, लालकुआं	शून्य
197	रन्जीत सिंह	19बी समर बिहार कालोनी, आलमबाग	शून्य
198	राजेन्द्र शाही	81/22 शिवपुरी नाका	शून्य
199	डा0 राज कुमार यादव	356/74, आलमबाग नगर रोड, बावली रोड	शून्य
200	डा0 राजेन्द्र यादव, मा0 विधायक	चिनहट	शून्य
201	डा0 राकेश सिंह राणा, एम0एल0सी0	सी-37/1, पेपर मिल कालोनी, निशातगंज	शून्य
202	राघवराम मिश्रा, एम0एल0सी0	502 बहुखण्डी भवन	शून्य

1	2	3	4
203	रोहित अरोड़ा	35/3 फ्रेन्ड्स कालोनी, गोखलेमार्ग	शून्य
204	राम यतन यादव, सहायक अभियन्ता	विष्णुपुरी विस्तार अलीगंज	शून्य
205	राम सिंह राणा	223 आचार्य नरेन्द्र देव छात्रावास, ल0वि0वि0	अभियोग पंजीकृत
206	राजपाल कश्यप	छात्रावास, ल0वि0वि0	अभियोग पंजीकृत/ सुरक्षा वापस
207	रामसागर यादव	ग्वारी विकास खण्ड, गोमतीनगर	शून्य
208	रईस अहमद	ई0 डी0 661 से0-क्यू, अलीगंज	शून्य
209	राम सागर पाण्डेय	10/116 इन्दिरा नगर	शून्य
210	राजेश कुमार तिवारी	554/21/3 आलमबाग	शून्य
211	आर0 पी0 यादव, मा0 न्यायमूर्ति	15 श्यामकुंज, एस0जी0पी0जी0आई0	शून्य
212	रविभूषण यादव	तिलसुआ, थाना मलिहाबाद	शून्य
213	रामेन्द्र श्रीवास्तव	449/2ग-1 बड़ा बरहा, आलमबाग	शून्य
214	रामेन्द्र अवस्थी	538 ख/419 दीनदयाल नगर, खदरा	शून्य
215	प्रो0 रामप्रकाश सिंह, कुलपति ल0वि0वि0	ल0वि0वि0 परिसर	शून्य
216	राजेश यादव, सदस्य रा0 पि0 आयोग	ई-1954, राजाजीपुरम्	शून्य
217	श्रीमती रीता अरोड़ा	35/3 फ्रेन्ड्स कालोनी, गोखले मार्ग	शून्य
218	राजीव कुमार यादव	यादव भवन कुर्सी रोड	शून्य
219	रमेश मिश्रा	536/586 न्यू मदेयगंज, सीतापुर रोड	शून्य
220	रामेन्द्र चन्द्र गुप्त	5/4 विनीतखण्ड, गोमतीनगर	शून्य
221	आर0 एम0 श्रीवास्तव, सचिव, गृह	चन्द्र लोक कालोनी, अलीगंज	शून्य
222	राजीव शर्मा, मा0 न्यायमूर्ति	21 चन्द्र लोक कालोनी, अलीगंज	शून्य
223	रामहरि विजय, प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य	सी-25 निरालानगर	शून्य
224	रामजी सिंह, एमएलसी	डी-8 पार्क रोड	शून्य

1	2	3	4
225	रमेश सहगल, आईजी, उ0प्र0रा0मा0 आयोग	2/22 विशाल खण्ड, गोमती नगर	शून्य
226	लल्लू सिंह यादव	घिरैयाबाग, उतरेठिया	शून्य
227	सी0 एल0 यादव	569/135 बाराबिरवा रोड	शून्य
228	एस0 सी0 मिश्रा, सदस्य रा0 सभा	17/6 बिनदशा भवन, हजरतगंज	शून्य
229	श्याम किशोर यादव, पूर्व विधायक	सरोजनी नगर	शून्य
230	सेठ शैलेन्द्र नाथ टण्डन, अपर सत्र न्यायाधीश	गोमतीनगर	शून्य
231	सुरेश श्रीवास्तव, मा0 विधायक	बी-231 फेज-1, टिकैतराय तालाब	शून्य
232	एस0 पी0 सिंह, पीसीएस	4-6 आफिसर्स कालोनी, हजरतगंज	शून्य
233	श्याम नन्दन सिंह, एम0एल0सी0	बी-402 ओ0सी0आर0	शून्य
234	एस0 एम0 साहिल	158/133 रकाबगंज	शून्य
235	एस0 आर0 आर्या, सदस्य रा0मा0आ0	12ए गुलिस्ता कालोनी	शून्य
236	डा0 शाहिद हुसैन	दिलकुशा प्लाजा हुसैनगंज	शून्य
237	सुरेश चन्द्र तिवारी, विधायक कैंट	554/90 छोटा बरहा, आलमबाग	शून्य
238	एस0 बी0 एम0 त्रिपाठी, रिटा0 आईपीएस, सदस्य रा0मा0 आयोग	गोमती नगर	शून्य
239	सुब्रत राय सहारा, सहारा प्रमुख	1/160 विनीत खण्ड, गोमती नगर	शून्य
240	श्रीमती स्वप्ना राय, सहारा परिवार	1/160 विनीत खण्ड, गोमती नगर	शून्य
241	सुशांतो राय, सहारा परिवार	1/160 विनीत खण्ड, गोमती नगर	शून्य
242	सीमांतो राय, सहारा परिवार	1/160 विनीत खण्ड, गोमती नगर	शून्य
243	स्वतंत्र मिश्र, प्रबन्धक सहारा इंडिया	1/160 विनीत खण्ड, गोमती नगर	शून्य
244	सुश्री शीमा रिजवी, एमएलसी	4/83 विशाल खण्ड, गोमती नगर	शून्य
245	कुंवर शैलेन्द्र सिंह	एफ-1/एफ-6 पार्क रोड	शून्य
246	शारदा प्रसाद शुक्ला, पूर्व विधायक	दुग्धमण्डी, चारबाग	शून्य
247	सुरेश चन्द्र यादव	बी 1/9, सेक्टर जी, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड	शून्य
248	सै0 वसीम रिजवी	394/3ए कश्मीरी मोहल्ला, सआदतगंज	शून्य
249	सईदुर्रहमान	155/306 रहमत मंजिल भेड़ी मण्डी, मोलवीगंज	शून्य

1	2	3	4
250	सै0 नावेद मुस्तफा	418/94 गढ़ी पीर खां, ठाकुरगंज	अभियोग पंजीकृत/ सुरक्षा वापस
251	समीर मिश्रा	एस 3/6 चन्दर नगर मार्केट, आलमबाग	अभियोग पंजीकृत
252	संतोष यादव 'सनी'	एच-4 पार्क रोड	शून्य
253	श्रीनाथ सहाय, रिटा0 न्यायमूर्ति, सदस्य एडवाइजरी बोर्ड	3/254 विनय खण्ड, गोमती नगर	शून्य
254	संजय कत्याल	509/149 पुराना हैदराबाद	शून्य
255	कुंवर शैलेन्द्रवीर सिंह चौहान	एचआईजी 109 सेक्टर सी अलीगंज	शून्य
256	शिव सिंह यादव, अपर निदेशक, संस्थागत वित्त	बटलर पैलेस	शून्य
257	शैलेन्द्र सिंह, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक	414 आफिसर्स कालोनी	शून्य
258	हर प्रसाद मिश्रा	4/11 हलवासिया मार्केट, हजरतगंज	शून्य
259	सत्येन्द्र सिंह वर्मा	117 आचार्य नरेन्द्र देव हास्टल	शून्य
260	हारून आसिफ बेग	105 तोपखाना, चौपटिया रोड, सआदतगंज	शून्य
261	सुमित अरोड़ा	35/3 फ्रेन्ड्स कालोनी, गोखले मार्ग	शून्य
262	शिव कुमार सिंह	एल 3/110 सेक्टर डी अलीगंज	शून्य
263	शिव राज सिंह	खरिका बंगाली टोला	शून्य
264	श्यामा शरण	सी 28 कृष्णा नगर	शून्य
265	सैय्यद रफत	मण्डप तहसीनगंज, चौक	शून्य
266	सुमेश मिश्रा	एस 6/4 चन्दर नगर मार्केट, आलमबाग	शून्य
267	श्रीमती शादाब फातिमा, चेयरमैन उपभोक्ता सहकारी संघ	13/549 इन्दिरानगर	शून्य
268	सैय्यद मुदस्सिर	दिलकुशा प्लाजा, हुसैनगंज	शून्य
269	एस0 बी0 एस0 चौहान	135/1 रानीगंज, रकाबगंज	शून्य
270	श्रीमती शकुन सिंह	165 ए रैस्ट कैम्प कालोनी, चारबाग	शून्य

1	2	3	4
271	सुरेन्द्र जायसवाल	दीप अवध होटल, नाका	शून्य
272	सुनील कुमार सिंह साजन	कृष्णापल्ली आलमबाग	शून्य
273	सुश्री शाहीन फातिमा, सदस्य रा0म0 आयोग	116/147 घसियारी मण्डी कैसरबाग	शून्य
274	शैलेन्द्र सक्सेना, मा0 न्यायमूर्ति	ए-3 सैक्टर सी अलीगंज	शून्य
275	सम्पूर्ण सिंह बग्गा	सी 20 सेक्टर जी एलडीए कालोनी, कानपुर रोड	शून्य
276	सुशील कुमार दीक्षित	आलमबाग	शून्य
277	एस0 एन0 शुक्ला, मा0 न्यायमूर्ति	मा0 उच्च न्यायालय	शून्य
278	एस0 एस0 चौहान, मा0 न्यायमूर्ति	4/150 विशेष खण्ड, गोमती नगर	शून्य
279	सतीश अवस्थी	ई 3347 राजाजीपुरम्	शून्य
280	सनी सरना	8 रिवर बैंक कालोनी	शून्य
281	संतोष सिंह	497/8 लक्ष्मण बिल्डिंग बाबूगंज	अभियोग पंजीकृत/ सुरक्षा वापस
282	प्रो0 एस0 के0 अग्रवाल, कुलपति केजीएमयू	3 हामिद बिल्डिंग, कमला नेहरू मार्ग, चौक	शून्य
283	संजय सिंह चौहान	कस्बा माल थाना माल	शून्य
284	श्रीमती शालिनी सिंह	आर/76 नेहरू एन्कलेव, गोमती नगर	शून्य
285	सुरेन्द्र सिंह उर्फ राजीव गांधी	289/50 गांधी भवन, नेहरू नगर, नाका	शून्य
286	सहदेव सिंह	ग्रामं पपनामऊ चिनहट	अभियोग पंजीकृत
287	शिव कुमार यादव	शाहपुर चिनहट मटियारी	शून्य
288	श्रीकृष्ण, आई0ए0एस0, सचिव राष्ट्रीय एकीकरण	19 गुलिस्ता कालोनी	शून्य
289	शनि दुबे	3/486 विश्वास खण्ड, गोमती नगर	शून्य
290	कृष्ण दत्त सिंह	314 राजाजी पुरम्, तालकटोरा	शून्य
291	शहनवाज	1 कैण्ट रोड, कैसरबाग	शून्य
292	हृदय नारायण दीक्षित, पूर्व मंत्री	1562 सेक्टर आई, एलडीए कालोनी, कानपुर रोड	शून्य

1	2	3	4
293	श्रीमती शांति सिंह	ए-2 बी न्यू ग्रेन्च रोड	शून्य
294	श्रीमती हिजाब खां	106 बेलियारी लेन	शून्य
295	सर्वेश कुमार पाण्डेय	551क/290 च ओम नगर, आलमबाग	शून्य
296	एस0 एम0 काजमी महाधिवक्ता	1 कालीदास मार्ग	शून्य

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या-58 का संलग्नक

वर्ष	स्थान	कार्य
2001-02	देवनाथ के घर से तपेसर के घर तक	मिट्टी कार्य
	तपेसर के घर से रामविनय के खेत तक	मिट्टी कार्य
	सुरेश कान्दू के घर से शिवधनी मौर्या के घर तक	नाली निर्माण
	सामाजिक वानिकी में व्यय	वानिकी
	मेन खड़न्जा से मंगरू के दरवाजा तक।	मिट्टी कार्य
	इन्द्रदेव मौर्या के खेत से मेन खड़न्जा होते हुए जावर के खेत तक।	नाली निर्माण
2002-03	चन्दू पौधशाला कौशाम्बी से दशहरी कलमी आम के पौधों का क्रय	वृक्षारोपण
	विनोद कान्दू के खेत से रामधनी हरिजन के ट्यूबवेल तक	मिट्टी कार्य
	सागर चौहान के खेत से मल्लाहों के पूरा तक	मिट्टी कार्य
2003-04	सागर चौहान के खेत से मल्लाहों के पूरा तक	मिट्टी कार्य
	प्रा0 पा0 दोय के चबुतरा का निर्माण	चबूतरा कार्य
	अम्बिका चौधरी के खेत से सिवान भिण्डकुण्ड तक	मिट्टी कार्य
	जीउत के दरवाजा से मेन रोड सोनडीह तक	मिट्टी कार्य
	कुमार के ट्यूबवेल से मरछू के घर तक	मिट्टी कार्य
2004-05	राधामोहन के भट्ठे से दीना के मशीन तक	मिट्टी कार्य
	प्रा0 पाठशाला भगवानपुर के प्रांगण में गड्ढा भराई कार्य	--तदैव--
	विजय शंकर के मन्दिर से रामा के दरवाजा होते हुए जंगी के दरवाजे तक	--तदैव--
	प्रा0 पाठशाला दोय के प्रांगण में मिट्टी भराई कार्य	मिट्टी कार्य
2005-06	सुरेश कान्दू के दरवाजे से चन्द्रभान के ट्यूबवेल तक	--तदैव--
	रामजनम के खेत से काली चौरा होते हुए श्रीकान्त के खेत तक	--तदैव--
	भगवानपुर में सागर के खेत से धनुधारी के ट्यूबवेल तक	--तदैव--
	रामअवध के खेत से लालजी. के खेत तक	मिट्टी कार्य मिट्टी कार्य

पी0एस0यू0पी0-एल0 361 विधान सभा (614)-15-3-2007-813 (कम्प्यूटर।